चतुर्थ माला, खंड 47, अंक 21 बुधवार, 9 दिसम्बर, 1970/18 अग्रहायण, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLVII, No. 21 Wednesday, December 9, 1970/Agrahayana 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation ... Fumigated ... Parliament Library

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, बुधवार, 9 दिसम्बर, 1970/18, अग्रहायण 1892 (शक)

No. 21, Wednesday, December 9, 1970/Agrahayana 18, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
602. व्यापार को उदार बनाने के सम्बन्ध में जी० ए० टी० टी० (गेट) के महानिदेशक द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions made by Director General of G.A.T.T. re: Liberalisation of Trade ..	1—3
603. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना	Setting up of a Central Translation Bureau ..	3—4
604. नये राज्यों का बनाया जाना	Creation of New States ..	5—12
606. रूस को शल्य चिकित्सा के उपकरणों का निर्यात	Export of Surgical Instruments to USSR ..	12
607. रूस से आयात	Imports from USSR ..	13—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
601. निकोबार द्वीप समूह से खोपरे का निर्यात	Export of Copra from Nicobar Islands ..	17—18
605. भारतीय उत्पादों की खरीद के लिये बर्मा को वाणिज्यिक ऋण	Commercial Credit to Burma for purchasing Indian Products ..	18—19
608. बिजली की सप्लाई का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने का राज्यों द्वारा विरोध	States Opposition to taking over of Power Supply by Centre ..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

609. पश्चिम बंगाल में आगामी फसल कटाई के मौसम में दंगों की आशंका	Apprehension of disturbances during ensuing Harvesting Season in West Bengal ..	19
610. एशियन हाई वेज रेली में भाग लेने वाली कारों को दिल्ली में क्षति	Damage to Cars taking part in Asian Highways Rally in Delhi ..	20
611. मध्य प्रदेश में विमान द्वारा गिराये गये माओ-त्से तुंग के चित्रों तथा चीनी साहित्य से भरे हुए बक्सों का पाया जाना	Boxes containing portraits of Mao-Tse-Tung and Chinese Literature Air-dropped in Madhya Pradesh ..	20—21
612. दिल्ली में आईस हालीडे के कलाकारों की गिरफ्तारी	Arrest of Ice Holiday show Artistes in Delhi ..	21
613. चाय के निर्यात के सम्बन्ध में समन्वय के लिये श्रीलंका से वार्ता	Talks with Ceylon for Co-ordinating Export of Tea ..	21—22
614. रेल के इंजन तथा डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Rolling Stock ..	22—23
615. आयात का उदार बनाया जाना	Liberalisation of Imports ..	23
616. कूच बिहार तथा जलपाईगुडी जिलों में पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों द्वारा सीमा घटनायें	Border incidents by Pakistani Intruders in Cooch Behar and Jalpaiguri Districts ..	23—24
617. राज्यों में राजनीतिक हत्याएं	Political murders in States ..	24
618. रुई निगम द्वारा रुई व्यापार का कथित कुप्रबन्ध	Alleged Mishandling of Cotton Business by Cotton Corporation ..	25
619. भारत, यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य में त्रिपक्षीय करार	Tripartite Agreement among India, Yugoslavia and UAR ..	25—26
620. फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये लाइसेंस का दिया जाना	Issue of Licence to Phillips India Ltd. Manufacture of T.V. Sets ..	26
621. कच्चे माल के आयात और समाहार के लिये निगम	Corporation for Import and Procurement of raw materials ..	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
622. केरल राज्य में नक्सलवादियों द्वारा जमीदारों की हत्या	Landlords killed by Naxalites in Kerala State ..	27
623. राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन के धागे का आवंटन	Allocation of Nylon Yarn through STC ..	28
624. राज्यों को कच्चे ऊन का आवंटन	Allocation of Raw wool to States ..	28
625. राज्यों को विशेष सहायता	Special Assistance to States ..	29
626. दिल्ली के इर्दगिर्द औद्योगिक बस्तियों में बिजली की सप्लाई	Power supply to industrial Estates around Delhi ..	29—30
627. ऊनी उद्योग	Woollen Industry ..	30
628. गंगासागर मेले तथा डुबला द्वीप पर तीर्थ यात्रियों के लिये प्रबन्ध	Arrangements for Pilgrims visiting Ganga Sagar Mela and Dubla Island ..	30
629. गोविन्द सागर झील के पानी के वर्तमान नीचे स्तर के कारण पंजाब को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में कमी की आशंका	Cut in Power Supply to Punjab due to Present Level of Govindsagar Lake ..	31
630. पटसन का आयात	Import of Jute ..	32
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3829. अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा श्री श्रीधर पुरोहित को दत्तक के रूप में ग्रहण करना	Adoption of one Shri Sri Dhar Purohit by a Scheduled Castes Person ..	32
3830. करेंसी नोटों के साथ मद्रास में पकड़े गये व्यक्ति	Persons found with Currency Notes in Madras ..	32—33
3831. तमिलनाड की कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देना	Financial help to Tamil Nadu Textile Mills ..	33
3832. रामपुर में बन्दूक, पिस्तौल आदि के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियां	Arrests for manufacturing illegal Firearms in Rampur ..	34
3833. कलकत्ता स्थित रिजर्व बैंक में डकैतियां	Robberies in Reserve Bank, Calcutta ..	34—35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3834. सिविल पदों पर गैर भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति	Non Indians in Civil Posts	35
3835. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees working in Irrigation and Power Ministry ..	35—36
3836. नियुक्तियों के मामले में राजनीतिक पीड़ितों को दी गई रियायतों का वापस लिया जाना	Withdrawal of concession given to Political Sufferers in the Matter of Appointments ..	36
3837. जम्मू तथा काश्मीर में सम्पत्ति अर्जित करने वाले काश्मीरियों पर रोक को हटाने के लिये कार्यवाही	Steps to remove ban on non-Kashmiris acquiring property in J & K State ..	36—37
3838. मेटल स्क्रेप व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का भारतीय शिष्ट-मंडल का दौरा	Visit by Indian Delegation led by Chairman M.S.T.C. to South East Asian Countries ..	37—38
3839. दुर्गापुर में दमन करने के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को दिया गया अभ्यावेदन	Representation made to the Governor of West Bengal for Repression at Durgapur..	38
3840. विद्युत सम्बन्धी योजनाओं के लिये ठेके	Contracts for Power Schemes ..	38—39
3841. सिंचाई तथा विद्युत मंत्री द्वारा अन्धा मुगल का दौरा करना	Visit to Andha Mughal Delhi by Irrigation and Power Minister ..	40
3842. राज्य सरकारों तथा अधिकारियों को छात्र वृत्तियां अथवा सहायता के लिये विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं से सीधे बातचीत करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले आदेश	New order prohibiting State Governments and Officers to negotiate with Foreign Governments and Institutions for Scholarship or Aid	40—41
3843. मुसलमानों का राष्ट्रवादी मुसलमान के रूप में वर्गीकरण	Categorisation of Muslims as Nationalist Muslims ..	41
3844. प्रधान मंत्री की हत्या करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के षड़यंत्र के बारे में एक केन्द्रीय मंत्री का आरोप	Allegation made by a Union Deputy Minister about R.S.S.'s plot to kill Prime Minister ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3845. श्रीलंका में तमिल चलचित्रों की प्रविष्टि पर रोक	Ban on Entry of Tamil Pictures in Ceylon ..	41—42
3846. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita Expenditure in Rural and Urban Areas ..	42
3847. मद्रास में लाइसेंसों की काला बाजार में बिक्री	Sale of Licences in Black Market in Madras ..	42
3849. दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट विस्फोट के कारण	Causes of explosion near Jama Masjid Delhi ..	43
3850. हुगली तथा हावड़ा जिलों के बाढ़ पीड़ितों के लिये सहायता	Help to flood victims of Hooghly and Howrah District ..	43—44
3851. कावेरी जल विवाद पर मंत्रियों की वार्ता	Minister's talk on Cauvery Water Dispute ..	44
3852. निवारक नजरबन्दी अधिनियम के स्थान पर कोई दूसरा कानून बनाना	Enactment of some Legislation in place of Preventive Detention Act ..	44
3853. पश्चिम बंगाल में पुलिस की सुरक्षा के लिये की गई कार्यवाही	Step taken for security of Police in West Bengal ..	45
3854. बी० एस० एल० परियोजना, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Employees of B.S.L. Project, Himachal Pradesh ..	45—46
3855. हिमाचल प्रदेश की बी० एस० एल० परियोजना कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of B.S.L. Project, Himachal Pradesh ..	46
3856. बी० एस० एल० परियोजना हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिया जाना	Grant of Interim Relief to Employees of B.S.L. Project, Himachal Pradesh ..	46
3857. पोलैंड और बलगेरिया को मांसयुक्त खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of non vegetarian items to Poland and Bulgaria ..	47
3858. दिल्ली नगर निगम के सम्बन्ध में रेड्डी तथा मोरारका आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Recommendations of Reddy and Morarka Commissions on Delhi Municipal Corporation ..	47—50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3859. स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Delhi Administration for Freedom Fighters ..	50
3860. प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income ..	50—51
3861. राज्यों में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in States ..	51
3862. चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक डा० गिल को उपकुलपति बनाने का अनुरोध	Vice Chancellorship for Dr. Gill, Director C.S.I.O., Chandigarh ..	51—52
3863. भारतीय औषधियों का निर्यात	Exports of Indian Drugs ..	52
3864. तेल कम्पनियों को इस्पाती चादरों के आयात के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	CIF Value of Import Licences issued to Oil Companies for import of Steel Sheets ..	52—53
3865. राष्ट्रीय केलेण्डर	National Calendar ..	53
3866. मैसर्स माडल वूलन मिल्स, बम्बई पर मुकदमा	Prosecution of M/s Model Woollen Mills, Bombay ..	53—54
3867. गुटनिर्पेक्ष राष्ट्रों के लिये साझा बाजार	Common Market for Non Aligned Nations ..	54
3868. भारतीय नौसेना के जहाजों में नक्सलवादियों की घुसपैठ	Infiltration of Naxalite Elements in Indian Navy Ships ..	55
3869. मैसूर में अगरबत्ती का निर्माण करने वाले उद्योग	Agarbathi Manufacturing Industries in Mysore ..	55
3870. रबड़ का मूल्य	Price of Rubber ..	55—56
3871. प्रत्येक मंत्रालय / विभाग/ उपक्रम की स्थायी परामर्श-दात्री समितियां	Standing Advisory Committees for each Ministry/Department/Undertaking ..	56
3872. भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा इटली का दौरा	Visit by Indian Delegation to Italy ..	56—67
3873. गोआ में ट्रांजिस्टर युक्त टेलीविजन सेट का निर्माण करने के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Plant in Goa for Transistorized T.V. Sets ..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3874. राजस्थान के औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets by Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation ..	57—58
3875. रबड़ का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का विरोध	Opposition to fixation of minimum Price of Rubber ..	58
3877. भंग की गई यूनिटों के सैनिकों को रोजगार देना	Employment of demobbed Army Personnel..	58—59
3878. रेलों के फालतू पुर्जों का निर्यात	Export of spare Parts for Railways ..	59
3879. मनीपुर राज्य की हथकरघा सहकारी समिति की मांगें	Demands of State Handloom Co-operative Society Manipur ..	59
3880. छोटे तथा मध्यम आकार के कम्प्यूटरों की मांग	Demand for Small and Medium sized Computers ..	59—60
3881. अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त के विरुद्ध लेख याचिकाएं दायर करना	Writ Petitions filed against Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands ..	60
3882. फरक्का बांध पर पाकिस्तान से बातचीत का पुनः आरम्भ किया जाना	Resumption of talks with Pakistan on Farakka Barrage ..	61
3883. महानगरों में पुलिस दल का ढांचा	Composition of Police Force in Metropolitan Cities ..	61
3884. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व नरेशों के आश्रितों को भत्तों का दिया जाना	Payment of Allowances to Dependants of Former Rulers by Madhya Pradesh Government ..	62
3885. राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रपति भवन तथा राजभवनों पर केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision to Fly only National Flag on Rashtrapati and Raj Bhavans on National Days	62
3886. दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration ..	62—63
3887. नागालैंड द्वारा सीमा आयोग की मांग	Demand for Boundary Commission by Nagaland ..	63
3888. विद्युत उत्पादन की नई क्षमता तथा उसका वितरण	New Generating Capacity for Power and its distribution ..	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3889. बमों को बरामद करने के लिये कलकत्ता पुलिस द्वारा सेना की सहायता लिया जाना	Calcutta Police sought help of Army for Recovery of Bombs ..	64
3890. मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले को सिंचाई के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity for Irrigation Purposes to East Nimad District of Madhya Pradesh ..	64—65
3891. प्रक्षालकों तथा कालीनों के निर्यात के लिये रूस से करार	Agreement to supply Detergents and Carpets to USSR ..	65
3892. भूतपूर्व शासक मंडल संबंधी अनुच्छेद को समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of the Constitution to do away with Articles re : Institution of Princely rulers ..	65—66
3893. शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्यात	Export of Surgical Instruments ..	66
3894. बांदा तथा बुन्देलखंड की ऊबड़-खाबड़ भूमि में सिंचाई के अपर्याप्त साधन	Inadequacy of means of Irrigation in Banda and Bundelkhand (U. P.) ..	66
3895. बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये प्राप्त उपहारों के वितरण में भ्रष्टाचार	Corruption in Distribution of Gifts received for flood affected people ..	67
3896. केन नहर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये महान गंगऊ परियोजना पर कार्य	Work on great Gangau Project to increase irrigating capacity of Ken Canal ..	67
3897. धन की कमी के कारण केरल में सात परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कठिनाई	Construction of seven Projects in Kerala facing shortage of funds ..	67—68
3898. योजना आयोग में रिक्त स्थान	Vacancy in Planning Commission ..	68
3899. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति	Appointment of Chief Justice of Supreme Court ..	68
3900. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairmen of UGC and UPSC ..	69
3901. भगराई क्षेत्र में समुद्र तक सीधे कटाव और जल निकासी की व्यवस्था	Drainage arrangement and straight cuts to Sea in Bhograi area ..	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3902. रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में एक संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of a Plant by Rare Earths LTD in Orissa ..	70
3903. सिंचाई परियोजनाओं एवं कृषि उपकरणों के कल-पुर्जों का आपात के आधार पर आयात	Emergency imports of spares for Irrigation projects and agricultural Installations ..	70—71
3904. प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of C. R. P. in the event of natural calamities ..	71
3905. पुलिस पर आक्रमणों के संबंध में कलकत्ता पुलिस आयुक्त के मत	Observations of Calcutta Police Commissioner re. Attacks on the Police ..	72
3906. विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की अनुवादकों के रूप में नियुक्तियां	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Translators in various Ministries ..	72
3907. मलयेशिया को हथकरघे से बने कपड़े के निर्यात की संभावना	Handloom export prospects to Malaysia ..	72—73
3908. हंगरी के साथ व्यापार	Trade with Hungary ..	73
3909. अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन	Constitution of All India Medical Service ..	74
3910. हिमाचल क्षेत्र में भागीरथी और अलकनन्दा पर जलाशयों का निर्माण	Construction of Water Reservoirs on Bhagirathi and Alaknanda in the Himalayas ..	74—75
3911. गोवर्धन जल निकासी परियोजना	Goverdhan drain project ..	75
3912. छोटे रेशे वाली रुई का निर्यात	Export of short staple cotton ..	75—76
3913. केन्द्रीय सरकार की सेवा में कल्याण अधिकारी	Welfare officers in Central Government ..	76
3914. पूर्वी अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों को वापिस लेना	Withdrawal of tariff preference to East African countries ..	76—77
3915. काफी बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष स्थानीय प्रतिकर भत्ता	Special local compensatory allowance to Class IV Staff of Coffee Board ..	77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3916. चाय व्यापारियों को वित्तीय सहायता	Financial aid to tea traders ..	77
3917. जम्मू के विकास पर व्यय की गई राशि	Amount spent on development of Jammu ..	78
3918. हीरे के व्यापार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये यूरोपीय देशों को प्रतिनिधि मंडल का भेजा जाना	Delegation to European countries to gain know how in diamond trade ..	78—79
3919. पंजाब में बिजली की अत्यन्त कमी	Acute shortage of power in Punjab ..	79
3920. भारत में विदेशी मुद्रा के आने पर रोक लगाने के लिये एक परिषद् की स्थापना	Setting up of a Council to check inflow of Foreign Money ..	80—81
3921. निर्यात की समस्याओं के लिये अध्ययन दल	Study Group for Export Problems ..	81—82
3922. नक्सलवादियों द्वारा राज्यों में हिंसक घटनायें भड़काना	Volent incidents sparked off by Naxalites in States ..	82
3923. विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations from Abroad ..	82
3924. चम्बल नहर से मध्य प्रदेश को पानी की सप्लाई	Supply of Water from Chambal Canal to Madhya Pradesh ..	82—83
3925. आर्थिक समन्वय सम्बन्धी मंत्री मंडलीय समिति के समक्ष औद्योगिक लाइसेन्सों के लिये बकाया आवेदन-पत्र	Appications for Industrial Licences pending before Cabinet Committee on Economic Coordination ..	83
3926. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन मनाया जाना	Celebration of Birthday of Netaji Subhash Chandra Bose ..	83—84
3927. भूतपूर्व क्रान्तिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations made by former Revolutionaries and Freedom Fighters ..	84
3928. कलकत्ते के प्रमुख नागरिकों द्वारा सिटीजन फोरम का गठन	Formation of a Citizens Forum by Prominent Citizens of Calcutta ..	84—85
3929. उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Orissa ..	85
3930. भारत में सूती कपड़ा उद्योग की बुरी दशा	Bad shape of Cotton Textile Industry in India ..	85—86

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3931. तम्बाकू निगम	Tobacco Corporation	..	86
3932. प्रधान मंत्री द्वारा अपने जीवन को खतरे के बारे में वक्तव्य	Statement by P. M. re : danger to her life	..	86—87
3933. अफ्रीका को हीरों का निर्यात	Export of Diamonds to Africa	..	87
3934. रुई के आयात पर मिलने वाले लाभ का एक अंश सूती कपड़ा व्यापारियों को दिया जाना	Sharing of Commission on Cotton Imports	..	87—88
3936. कालीनों का निर्यात	Export of Carpets	..	88
3937. बिजली के संकट के लिये भाखड़ा बोर्ड पर आरोप	Blame on Bhakra Board for Power Crisis	..	88
3938. स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के कर्मचारियों का नियतन	Allocation of Staff of Post Graduate Institute, Chandigarh	..	89
3939. काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus for Coffee Board Workers	..	89
3940. दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार	Trade with South Africa	..	90
3941. मध्यावधि चुनाव ने दौरान प्रधान मंत्री के केरल के दौरे पर किया गया व्यय	Expenditure on Prime Minister's tours to Kerala during Mid-term poll	..	90
3942. चीन और रूस द्वारा किया गया आणविक विस्फोट	Nuclear Explosion conducted by China and Soviet Union		90—91
3943. चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects in Kerala in Fourth Plan	..	91
3944. पश्चिमी जर्मनी को कोसा रेशम का निर्यात	Export of Kosa Silk to West Germany	..	91—92
3945. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का केन्द्रीयकरण	Centralisation of Central Secretariat Clerical Service	..	92
3946. मंत्रालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों पर पदोन्नति	Promotion to posts of Senior Hindi Translators in Ministries	..	92
3947. रुई निगम द्वारा रुई का आयात	Import of Cotton by Cotton Corporation	..	93
3948. काफी बोर्ड के कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि शामिल किया जाना	Inclusion of Labour Union Representative into Coffee Board	..	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3950. भिवंडी, अहमदाबाद, चाइबासा और जगदलपुर में दंगों के दौरान तलाशी लिये गये मकान	Houses searched during Riots at Bhiwandi, Ahmedabad, Chaibasa and Jagdalpur ..	93—94
3951. नासिक के निकट, अमरीका निर्मित चालू ट्रांसमीटर पाया जाना	Live Transmitter of U. S. make found near Nasik ..	94
3952. एक लोहे तथा इस्पात नियंत्रक के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Centrai Vigilance Commissioner in respect of one Iron and Steel Controller ..	94—95
3953. कुप्रबन्ध के कारण सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills due to Mismanagement ..	95
3954. दिल्ली पुलिस मैनों की बहाली	Reinstatement of Delhi Policemen ..	95—96
3955. मध्य प्रदेश में तावा परियोजना की प्रगति	Progress of Tawa Projects in Madhya Pradesh ..	96
3956. चम्बल परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Chambal Project ..	96—97
3957. मध्य प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय	Expenditure on Major Irrigation Projects in Madhya Pradesh ..	97
3958. पश्चिम बंगाल में पकड़े गए छोटे तथा बड़े बम	Small and big bomb seized in West Bengal ..	97—98
3959. मिलों के लिये अपरिष्कृत ऊन का कोटा	Raw wool quota for mills ..	98
3960. ऊन की खुलेआम चोर बाजारी	Open Black in Wool ..	99
3961. विकास के लिये अतिरिक्त साधन जुटाना	Mobilisation of Additional Resources for Development ..	99
3962. एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Aluminium and Aluminium Products	99—100
3963. प्रशासन के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Use of Hindi and Regional Languages as Medium of Administration ..	101

विषय	Subject		पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3964. पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता	Irrigation Potential of West flowing Rivers	..	101—102
3965. सुवर्ण रेखा और बुरा बालांग नदी बेसिन में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने तथा भूमिगत पानी के लिये सर्वेक्षण	Cluster programme of Tube-wells and Survey for underground Water in Subernarekha and Burabalang River Basin	..	102—103
3967. नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Coir Industry Workers	..	103—104
3968. लोक निर्माण संघ, कार निकोबार की मांगें	Demands of Public Works Union, Car Nicobar	..	104
3969. नागपुर के चारों ओर के क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं	Better Irrigational Facilities in areas around Nagpur	..	104—105
3970. पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति कल्याण संघ को मान्यता	Recognition of S. C./S. T. Welfare Association in N. E. Railway	..	105
3971. संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा किये गये निर्णय	Decision taken by Joint Consultative Machinery	..	106—107
3972. भूतपूर्व नरेशों की मान्यता रद्द किये जाने के बाद राज्य सरकारों के तत्सम्बन्धी आदेश	Orders to State Governments after De-recognition of Former Rulers re : their Privileges	..	107
3973. पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistanis	..	107
3974. पाकिस्तान के साथ कोयले का व्यापार	Coal trade with Pakistan		108
3975. चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल के लिये वित्तीय आवंटन कटौती	Curtailment in Financial Allocations to West Bengal for flood control Measures	..	108
3976. उत्तर कोइल परियोजना	North Koel Project	..	108—109
3977. चिर सूखा ग्रस्त क्षेत्र के रूप में पालामू, गया शाहाबाद	Palamu, Gaya and Shahabad—a Chronically Drought-affected area	..	109
3978. पंजाब में बिजली की कमी का उद्योग और कृषि पर प्रभाव	Shortage of Power in Punjab affecting Industry and Agriculture	..	109—110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3979. सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीटयूट कलकत्ता में अनुसूचित जाति के कर्मचारी	Scheduled Caste Employees in Central Glass and Ceramic Research Institute Calcutta ..	110
3980. त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Tripura Employees ..	110—111
3981. नक्सलवादी तथा अन्य लोगों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में जनधन की हानि	Loss of Life and Property in West Bengal due to activities of Naxalites and others ..	111
3982. भारत अफगान व्यापार समझौते का विरोध	Protest against Indo Afghan Trade Agreement ..	111—112
3983. राज्य पालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes among Governors ..	112
3984. राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई कच्ची रबड़	Raw rubber purchased by STC ..	112
3985. ब्रिटेन में भारतीय मशीनी औजारों का आयात करने हेतु ब्रिटिश दल की भारत यात्रा	British group's visit to India for Importing Indian machine tools into U. K. ..	112—113
3986. पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़	Clashes between C. R. P. the Military, West Bengal Police and Naxalite in West Bengal ..	113—114
3987. तेलंगाना समस्या का हल	Solution of Telengana Problem ..	114
3988. तेलंगाना क्षेत्र का विकास	Development of Telengana Region ..	114—115
3989. योजना लक्ष्यों में परिवर्तन	Changes in plan Targets ..	115
3990. भूतपूर्व नरेशों की मान्यता को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में से मेघालय के खासी राजाओं को शामिल नहीं किया जाना	Exclusion of Khasi Rajahs of Meghalaya in Presidential Order for decrecognition of former Rulers ..	115
3991. महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं	Schemes re: rural electrification in Maharashtra ..	115—116

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3992. चिलका झील का विकास	Development of Chilka Lake ..	116—117
3993. बोटानिकल गार्डेन, लखनऊ पर सन्तापन समिति के प्रतिवेदन पर विचार	Consideration of Santapan Committee Report on National Botanical Gardens, Lucknow ..	117
3994. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों का शामिल न किया जाना	Exclusion of representatives from West Bengal from Brahamputra Flood Control Board ..	117
3995. आनन्द मार्ग आश्रम के निवासियों की हत्या करने अथवा हत्या करने के षडयंत्र के बारे में मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के जिला तथा सैशन न्यायाधीश का निर्णय	Judgement of District and Sessions Judge, Midnapur (West Bengal) re : murdering or conspiracy to murder inmates of Anand Marg Ashram ..	118
3996. मुजफ्फरपुर के निकट तापीय बिजली घर लगाना	Installation of Thermal Power Station near Muzaffarpur ..	118
3997. जलढाका पन बिजली केन्द्र से बिजली की सप्लाई का बन्द होना	Stoppage of power supply from Jaldhaka Hydel Power Station ..	118—119
3998. पश्चिमी बंगाल में सिंचाई विभाग की उपेक्षा के कारण वर्षा के जल से आप्लावित भूमि	Lands submerged with rain water due to negligence af Irrigation Department of West Bengal ..	119
3999. जेलों में भीड़	Overcrowding in prisons ..	120
4000. कोयम्बतूर जिले में पान्डयन पुरनम, पुझा नदी के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी का रुख बदला जाना	Diversion of tail race water of Pandiyan Purnam Puzha river in Coimbatore District ..	120
4001. कुण्डा जल भंडार के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी का उपयोग करने के लिये जांच पड़ताल	Investigation into utilisation of tail race waters of Kundha Hydel Storage ..	120—121
4002. विवाहित पुत्री की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों में पिता को सन्देह	Father suspects foul play in his married daughter's death ..	121
4003. राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of States' Minister for Irrigation and Power ..	121—122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4004. एक करोड़ भारतीय नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन का भारतीय जनसंघ द्वारा पेश करना	Memorandum signed by one crore citizens of India presented by Bhartiya Jan Sangh ..	122
4005. पोंग बांध और ब्यास और सतलुज को जोड़ने सम्बन्धी योजना में प्रगति	Progress of Pong Dam and Beas-Sutlej Link Scheme ..	122—123
4006. उत्तर बिहार के लिये एक विकास बोर्ड की मांग	Demand for a Development Board for North Bihar ..	123
4007. मुरैथा बिहार के निकट बांध का पानी तथा पुल (स्लाइक गेट कम ब्रिज)	Sluice Gate cum bridge near Muraitha, Bihar ..	123—124
4008. बौरक नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam on Borak River ..	124
4009. अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Pakistan spy arrested at Railway Station, Amritsar ..	124—125
4010. सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of cotton thread ..	125
4011. ब्यास परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा राशि बढ़ाना	Raising of compensation amount of Beas project oustees ..	125
4012. सरकारी सेवाओं में हरिजनों और आदिवासियों की प्रतिशतता	Percentage of Harijans and adivasis in Government Services ..	125—126
4013. हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर व्यय	Expenditure on Siul project, Himachal Pradesh ..	126
4014. राज्यों में विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का पूरा होना	Completion of various projects under construction in States ..	126—127
4015. न्यू सैंट्रल जूट मिल्स कलकत्ता के अध्यक्ष तथा निदेशक के पास विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange with Chairman and Director of new Central Jute Mills, Calcutta ..	127—128
4016. झारखण्ड राज्य का निर्माण	Creation on Jharkhand State ..	128
4017. बिहार में पुरुलिया का विलय	Merger of Purulia with Bihar ..	128
4018. भारतीय मशीनी औजारों के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ब्रिटेन का दौरा	Indian Delegation's visit to U. K. to promote exports of Indian Machine Tools ..	129

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4019. ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा खर्च किया गया धन	Money spent by Rural Electrification Corporation	..	129—130
4020. कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना में की गई गिरफ्तारियां	Arrests made in Calcutta, Howrah, Hooghly and 24 Parganas	..	130
4021. इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों का निर्माण करने हेतु इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड मद्रास को लाइसेंस दिया जाना	Grant of a Licence to English Electric Company of India Ltd., Madras to Manufacture Electronic Equipments	..	130—131
4022. कलकत्ता में हुए दंगे	Riots in Calcutta	..	131
4023. कागज नगर (आंध्र प्रदेश) में रेयन सिल्क का कारखाना	Rayon Silk Factory, Kagaz Nagar, (Andhra Pradesh)	..	131
4025. श्रेणी III और श्रेणी IV के राज्य सरकारों के कर्मचारियों की केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में बदली करने का प्रस्ताव	Proposal to Draft Class III and Class IV State Employees to Central Government Offices	..	131—132
4026. केरल, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के प्रस्तावों की निर्बाधिता के लिये अनिर्णीत पनबिजली और सिंचाई योजनाएं	Proposals re : Hydle and Irrigation Projects in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra Pending for Clearance	..	132
4027. दिल्ली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का मानदण्ड	Criteria for Promotions to Grade I posts in Delhi Administration	..	132—133
4028. दिल्ली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	Promotion to Grade I posts in Delhi Administration	..	133—134
श्री एस० सी० मुकर्जी, भूतपूर्व लौह तथा इस्पात उप-नियंत्रक की सभा के न्यायालय में भर्त्सना	Reprimand to Shri S.C. Mukerjee, formerly Deputy Iron and Steel controller, at the Bar of the House	..	134—135
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों की कथित हड़ताल	Reported Strike by Jute Workers in West Bengal	..	135—141
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	135
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	..	135—141

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	141
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re.Question of Privilege	..	141—142
नियम समिति—	Rules Committee—		
5 वां प्रतिवेदन	Fifth Report	..	143
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	..	143
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	..	143
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..	143—146
अतिरिक्त अनुदानों की मागें (रेलवे) 1968-69 और	Demands for Excess Grants (Railway) 1968-69 and		
अनुपूरक अनुदानों की मागें (रेलवे) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1970-71	..	147—171
श्री जि० मो० विश्वास	Shri J. M. Biswas	..	147—148
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	..	148—149
श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Koushik	..	150—151
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	..	151—152
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	..	152—153
श्री सोनावने	Shri Sonavane	..	153—154
श्री बि० प्र० मण्डल	Shri B. P. Mandal	..	154
श्री वें० बा० तारोडकर	Shri V. B. Tarodekar	..	154—155
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	..	155—156
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Sihgh	..	156—157
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	..	157—158
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	..	158—159
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	..	159—160
श्री बसवन्त	Shri Baswant	..	160
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	..	160—161
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	161
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapur	..	161—162
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Mishra	..	162—163
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	..	163—164
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	..	164—165

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohammed Imam	.. 165—166
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	.. 166—167
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 167
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 168
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	.. 168
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	.. 168—169
श्री राम धन	Shri Ram Dhan	.. 169
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	.. 169
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	.. 169
श्री गुलाम मुहम्मद बक्शी	Shri Gulam Mohammed Bakshi	.. 169
श्री जे० एन० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	.. 169—170
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	.. 170
श्री टी० एम० सेठ	Shri T. M. Seth	.. 170
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	.. 170
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	.. 170
श्री क० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	.. 170
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	.. 171
श्री नन्दा	Shri Nanda	.. 171
भारतीय कपास निगम की स्थापना के बारे में चर्चा	Discussion Re. Establishment of Cotton Corporation of India	.. 171—178
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar	.. 171—173
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 173—174
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	.. 174—175
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 175—176
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 176
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	.. 176—177

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 दिसम्बर, 1970 / 18 अग्रहायण, 1892 (शक)
Wednesday, December 9, 1970/Agrahayana 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार को उदार बनाने के सम्बन्ध में जी० ए० टी० टी० (गैट) के महानिदेशक द्वारा दिये गये सुझाव

*602. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० ए० टी० टी० (गैट) के महानिदेशक ने अपनी हाल की भारत यात्रा में सभी विकासशील देशों द्वारा व्यापार को उदार बनाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गाट के महानिदेशक ने विकासशील देशों के बीच व्यापार तथा प्रशुल्क बाधाओं को बहुपक्षीय आधार पर कम करने के लिये गाट में चल रही बातचीत को अत्यन्त सम्भाव्यतापूर्ण महत्व का कार्य बताया है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के पारस्परिक व्यापार को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इन वार्ताओं में सभी विकासशील देशों द्वारा भाग लिया जा सकता है। उन्होंने आशा प्रकट की कि जो विकासशील देश इन वार्ताओं में भाग नहीं ले रहे हैं, वे भी

उनमें भाग लेंगे ताकि विकासशील देशों के परस्पर व्यापार के सम्बन्ध में अधिक रियायतों का आदान-प्रदान हो सके ।

2. सरकार, गाट के महा निदेशक द्वारा दिये गये वक्तव्य का स्वागत करती है क्योंकि यह इस विषय में सरकार के विचारों के अनुकूल है ।

Shri Manibhai J. Patel : I do not know what is contained in the statement laid by the Hon. Minister on the Table of the House. May I know the names of the developing countries with which India has negotiated keeping in view the suggestions made by the Director-General of G. A. T. T. and the result thereof? Is the Government of India facing any difficulties in accepting those suggestions ; if so, the details thereof? The Director-General showed his readiness to co-operate if India wanted to increase her trade with other countries of the world. May I know the names of the countries with which the Government of India have negotiated in this regard and the progress made therein ?

Shri L. N. Mishra : As the Hon. Member is aware, the Director-General did not come here to represent any country. The G. A. T. T. is an International Organisation and its Director-General came here to hold talks with us. His main aim was to remove difficulties and unjustified tariff barriers in trade. He made so many useful suggestions. Those suggestions do not aim at having any trade negotiations with any country nor any negotiations have been held with any country. He pointed out that there must be mutual trade negotiations among the developing countries and the progressive countries should help them. He mainly aimed at removing the barrier in trade or business. No question of having any negotiation, through him, with any country arises.

Shri Manibhai J. Patel : The Director-General gave the suggestion that as a practice of sending goods from one country to the other has been established through mutual negotiations by the progressive countries of Europe, similarly the trade negotiations should be held for establishing the same practice in developing countries. May I know the suggestions made by him for increasing trade relations between progressive and non-progressive countries ? The European countries take foreign exchange by sending their goods to the Asian countries. Have Government considered over it that the Asian countries should send their goods to the European countries after holding negotiations and take foreign exchange ? There might be one thousand kinds of industries in the world in all. There might be about two hundred kinds of industries in India. Suppose there are one hundred textile mills in India but this industry is considered to be a single industry. He wanted to know the difficulties which India has to face in exporting her goods and what facilities he should give to remove them ? May I know the progress made in this regard ? It is connected with foreign exchange. If our goods are exported, we would get foreign exchange. That is why it is necessary to take much interest in this matter.

Shri L. N. Mishra : The question of foreign exchange is involved in every business. The Director-General came here to know fiscal condition of India. India is one of the eighteen founder members of GATT. No obstacle must be created against the developing countries in their mutual trade nor any unreasonable tariff barrier should be imposed. He held talks with us as well as with other countries. He often undertakes tours of various countries of the world so that their mutual trade may increase.

Shri Manibhai J. Patel : Which obstacles are there ?

श्री नन्द कुमार सोमानी : गैट के महानिदेशक द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रशंसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे हमारे देश पर विकासशील देश के होने के नाते न केवल

व्यापार को सरल बनाने का ही अपितु हमारे अपने प्रशुल्कों को कम करने का भी उत्तरदायित्व हो जाता है। विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके बारे में हम अब तक चर्चा करते रहे हैं, प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति का स्वागत करने के अलावा, इस घोषणा के बाद भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक हमने कोई कार्यवाही नहीं की है, हमने विभिन्न देशों के साथ वार्षिक अथवा दीर्घकालीन व्यापार संधियां कर रखी हैं और यदि गैट ने महानिदेशक श्री लोंग द्वारा दिये गये सुझाव हमारे हित में होंगे तो थोड़े ही महीनों में उन्हें विभिन्न देशों के साथ अपनी उन व्यापार संधियों में लागू किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि गैट के महानिदेशक द्वारा किये गये निवेदन के उत्तर में सरकार का विचार आयात नीति को विकासशील देशों से जितना सम्भव हो सके उतनी उदार बनाने का है और यदि हां, तो आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुएं बनाने की नीति का क्या हुआ ?

श्री ल० ना० मिश्र : उदार बनाने सम्बन्धी वार्ता का मुख्य उद्देश्य किसी भेद-भाव और अनुचित प्रशुल्क अवरोध का पता लगाने का था। यह उनकी प्रमुख चिन्ता थी। हमारे अधिकारियों तथा मैंने स्वयं उनके साथ बातचीत की और उन्होंने हमारी समस्याओं को समझने का भी प्रयास किया। हमारी बहुत से देशों के साथ, विशेषकर विकासशील देशों के साथ, बहुत सी समस्याएं हैं और हमने अपने व्यापार को विकसित करने वाली कठिनाइयां भी उनके समक्ष रखीं। उन्होंने अन्य पिछड़े देशों की समस्याओं के बारे में भी हमारे साथ बातचीत की थी।

Setting up of a Central Translation Bureau

*603. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Central Translation Bureau under his Ministry ;

(b) if so, whether the Hindi Assistants and Translators working in different Ministries, Departments and Attached Offices of the Government of India, will also be included in the said Bureau ;

(c) if so, the time by which they will be brought under the said Bureau ; and

(d) the number of posts being created in different pay scales in the said Translation Bureau ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The administrative structure of the Central Translation Bureau and creation and filling up of the posts therein are under consideration.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know from the Hon. Minister that as he is considering this matter, whether he is aware that in certain offices the salary of Translators to-day is lower than that of the Assistants working in the offices of the Government of India whereas the minimum prescribed qualification for Translators is post-graduate plus two years,

experience of Translation work and further they are required to undergo training for specialisation ? While creating the Central Translation Bureau will he consider about the salary of the Tarnslators, keeping in mind the technical nature of their work ? Will he also keep this in view that their salary should definitely be higher than thaf of Assistants and the present condition of different salaries in different Ministries must no longer remain in its present form ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The persons working as Translators in the Central Hindi Directorate will mainly work in the proposed Central Translation Bureau. The Hon. Member has asked whether the Hindi Assistants working in other Ministries would be taken in the proposed Bureau on the basis of their qualifications. It is true that some persons are capable and trained and they would be considered on the basis of their capability as and when the recruitment is done.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Hon. Minister make arrangements to the effect that 75 per cent of the promotions are given to the persons who are already working as Translators and only 25 per cent of the fresh candidates may be appointed to higher posts ? Is he considering over taking such a decision ?

Shri Ram Niwas Mirdha : At this time it is difficult to say anything about the nature of arrangements but the persons working as Translators in the Ministry of Education would mainly be taken in the said Bureau and apart from that selection will be made after considering the qualifications of the Assistants or other persons whosoever are available at the time of recruitment. At this time nothing can be said about the percentage. The question of taking such a decision does not arise at this time.

Shri S. M. Joshi : Would the Hon. Minister try to evolve any policy by which the persons knowing both Hindi and English may be encouraged in the Administration as they encouraged the persons working as Typist-cum-clerk previously ?

Shri Ram Niwas Mirdha : So far as the Translation work is concerned, preference will be given to the persons having good command over both the languages and so far as general-policy is concerned, it is the policy of the Government to encourage the persons knowing both the languages. But it does not seem practicable to make rules in this regard because there is an impression of some people that proper justification would not be done to the persons not knowing both the languages. Therefore, everyone must be kept at equal level.

Shri S. M. Joshi : Will they be given some additional allowance ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The question of giving additional allowance does not arise to-day because this question..

Shri S. M. Joshi : Will they give some encouragement to the persons knowing both the languages ?

Shri Ram Niwas Mirdha : We are considering to give them incentives by several other means.

श्री रा० की० अमीन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में अनुवाद कार्य संगणकों की सहायता से किया जाता है और यदि हां, तो क्या वह यहां भी अनुवाद कार्य के लिए संगणकों का प्रयोग करना चाहेंगे ? यदि उन्हें इसकी जानकारी भी है तो क्या वह सरकार की रोजगार सम्बन्धी नीति अथवा अन्य किसी कारणवश ऐसा नहीं करना चाहते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि किसी प्रकार का अनुवाद कार्य संगणकों की सहायता से करने का प्रयास किया गया है परन्तु मुझे संगणकों द्वारा अनुवाद कार्य में की गई गम्भीर त्रुटियों की जानकारी है। अनुवाद कार्य सृजनात्मक होने के कारण हम इस कार्य के लिए संगणक नहीं लगाना चाहते हैं। हमारे विचार से संगणक जैसा यांत्रिक उपकरण इस कार्य को उचित ढंग से नहीं कर सकेगा।

नये राज्यों का बनाया जाना

+
*604. **श्री बलराज मधोक :**

श्री एम० नारायण रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय नामक चार नए राज्य बनाने की योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या तेलंगाना और विदर्भ को राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए अधिक सशक्त आधारों पर मांग की जा रही है ;

(ग) या अनेक व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया है कि विभिन्न प्रकार के दबाओं में आकर अव्यवस्थित रूप से नए राज्य बनाने की अपेक्षा आर्थिक, सामाजिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने किन्हीं नये राज्यों का निर्माण नहीं किया है। यह संसदीय विधान द्वारा करना पड़ता है । हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिये एक विधेयक को इस सत्र के दौरान पुरःस्थापित करने का विचार है। जहां तक मनीपुर त्रिपुरा और मेघालय का सम्बन्ध है, सरकार ने उन्हें राज्य का दर्जा देने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है किन्तु विधायी ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). सरकार को ऐसे सुझावों की जानकारी है किन्तु वह एक आयोग द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के सम्पूर्ण प्रश्न को एक नये सिरे से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती है ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्यों और हरियाणा तथा पंजाब जैसे छोटे राज्यों से दो अनुभव हुए हैं—वे ये हैं कि छोटे राज्यों में कहीं अधिक समन्वित, उचित और शीघ्र आर्थिक विकास की सम्भावना है और वे लोकतन्त्र की दृढ़ता के लिये अधिक उपयुक्त हैं, उनमें अधिक प्रभावी प्रशासन होता है और वे केन्द्र को चुनौती भी नहीं देते ? इन अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार सारे देश में छोटे-छोटे राज्य बनाने-विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री रंगा : और बिहार भी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह काफी विवाद-ग्रस्त प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति इस तर्क का

दूसरा पक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु मेरे विचार में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

राज्यों और केन्द्र के बीच एक संतुलन है जो संविधान द्वारा जान-बूझकर रखा गया है। यह भी एक प्रश्न है कि छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करके क्या उस संतुलन को समाप्त कर दिया जाय।

श्री बलराज मधोक : उन्होंने यह कहा है कि वे संतुलन समाप्त नहीं करना चाहते। क्या यह सच नहीं है कि चार छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना से सहमत होकर उन्होंने पहले ही उस संतुलन को समाप्त कर दिया है ? क्या यह सच नहीं है कि अपर आसाम राज्य, विदर्भ और तेलंगाना के निर्माण के लिये अब दबाव डाला जा रहा है और इन मांगों पर राजनैतिक दबाव के आधार पर विचार किया जायगा, न कि गुण दोष के आधार पर ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भाषायी आधार पर राज्य बनाने के सिद्धान्त की पूर्ण रूप से अवहेलना कर दी गई है क्योंकि एक से अधिक हिन्दी-भाषी राज्य हैं और जम्मू तथा कश्मीर बहु-भाषीय राज्य हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक ही भाषा के एक से अधिक राज्य नहीं हो सकते, समग्र देश के हित में तमिल-भाषी और तेलुगु-भाषी आदि एक-एक से अधिक राज्य नहीं हो सकते ? इस प्रयोजन के लिए, क्या सरकार का विचार एक आयोग नियुक्त करने का है जो अनियमित रूप से कार्य करने की अपेक्षा किन्हीं निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करे, जिससे कि उन सभी बातों पर विचार किया जा सके जिनका मैंने उल्लेख किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार के विचार में यह सर्वाधिक वांछनीय होगा कि राज्यों की सीमाओं में बार-बार परिवर्तन न किया जाय और इन प्रश्नों के ऊपर राजनैतिक आन्दोलन करने की बजाय उनके विकास-कार्य पर ध्यान केन्द्रित करना अधिक श्रेयस्कर होगा। परन्तु कभी-कभी जब कुछ समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसाकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बारे में है, और तब एक तर्क संगत तरीका अपनाना होता है, विभिन्न आवश्यकताओं के कारण छोटे राज्यों की भी स्थापना करनी पड़ती है। यह भी सच है।

श्री बलराज मधोक : क्या मैं यह मान लूं कि जब तक पुनर्गठन आयोग की स्थापना नहीं होगी, तब तक अन्य राज्यों का निर्माण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर सुन लो और तर्क मत करो।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि तेलंगाना के बारे में दो विरोधी प्रतिनिधि-मण्डल प्रधान मंत्री से मिले और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में दो विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये कि प्रधान मंत्री तेलंगाना की स्थापना के लिए सहमत हैं और प्रधान मंत्री इस पर कतई विचार करने को तैयार नहीं आदि-आदि / आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की नवीनतम सिफारिश क्या है ? क्या सरकार ने सिद्दीपेट उप-चुनाव के राजनैतिक महत्व पर भी ध्यान दिया है, जहां तेलंगाना की जनता ने तेलंगाना की स्थापना के पक्ष में अपनी जबर्दस्त इच्छा व्यक्त की है ? केन्द्रीय सरकार की नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रधान मंत्री जी··

श्री रंगा : प्रधान मंत्री जी ने प्रतिनिधि मण्डलों से क्या कहा, यह उन्हें स्वयं बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। दोनों ही यहां पर हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी हाल में प्रधान मंत्री जी ने तेलंगाना के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया था। 11 नवम्बर को उन्होंने राज्य सभा में जो कहा था, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "तेलंगाना एक पूर्णतः भिन्न समस्या है। वहां कतिपय आर्थिक समस्यायें हैं। हमने यह निश्चित करने के लिये कुछ उपाय किए हैं कि जो समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं, उनका समाधान हो। यह देखने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि इनका क्या प्रभाव होता है।"

श्री रंगा : क्या यह पर्याप्त है? मुख्य मंत्री की नवीनतम सिफारिश क्या है? सिद्दीपेट चुनाव के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : चुनाव परिणामों के पश्चात्, यह एक राय का प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी हाल में मुख्य मंत्री ने कोई सिफारिश नहीं की है। प्रधान मंत्री जी ने समीक्षात्मक बैठकें की हैं और क्षेत्रीय समिति तथा विकास समिति, योजना क्रियान्वयन समिति आदि जैसी अन्य समितियां लगातार इन मामलों की समीक्षा करती रहती हैं। जहां तक चुनाव की व्याख्या करने का प्रश्न है, यह तो इस पर निर्भर करता है कि कौन इसे देख रहा है और किस दृष्टि से देख रहा है।

श्री को० सूर्यनारायण : क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां, जल-विवादों आदि से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां और देश के विकास को भी ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार देश को चार या पांच राज्यों में विभाजित करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी, क्योंकि इसके पक्ष में देश में एक आम भावना है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र को यह ज्ञात है कि भाषायी आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारित करने का कार्य राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया था। अधिकांश राज्य सीमाओं का निर्धारण किया जा चुका है, परन्तु अभी भी कुछ शेष समस्यायें अनिर्णित पड़ी है। एक एक करके समस्याओं का समाधान किया गया है, परन्तु हमारे जैसे विशाल देश में संभवतः समय-समय पर इस प्रकार की समस्यायें उठती रहेंगी, इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और अगर प्रत्येक अवसर पर नये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करके समाधान खोजा जाय, तो इससे सम्भवतः समस्यायें सुलझने की बजाय और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। जहां आज कोई भी समस्या नहीं है, वहां भी समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। इससे आन्दोलन आदि उत्पन्न होंगे और इसलिए, मेरे विचार में ऐसा करना उचित नहीं होगा।

Shri Shinkre : Many a time demands for making small autonomous States are raised and according to the Government's policy, we find that Government takes steps to create small States. We hope that union territory like Goa, Daman and Div would also be given a status of autonomous State, but I want that small territories should not be given a status of independent autonomous State, but instead as Shri Madhok has urged—another Commission should be set up so that shortcomings in the work of previous commission may be overcome. There is a distance

of 400 miles between Goa and Daman and a distance of 700 miles between Goa and Div, but even then these are all the parts of one single territory. Similar situation is that of Pondicherry—There is a distance of hundred miles between Pondicherry, Karaikal and Mahe. I want to know whether Government would take steps to overcome these shortcomings ?

Shri K. C. Pant : It would be better if the Hon'ble Member has a clear mind before he asks any question.

श्री बलराज मधोक : उन्होंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। वह इसका उत्तर क्यों नहीं देते ? माननीय मन्त्री बहुत बुरे तरीके से पेश आये हैं। उन्हें उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री शिंकरे : यह मेरे प्रश्न का अपमानजनक उत्तर है और श्री कृष्ण चन्द्र पन्त से मुझे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी (**व्यवधान**) क्या यह सच नहीं है कि गोवा और दमन में 400 मील का अन्तर है, गोवा और दीव में 700 मील का अन्तर है, क्या एक राज्य में तीन क्षेत्रों को रखना अच्छा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य का निरादर करने का मेरा कभी भी आशय नहीं था, सदन के बाहर भी वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, किसी का अपमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। छोटे राज्यों की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता के बारे में उन्होंने दो रायें प्रकट की। इसी बारे में मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्य अपना विभाग पहले साफ कर लें और अपने प्रस्ताव हमें दे दें, तो हम उन पर विचार करेंगे। हो सकता है हिन्दी में मेरा कथन कुछ सदस्यों को बुरा लगा हो। मेरे कथन का जो कुछ मतलब था वह यह है कि कतिपय निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद वह अपने प्रस्ताव दें तो हम उन पर विचार करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : उत्तर बंगाल के गोरखाली भाषी क्षेत्रों में, जो कि उप-राज्य का दर्जा चाहते हैं अथवा अनेक आदिवासी क्षेत्रों में, जो स्वायत्तशासी राज्य के विशेष दर्जे की मांग करते हैं, समय समय पर होने वाले आन्दोलनों के आगे झुकने की बजाय और देश के विभिन्न भागों में असन्तोष की उथल पुथल को आन्दोलनों के रूप में प्रतीक्षा करने की बजाय, क्या सरकार के लिए यह वांछनीय नहीं होगा कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में एक ऐसी व्यवस्था की जाय, जो अपेक्षाकृत स्थायी हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिस उथल पुथल का मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया, उनमें से अधिकांश का मूल कारण कुछ आदिवासी क्षेत्रों की जनता की तीव्र गति से विकास की इच्छा है। इसका ध्यान रखना है। स्पष्टतः इसका समाधान राज्य के अन्तर्गत संतुलित विकास करने के लिए आयोजन प्रक्रिया का प्रयोग करने में ही निहित है, क्योंकि आप राज्यों का गठन किसी भी प्रकार करें उन राज्यों के अन्तर्गत सदैव ही अपेक्षाकृत कुछ कम विकसित क्षेत्र रहेंगे। इसलिए जब आर्थिक विकास का प्रश्न सामने आता है, तो अन्ततोगत्वा एक प्रक्रिया ढूंढ़नी ही होगी, इन क्षेत्रों के आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजना की प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ न कुछ करना ही होगा। इसी में समाधान निहित है। यह सच है कि अगर कोई नये संसाधनों अथवा अधिक संसाधनों की खोज कर सकता है, तो इन क्षेत्रों पर अधिक धन व्यय किया जा सकता है। योजना आयोग ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को निश्चित करने का प्रयास कर रहा है और इसी दिशा में सरकार भी समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास कर रही है।

Shri Nageshwar Dwivedi : I would like to know from the Hon'ble Minister whether in view of the fact that size of States is unduly large and when a slogan of "A small faimly is a happy family" is given out in every street, Government would take steps to set up a new Commission to create smaller States as they are most likely to be more stable from security and economic point of view?

Shri K. C. Pant : I could not quite follow him. Is he in favour of smaller States?

Shri Nageshwar Dwivedi : I am in favour of smaller States.

Shri K. C. Pant : If he is in favour of smaller States, it would be against the family planning.

श्री स० कुण्डू : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक कब पेश किया जायगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार घनी आबादी वाले राज्यों की प्रशासनिक कठिनाइयों से अवगत है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर प्रदेश अथवा बिहार अथवा ऐसे अन्य बड़े राज्यों की प्रशासनिक कठिनाइयों को उन राज्यों द्वारा ही हल किया जाता है। ये ऐसी इकाइयां हैं जिनके स्वरूप के बारे में काफी लम्बे अर्से से हस्तक्षेप नहीं किया गया है ... (**व्यवधान**)

श्री नाथ पाई : हस्तक्षेप मत कीजिए; उन्हें मान्यता दीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरी देश भक्ति उग्र स्थानीय निष्ठा नहीं है। (**व्यवधान**) मैंने यह कहा कि मेरी देशभक्ति उग्र स्थानीय निष्ठा नहीं है। मैं केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का उल्लेख कर रहा था, क्योंकि ये बड़े राज्य हैं। मैं यह भी कह रहा था कि ये ऐसी इकाइयां हैं जिन्होंने, इस विषय की जांच करने वाले राज्य पुनर्गठन आयोग और अन्य आयोगों के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाये रखा है। अधिकांशतः यह ठीक ही है कि उन कारणों की वजह से इन क्षेत्रों के स्वरूप में हस्तक्षेप न किया जाय, जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री स० कुण्डू : विधेयक पेश करने के बारे में क्या उत्तर है ? मणिपुर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने कहा है कि हम इसी रूप में विधेयक पेश करने जा रहे हैं और मैंने यह भी कहा है कि जहां तक मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का सम्बन्ध है, उन्हें राज्य का दर्जा देने की बात सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है, परन्तु अभी पूर्ण ब्यौरे तैयार किये जाने हैं। यह मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में भी कहा है।

श्री चेंगलराया नायडू : इतने अल्प समय में चार राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। मगर इन सभी पहलुओं पर विचार करने पर हम पाते हैं कि ये चार राज्य मिलकर भी तेलंगाना के बराबर नहीं होते। पता नहीं प्रधान मन्त्री तेलंगाना के बारे में निर्णय क्यों नहीं लेतीं। तेलंगाना की तरह विदर्भ और दिल्ली भी पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के हकदार हैं। क्या जिस प्रकार से इन चार राज्यों के बारे में प्रधान मन्त्री ने साहस पूर्ण निर्णय लिया है, उसी प्रकार इन तीन राज्यों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वह निर्णय लेंगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोई भी निर्णय केवल साहसपूर्ण ही नहीं होना चाहिए, वह राष्ट्रीय हित में भी होना चाहिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मन्त्री महोदय ने अभी अभी कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के स्वरूप के बारे में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यह उन्हें दी जाने वाली सहायता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उन राज्यों में रहने वाली जनता के स्वभाव के कारण है। उत्तर प्रदेश महज "जिन्दा" नहीं रहना चाहता; उत्तर प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है। अगर हरयाणा जैसा छोटा राज्य छोटे से छोटे गांव सहित प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर सकता है मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं—तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण होने में क्या बाधा है। मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहूंगी कि उन्होने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा न रहे और मैं यह भी जानना चाहूंगी कि विद्युतीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि क्यों नहीं है। चाहे कोई राज्य छोटा हो अथवा बड़ा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य के साथ मैं पूर्णत: सहमत हूं, राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी जायगी।

Shri Ram Charan : I would like to know whether in view of Government's policy of creating States, having even less than ten million population, U. P. which has 100 million population, would also be divided so that there may be proper administration and equitable development ?

Shri K. C. Pant : No, Sir.

श्री जि० मो० बिस्वास : श्रीमान् जी, यद्यपि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया था पश्चिम बंगाल की जनता बहुत सन्तुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी बंगाली भाषी क्षेत्र बिहार में है। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन क्षेत्रों में रहने वाली जनता बंगला भाषी है, क्या सरकार बिहार के उस भाग को पश्चिम बंगाल में शामिल करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री बाकर अली मिर्जा : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा जी नहीं। प्रश्न यह है कि तेलंगाना की मांग पर भी जोर दिया जा रहा है। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य यह है:

> "पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए मणिपुर और त्रिपुरा की जनता की महत्त्वाकांक्षाओं की हम सराहना करते हैं और इन महत्त्वाकांक्षाओं के पीछे भावना की शक्ति को हम स्वीकार करते हैं और परिस्थितियों का जायजा लेते हुए......" आदि आदि।

मेघालय के बारे में उन्होंने यह कहा कि यह एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी जनता रहती है। अगर प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को यह नहीं पता कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग का दृढ़तापूर्वक समर्थन करती है, तो यह बात ग्रामीण और शहरी

क्षेत्रों में अभी हाल में हुए चुनावों के परिणामों से निसंदिग्ध रूप से सिद्ध हो चुकी है। अगर इसमें कोई सन्देह है, तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूं और आन्ध्र से आने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव लड़ सकता हूं और चुनाव परिणाम से ही इसका फैसला होने दो। उससे लोगों की महत्त्वाकांक्षाओं का पता चल जायेगा। श्रीमान् जी, आप मुझे अवसर ही नहीं देते। क्या मैं असंगत बात कर रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप भाषण दे रहे हैं, फिर तो पूर्णतः संगत बात कर रहे हैं; परन्तु यह तो प्रश्न काल है।

श्री बाकर अली मिर्जा : चूंकि उन्होंने "नहीं" कहा, इसलिए मैं कारण बता रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मणिपुर और त्रिपुरा की जनता की राय और तेलंगाना की जनता की राय में क्या कोई अन्तर है ? श्रीमान् जी, आप सदैव ही मुझ पर दबाव डालते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने पूर्वाग्रह को दूर कीजिए। मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा। अच्छा आगे पूछिये।

श्री बाकर अली मिर्जा : उन्होंने किस आधार पर इन चार राज्यों का निर्माण किया है ? इन सभी का कोई आधार नहीं है उन पर राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया था। मगर अब आप एक नया सिद्धान्त बना रहे हैं। कश्मीर के महाराजा का स्वप्न पूरा करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश में से डोगरी राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं। ये सभी निर्जीव राज्य हैं। परन्तु तेलंगाना जीवित राज्य है और इसे राज्य पुनर्गठन आयोग का भी समर्थन प्राप्त है। मैं सरकार के विचार जानना चाहता हूं और प्रधान मन्त्री जिनका तेलंगाना आन्दोलन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, राज्य के दर्जे के आधार पर समाधान प्रस्तुत क्यों नहीं करती। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, राज्य के दर्जों के प्रश्न पर बातचीत नहीं की जा सकती। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले पर भारत सरकार कब निर्णय करेगी और कब स्पष्ट रूप से यह बतायेगी कि हमें वह राज्य का दर्जा नहीं देगी। मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह वहां की जनता की भावनाओं से परिचित हैं और क्या उन्हें पता है कि बहुत शीघ्र ही यह आन्दोलन अलोकतन्त्रीय मोड़ ले लेगा ? क्या वे और ज्यादा नौजवानों की हत्या करवाना चाहते हैं ? मैं प्रधान मन्त्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग के बारे में मुझसे पूछा गया था और मैंने कहा कि सरकार उस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, परन्तु सरकार उक्त क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि करने के अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रही है। मेरे विचार में यह मुख्य समस्या है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, the Government has granted full Statehood to Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Meghalaya and Nagaland. Firstly, I want to know whether these States can meet their expenses or to what extent they would be a burden on the Central Government ? Day before yesterday, when a deputation from Delhi met the Prime Minister, she stated that she did not want to divide the country in many parts. I was happy to know that. I want to know when she does not want to divide the country in many parts, why these small States are being created ? I want to know whether Government is prepared to set up a new Commission to divide the whole country into five parts ?

Shri K. C. Pant: Hon'ble Member put a question regarding economic viability. I have got the figures with me ; if he likes, I can furnish them. The budget estimates of Himachal Pradesh for the year 1970-71 show revenue receipts of about Rs. 20 crores, non-planned expenditure as 40 lakhs of rupees and revenue gap as 20 crores of rupees. The non-planned revenue gap for Manipur and Tripura is about ten crores and about fourteen crores of rupees respectively.

Shri Balraj Madhok : What about Nagaland ?

Shri K. C. Pant : I don't have figures for Nagaland at the moment. At present I have figures only of the union territories.

The other question Hon'ble Member put was whether the country would be divided in four or five States ? I have already replied to that.

Shri Ram Gopal Shalwale : I had referred to the Prime Minister. Day before yesterday, she had told the deputation from Delhi that she did not want to divide the country in many parts. If Delhi is granted full statehood, the country would be divided. I want to know why they have divided the country by creating so many smaller States ?

Shri K. C. Pant : There is no question of division. The Hon'ble Member is well aware of the problems of these areas and of the reasons for which these States were created.

रूस को शल्य-चिकित्सा के उपकरणों का निर्यात

*606. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से अगले चार महीनों में रूस को शल्य चिकित्सा के उपकरणों का निर्यात किया जायेगा;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच इस आशय के करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). जनवरी से अप्रैल, 1971 तक की अवधि में 23.96 लाख रु० मूल्य के यन्त्रों की भारत से सोवियत संघ को पूर्ति के लिये इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, नई दिल्ली और मेडेक्सपोर्ट, मास्को के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

Shri Yashpal Singh : What were the basis for this Agreement ? Was it on 'bartar' basis or rupee payment basis, an exchange basis or gradual basis ?

Shri L. N. Mishra : We are having rupee trade with Russia. Thesre is a bilateral trade pact between us and that too is on rupee payment basis.

Shri Yashpal Singh : Why this Agreement was signed only upto the period ending April, why not for the whole year ? Normally, all agreements are signed for one year, then why this agreement was signed only for four months ?

Shri L. N. Mishra : Our trade agreement with Russia was going to expire and we were in need of surgical instruments. It is for this reason that the Agreement was signed. New agreement, as and when signed, will replace it.

रूस से आयात

*607. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 में भारत का रूस से आयात लगभग 170.40 करोड़ रुपयों का हुआ तथा इसमें से लगभग 53.70 करोड़ रुपये का व्यापार "ऐसे विशिष्ट व्यापार, जो किस्म के अनुसार वर्गीकृत नहीं है और जिसका अन्यत्र उल्लेख नहीं है" की श्रेणी में हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणी में शामिल की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जिन आयातों को संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अन्तर्गत दी गई विद्यमान श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता उन्हें "विशेष सौदे" नामक सामान्य सूची में एक साथ रखा जाता है । इसके फलस्वरूप, सांख्यिकीय अधिकारियों के पास ऐसी मदों के सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : मैं आपसे यह विचार करने के लिये कहूंगा कि आयात की मात्रा बहुत अधिक है और जानबूझ कर इस सदन को वास्तविक सूचना नहीं दी जा रही और कैसे नहीं दी जा रही, इसे मैं सिद्ध करूंगा । यदि ऐसा है तो सदस्य अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

ये वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी सरकार के अपने मासिक आंकड़े हैं । जिनमें अन्न, कच्चा माल ईंधन, रसायन, मशीनरी, औजार आदि आदि सरीखी डेढ़ करोड़ रुपये की लागत वाली वस्तुएें दिखायी गयी हैं । लेकिन 53 करोड़ रुपये की लागत सम्बंधी ऐसे भी विशेष सौदे हैं जिनका आयात इस वर्ष पहली बार हुआ है और जिन्हें ये बताना नहीं चाहते । पिछले वर्ष इसका आयात नहीं हुआ । तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यदि डेढ़ करोड़ रुपये का ब्यौरा देने को तैयार हैं तो विशेष सौदे के रूप में रूस से आयात किये गये 53 करोड़ के सौदे का ब्यौरा क्यों नहीं देते ?

श्री लोबो प्रभु : चुनाव के लिये कितना है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इसमें कुछ सुधार करूंगा । यह 53 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 64 करोड़ रुपये हैं । "विशेष सौदे" की परिभाषा केवल रूस पर ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, चेकोस्लोवेकिया, जापान, पश्चिमी जर्मनी पर भी लागू होती है · · **(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं । ये विशेष सौदे वे मदें हैं जो न तो विविध मदों के बीच आती हैं और न ही स्टैंडर्ड मदों के बीच ।

श्री पीलु मोडी : हमें कुछ उदाहरण बताइये ।

श्री ल० ना० मिश्र : बढोतरी का कारण इस वर्ष कुछ प्रतिरक्षा की सामग्री का मंगाया जाना है । सदन से किसी बात को छिपाने का प्रश्न नहीं है । चूंकि प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ सामग्री का क्रय किया गया, इसलिये यह आंकड़े इस वर्ष 64 करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही सदस्य का विश्वास क्यों नहीं करते जो प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह : हम मंत्री महोदय पर विश्वास नहीं करते ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह बुरी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि श्री तापड़िया तथा कुछ अन्य सदस्य बहुत जवान हैं लेकिन मैं श्री लोबो प्रभु के बारे में बहुत हैरान हूं जो काफी वृद्ध तथा परिपक्व हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : सदन को संतुष्ट किया जाना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : आपने स्वयं भी अनुभव किया है कि प्रश्न विशिष्ट है लेकिन उत्तर निरर्थक । इतना लम्बा उत्तर देने के बाद भी वह 53 करोड़ रुपये की सामग्री में से एक मद का नाम भी नहीं बताना चाहते हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से पूछने के लिये आपकी रक्षा चाहूंगा । इंजीनियरिंग सरीखी आधा दर्जन ऐसी मदें हैं जो प्रतिरक्षा से सम्बन्धित नहीं हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि मैंने कहा, 64 करोड़ रुपये के विशेष सौदे के बीच ऐसी कुछ मदें थीं जो स्टेंडर्ड मदों के बीच शामिल नहीं की जा सकती थीं, कच्चा माल, खली आदि ऐसी मदें हैं, जो आम मदों में शामिल नहीं की जा सकतीं अतः हम उन्हें इसमें रखते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय क्या आप उस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री पीलु मोडी : क्या मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में चल रहे छल कपट का पर्याप्त सबूत नहीं दिया ?

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या निकल सरीखी कुछ वस्तुओं के रूस तथा यूरोप के अन्य देशों से खरीदने में मूल्य का अंतर है, यदि है, तो कितना ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं सीधा उत्तर नहीं दे सकता लेकिन मूल्य का कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि निःशुल्क विदेशी मुद्रा तथा रुपये की अदायगी का प्रश्न है रूस के साथ हमारी रुपयों में अदायगी की व्यवस्था है और सम्मत है कि कुछ अंतर हो । लेकिन इस समय मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पीलु मोडी : 100 प्रतिशत ।

श्री ल० ना० मिश्र : यदि आप के मन में पक्षपातपूर्ण भावना हो तथा तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं आप को बता दूं कि छल कपट वाली कोई बात नहीं है । छिपाने वाली बात भी कोई नहीं "विशेष सौदों" की धारा रूस पर ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिये भी लागू होती है । यह हमारे व्यापार समझौते का एक अंग है ।...

श्री पीलु मोडी : आप मदों का नाम लीजिये, कम से कम कुछ मदों का ही नाम लीजिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसे कि मैंने आपको बताया उनमें से कई मदें प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हैं और कुछ कच्चे माल... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । हर समय आप विघ्न डालते रहते हैं ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दो बार कहा है कि रूस के अतिरिक्त भारत सरकार के संयुक्त राज्य अमरीका और जापान से भी विशेष सौदे होते हैं। यदि ऐसा है तो संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के साथ विशेष सौदे के लिये कितनी राशि रखी गयी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास 1966-67 से लेकर 1969-70 तक के आंकड़े हैं 1969-70 के आंकड़े इस प्रकार हैं रूस—64 करोड़ रुपये ब्रिटेन—4.35 करोड़ रुपये संयुक्त राज्य अमरीका—2.34 करोड़ रुपये चेकोस्लावेकिया—1 करोड़ रुपये जापान—2.75 करोड़ रुपये पश्चिम जर्मनी—49 लाख रुपये

Shri Prakash Vir Shastri : Figures given by the Hon. Minister indicate the specific transactions which are nowhere mentioned. The imported defence items cannot easily be indicated. But what is the objection in revealing other items ? I want that other items should be revealed so that there is no reason for doubt.

He has stated the amount of Rs. 64 crores in respect of transactions made with the U. S. S. R. the maximum figures revealed by you in respect of other countries is two crores of rupees. I want to know the reasons for the difference between the two.

Shri L. N. Mishra : Reason for the difference is clear. We purchase more defence material from Russia than from America.

So far as material is concerned, primary material other than defence material is also included therein.

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon. Minister has admitted that the price of material perchased by us from Russia can be higher than other countries and the reason is that we are having rupee transactions with her. Has an enquiry been conducted to see as to how much more prices were charged by Russia and the items for which higher prices were charged by her due to rupee transactions with her and whether the position is the same in respect of other countries with which we are having rupee transactions ? Do all of them charge the prices according to their choice ?

Shri L. N. Mishra : Prices are not charged according to the choice. All transactions are done in accordance with the trade pacts. I have not said that Russia charged more prices. I said that I have no figures. There can be difference between rupee trade and free foreign trade. I said that there can be difference, not that Russia charges more from us.

श्री लोबो प्रभु : अन्य देशों से तुलना करके मंत्री महोदय ने सूचना को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें रूस और अन्य देशों के बीच तीन मुख्य अन्तरों को स्पष्ट करना है। पहला अन्तर यह है कि एक देश के लिये 64 करोड़ रुपये की राशि बहुत ज्यादा है। दूसरा अन्तर यह है कि रूस पर इस बात का संदेह है कि वह हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करता है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री लोबो प्रभु : यह बिलकुल संगत है। यह देश, देश की आजादी तथा हमारे स्वतंत्र चुनावों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें इस बात को स्पष्ट करना है। वे हमें संदेह में नहीं छोड़ सकते... **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

मैं इस बात का विरोध करती हूं । स्वतंत्र और जनसंघ के अतिरिक्त और कौन संदेह करता है । यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर चोट है... (व्यवधान)

श्री लोबो प्रभु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या राशि का उपयोग राजनैतिक कार्यों के लिये तो नहीं किया जाता ? आपको यह संदेह दूर करना चाहिये कि राशि के किसी भाग का उपयोग राजनैतिक कार्यों के लिये नहीं किया जाता है... (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य का विरोध करती हूं.. (व्यवधान)

श्री लोबो प्रभु : तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें । ब्यौरा बताइये ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : इस प्रश्न संबन्धी ब्यौरा मांगने के लिये माननीय सदस्य ऐसे आरोप नहीं लगा सकते.. (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : उत्तर देने से इन्कार करने से ही ये आरोप लगाये जाते हैं... (व्यवधान)

श्री पीलु मोडी : वह ब्यौरा नहीं देते हैं । यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है । हम यह जानना चाहते हैं कि 64 करोड़ रुपये की यह बड़ी राशि किन-किन मदों पर व्यय की गई ? आप एक साधारण से प्रश्न को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय रहस्य बनाते हैं । आप हम से चुप रहने की आशा रखते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अब मैं इससे ज्यादा की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रंगा : प्रश्न औचित्य का भी है । राज्य पुनर्गठन आयोग संबन्धी प्रश्न इनके नाम था । ये चुप बैठी रहीं और प्रश्न का उत्तर आधे घंटे तक अन्य मंत्री, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त देते रहे । अब प्रधान मंत्री उत्तेजित हो गई हैं । उन्हें इस प्रकार आवेश में आने की जरूरत नहीं है.. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह कहना गलत है कि यह इनका काम नहीं क्योंकि स्वतन्त्र पार्टी के रूस के साथ व्यापारिक सौदा हो सकते हैं, यह कहना उचित नहीं कि यह उनका काम नहीं... (व्यवधान)

श्री पीलु मोडी : श्री द्विवेदी ने आज के दिन की रोटी की कमाई कर ली है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह प्रसोपा तथा कांग्रेस (सत्तारूढ़) के बीच नया गठजोड़ है.. (व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि 64 करोड़ रुपये की लागत की रूस से आयात की गई सामग्री में से अधिकांश सामग्री सैनिक साज सामान हैं...

श्री पीलु मोडी : इन्होंने भी दिन की रोटी की कमाई कर ली है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हर संकट के समय संयुक्त राज्य अमरीका ने हमें धोखा दिया है । रूस ही हमारी सहायता करता आ रहा है । ये इसे अनुभव नहीं करते । ये अमरीका के एजेंट हैं । मैं जानता हूं कि ये क्या कर रहे हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार की बातें न करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या 64 करोड़ रुपये की सामग्री में से अधिकांश सामग्री सैनिक साज सामान थी...

एक माननीय सदस्य : आप कैसे जानते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की नीति ऐसी नहीं कि हम सुरक्षा के मामले में आत्म-निर्भर हों ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस सामग्री में से अधिकांश सैनिक सामान है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सरकार के प्रति तथा मेरे प्रति अच्छा रवैया नहीं है। मैं सदन से आधे मिनट की अनुमति चाहता हूं ताकि मैं अपनी बात को स्पष्ट कर सकूं।

इसमें कोई भी छल-कपट नहीं है। यह क्रय तथा विक्रय की साधारण सी बात है। हिसाब-किताब के उद्देश्य से इसे "विशेष सौदे" के अन्तर्गत रखा गया है क्योंकि प्रचलित प्रथा के अनुसार इसे विविध मदों के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता था। इसी कारण "विशेष सौदे" का वाक्य... **(व्यवधान)** इस प्रथा को रूस के साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी अपनाया गया है। यह क्रय तथा विक्रय की साधारण सी बात है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन मदों के नाम अध्यक्ष महोदय को दे सकता हूं—सदन को नहीं, इसमें अधिकांश सामग्री आयुध कारखानों से सम्बन्धित है.. **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह : उन्हें प्रकट मत कीजिये... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री बलराज मधोक : यदि मंत्री महोदय सीधा सा जवाब दें तो काफी कठिनाई दूर हो सकती है। ये प्रश्नों को टालते हैं। दबाव पड़ने पर ही ये असली बातों को बताते हैं। यह सदन के प्रति अनुचित व्यवहार है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Please tell the non-defence items at least. Why the Hon. Minister is not telling these items ? It means that there is something wrong at the bottom.

श्री पीलु मोडी : मैं समझता हूं कि मेरा आरोप सिद्ध हो गया है क्योंकि यदि यह सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री होती तो पहले ही बता देते और इस बात पर इतनी चर्चा न होती।

श्री ल० ना० मिश्र : मूल उत्तर में मैंने बताया है कि यह सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री थी।

श्री पीलु मोडी : आपने कहा कि "उसमें से कुछ" सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निकोबार द्वीप समूह से खोपरे का निर्यात

*601. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री निकोबार द्वीप समूह से खोपरे के निर्यात के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे निकोबार के लोगों के आर्थिक

हितों की रक्षा हो सके, और उन्हें उत्पादकों के रूप में खोपरा, सुपारी जैसे उनके स्थानीय उत्पादकों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा निकोबारी कमर्शियल कम्पनी को भी उचित लाभ हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 की धारा 6 (1) किसी भूमि में कोई अधिकार / सम्पत्ति अभिग्रहण करने या किसी उत्पादन को या खड़ी फसल वाली ऐसी भूमि को एवं द्वीपसमूह के निकोबार ग्रुप के किसी व्यापार या कारोबार को जिससे आदिवासी जातियों के आर्थिक संबंधों की सुरक्षा के लिए सरकार को विनियमित करने का अधिकार देती है । समय-समय पर इस विनियम ने अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी । फिर भी विनियम की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई और मामला न्यायाधीन है ।

परन्तु वास्तविक व्यवहार में उपरोक्त उल्लिखित उन कम्पनियों को छोड़कर जिनका मामला न्यायाधीन है द्वीप समूह के निकोबार ग्रुप में कोई व्यक्ति इस वक्त किसी व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं है जो आदिवासी जातियों का सदस्य नहीं है ।

निकोबारीज कामर्शियल कम्पनी भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है और पूर्णरूपेण आदिवासी लोगों के स्वामित्व में है जिसका कार्य संचालन कथित विनियम द्वारा नियमित नहीं होता है । चूंकि इस संस्था के लिये कोई संतुलन पत्र या लाभ हानि के लेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । अतः कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय उत्पादों की खरीद के लिये बर्मा को वाणिज्यिक ऋण

*605. **श्री नारायणन :**
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बर्मा को वाणिज्यिक ऋण देने का इच्छुक है जिससे कि वह भारतीय उत्पादों को खरीद सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा ने भारत से इस बात के लिये कोई निवेदन किया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय निर्यातकों को जो वाणिज्यिक ऋण प्रायः उपलब्ध हैं वे बर्मा को निर्यातों के विषय में भी उपलब्ध हैं।

बर्मा सरकार ने किसी विशेष सरकार से सरकार को ऋण के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है।

इस वर्ष के प्रारम्भ में बर्मा के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अन्तर्गत एक देश दूसरे देश को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र आयात संगठनों द्वारा जारी किये गये निविदा-पत्र भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय के महानिदेशक और वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किये जाते हैं। प्रोत्साहनों तथा अन्य सम्वर्धक उपायों का भी बर्मा के साथ व्यापार के विषय में प्रयोग किया जाता है।

बिजली की सप्लाई का कार्य केन्द्र द्वारा अपने हाथ में ले लेने का राज्यों द्वारा विरोध

*608. **श्री शंकरराव माने :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा बिजली की सप्लाई अपने हाथ में ले लेने का राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). 24 और 25 सितम्बर, 1970 को ऊटकमंड में हुये राज्यों के सिंचाई और बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प पास किया गया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार एक ऐसी समिति की स्थापना करे जो कि विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता को द्रुत गति से बढ़ाने की आवश्यकता और इस संदर्भ में वृद्धाकार संयंत्रों जिनसे बहुत व्यापक क्षेत्रों में बिजली किफायती दर पर दी जाती है, को प्रतिष्ठापित करने की विश्व की सामान्य प्रवृत्ति का अनुसरण करने की आवश्यकता और एक राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय अभिकरणों के जरिये केन्द्रीय उत्पादन के सभी पहलुओं की जांच करेगी। समिति द्वारा जांच होने वाला प्रस्ताव सिर्फ इससे तालुक रखता है : क्षेत्रीय अभिकरणों के जरिए केन्द्रीय संस्थान द्वारा वृद्धाकार विद्युत केन्द्रों का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव। इस प्रकार के विद्युत केन्द्रों में उत्पन्न बिजली के पारेषण और वितरण की राज्य सरकारें ही जिम्मेदार होंगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने उपर्युक्त संकल्प से असहमति प्रकट की क्योंकि उनका विचार था कि वृद्धाकार बिजली केन्द्रों के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकारें ही जिम्मेदार होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में आगामी फसल-कटाई के मौसम में दंगों की आशंका

*609. **श्री सरदार अजमद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल राज्य में आगामी फसल कटाई मौसम में बड़े पैमाने पर दंगे होने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे उपद्रवों से निपटने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने की योजना बनाई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार को आगामी फसल-कटाई मौसम में दंगे होने की सम्भावनाओं की जानकारी है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कानून के अनुसार वह सभी संभव कार्रवाई कर रही है।

"एशियन हाई वेज रैली" में भाग लेने वाली कारों को दिल्ली में क्षति

*610. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशियाई कार दौड़ में भाग लेने वाली कारों के चालकों को भारत में, विशेषकर दिल्ली में उपद्रवी तत्वों के कारण दुःखद घटनाओं का सामना करना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने, उन तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने कुछ कारों के शीशे तोड़े और उन सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जो कानून और व्यवस्था कायम नहीं रख सके, कोई कार्यवाही की थी ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने कुछ घटनाओं की सूचना दी है जिनमें रैली को देखने के लिए उत्साहित भीड़ में से कुछेक व्यक्तियों द्वारा पत्थर फेंके गए थे। हरियाणा तथा पंजाब की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में किसी अप्रिय घटना हुए बगैर रैली गुजर गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रत्येक सूचित मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामले चलाने के लिए कार्रवाई की गई है और कुछ मामलों में अपराधियों को सजाएं दी गई हैं।

Boxes Containing Portraits of Mao-Tse-Tung and Chinese Literature Air Dropped in Madhya Pradesh

*611. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the newspapers dated the 14th September, 1970 that some boxes containing portraits of Mao-tse-tung, leaflets containing messages of Mao-tse-tung in Chinese language and a box containing transmitters were found in Shajapur District in Madhya Pradesh;

(b) whether Government are also aware that a Chinese plane was also sighted dropping leaflets in Khatpura village of Madhya Pradesh on the 5th September, 1970 while flying very low ; and

(c) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State. Departments of Electronic and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). According to information received from State Government of Madhya Pradesh some boxes containing literature in Chinese language were found in Shajapur district on 5.9.1970. On investigation it has been found that the leaflets were critical of Mao-Tse-Tung and his policies. It has also been established that these boxes had not been dropped by an aeroplane and that no person there had seen any aeroplane flying over the area. In all probability, they came in meteorological balloons and were intended for the Mainland of China and had drifted into India. Such material has previously been found in other parts of India.

Arrest of 'Ice Holiday' Show Artistes in Delhi

*612. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether three foreign artistes of the 'Ice Holiday' show were arrested in Delhi on the 10th November, 1970 ;

(b) if so, the charges levelled against them ; and

(c) the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) Violation of the orders served on them under the Foreigners Act, 1946, prohibiting them from taking up any employment or acting or continuing to act in pursuance of any employment without the prior permission in writing of the Foreigners Regional Registration Officer, New Delhi.

(c) They were prosecuted, convicted and sentenced to undergo imprisonment till the rising of the Court and to pay a fine of Rs. 250/- each or in default suffer three months rigorous imprisonment. They all paid the fine.

चाय के निर्यात के सम्बन्ध में समन्वय के लिए श्रीलंका से वार्ता

*613. **श्री धी० ना० देव :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के निर्यात के समन्वय के लिए श्रीलंका सरकार से कोई बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और दोनों देशों के समन्वित प्रयासों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है अथवा की जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत और श्री लंका के बीच पहली बैठक सितम्बर, 1967 में दिल्ली में हुई

और उस समय दोनों देशों के बीच परस्पर लाभकर ढंग से अपने-अपने चाय उद्योगों के विकास के लिये साझा कार्यक्रम तैयार करने की संभाव्यता पर चर्चा की गई। विश्व पूर्ति तथा मांग पर, विशेषतः कीमतों तथा निर्यात के इकाई मूल्यों पर प्रभाव डालने वाले और चाय की खपत बढ़ाने के लिये संवर्धन कार्य सम्बन्धी आधारभूत मामलों के सम्बन्ध में साझे कार्यक्रम का मान दण्ड तैयार कर लिया गया है। दोनों देशों के बीच जनवरी, 1968 में कोलम्बों में हुई बैठक में भारत-श्रीलंका चाय सार्थ-संघ की स्थापना के सम्बन्ध में विनिश्चय किया गया और दोनों सरकारों ने यथाविधि इसका अनुसमर्थन कर दिया है। मई-जून, 1968 में नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच हुई चाय विषयक वार्ताओं में दोनों देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ चुने हुए विदेशी बाजारों में मिश्रित तथा पैकेज चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये प्रत्येक देश में कार्य करने वाली फर्मों तथा संगठनों का संयुक्त सार्थ संघ स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

तदनुसार, भारत तथा श्रीलंका की सरकारों द्वारा संयुक्त भारत-श्रीलंका सार्थ-संघ के लक्ष्यों, कार्यकलापों, वित्तीय तथा प्रशासनिक संरचना और कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप देने और अपेक्षाकृत अधिक सही रूप में पारिभाषित करने के लिये दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया।

प्रत्येक कार्यकारी दल का प्रतिवेदन एक दूसरे को उपलब्ध कराया गया और उनकी सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 12 नवम्बर, 1969 को कोलम्बो में दोनों दलों की बैठक हुई। इस बैठक में यह मंजूर किया गया कि दो पृथक राष्ट्रीय समवाय होने चाहिए और सार्थ-संघ संयुक्त प्रबन्ध समिति के रूप में होना चाहिए तथा इसका नाम भारत श्रीलंका चाय सार्थ-संघ हो। 12 नवम्बर, 1969 को हुई कार्यकारी दलों की संयुक्त बैठक में भारत-श्रीलंका सार्थसंघ की स्थापना हेतु की गई सिफारिशें अभी तक दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं। इस अवस्था में उपार्जित विदेशी मुद्रा अथवा उसके सम्भावित उपार्जन का प्रश्न नहीं उठता।

रेल के इंजन तथा डिब्बों का निर्यात

*614. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्पात की कमी के कारण इंजन तथा डिब्बों का महत्वपूर्ण निर्यातक नहीं बन पा रहा है और यह कठिनाई ईरान, पोलैंड तथा युगोस्लाविया से प्राप्त क्रयादेशों की पूर्ति करने में अभी से अनुभव की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस गम्भीर कठिनाई पर काबू पाने और देश के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). भारत अपने आपको पहले से ही इंजन तथा डिब्बों के महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में स्थापित कर चुका है। फिर भी देश में चालू इस्पात की कमी का माल डिब्बे बनाने वाले क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण इंजीनियरी उद्योग पर प्रभाव पड़ा है।

निर्यातों को बनाये रखने के लिये तथा पुख्ता निर्यात क्रयादेशों की पूर्ति करने के लिये, निर्यातकों को, निर्यात उत्पादन में अपेक्षित नर्म इस्पात की किसी भी किस्म के आयात की सुविधा दी गई है। निर्यात क्रयादेशों से सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यकताओं के परिमाण तक आयात करने दिये जाते हैं।

आयात का उदार बनाया जाना

*615. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार सचिव ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्था की बैठक में 11 नवम्बर, 1970 को यह कहा था कि सरकार अन्य विकासशील देशों से निर्बाध रूप से आयात की अनुमति देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यापार को उदार बनाने की बातचीत उच्चस्तर पर हो रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बातचीत में अबतक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के तत्वाधान में 12 नवम्बर, 1970 को हुई बैठक में दिये गये भाषण के लिये गाट के महा-निदेशक का धन्यवाद करते हुए, विदेशी व्यापार सचिव ने यह उल्लेख किया था कि अन्य विकासशील देशों से आयात करने के लिये भारत के राष्ट्रीय उत्पादन के कुछ प्रतिशत के बराबर कोटा देने का प्रश्न विचाराधीन है। यूगोस्लाविया, भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग करार का भारत एक पक्ष है। एशियाई व्यापार विकास कार्यक्रम की स्थापना सम्बन्धी विचार-विमर्शों तथा गाट के तत्वाधान में विकासशील देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ताओं में भी भारत भाग ले रहा है। विशेष उत्पादों पर आयात प्रतिबन्धों के उदारीकरण के प्रश्न पर इन वार्ताओं के दौरान चर्चा की गई है। सरकार इन प्रश्नों पर विचार करती रही है परन्तु इनके सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय सम्बद्ध वार्ताओं की प्रगति से सम्बन्धित कई बातों तथा इन वार्ताओं के अन्तर्गत प्रस्तावित स्तर पर भारत के व्यापार के विस्तार की सम्भाव्यता पर निर्भर करता है।

कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों में पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों द्वारा सीमा घटनाएं

*616. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कूच-बिहार तथा जलपाइगुड़ी जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों को छापे मारने, पशुओं को भगा ले जाने, आगजनी और डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसी कुल कितनी घटनाएं हुई हैं और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ;

(ग) क्या सरकार को सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाने का कोई सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इस क्षेत्र के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान सीमा के अन्य क्षेत्रों की घटनाओं पर पूरी नजर रखी जाती है और नियतकालिक पुनर्विलोकन किया जाता है ।

(ख) 1968, 1969 तथा 5 दिसम्बर, 1970 तक कूच बिहार जिले में डकैती तथा पशुओं को भगा ले जाने के क्रमश: 80 तथा 24 मामले हुये और जलपाइगुड़ी जिले में ये आंकड़े क्रमश: 11 और 7 हैं । दण्ड दिए गये अपराधियों की संख्या के बारे में सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है ।

(ग) और (घ). सीमा पर पर्याप्त संख्या में सीमा चौकियां हैं । सीमा चौकियों की संख्या तथा शक्ति एवम् सीमा की गश्त में आवश्यकता अनुसार उचित परिवर्तन किये जाएंगे ।

Political Murders in States

*617. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of incidents of political murders and kidnappings registered in the various State during the last two years; and

(b) the action taken by the Central and State Government to check such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) According to information received from State Governments the number of murders in various States arising out of inter-party clashes and activities of extremists in 1969 were as follows :

Andhra Pradesh	..	37
Assam	..	1
Bihar	..	8
Kerala	..	5
Tamil Nadu	..	2
West Bengal	..	95
Remaining States/Union Territories	..	Nil

According to information received from the Government of West Bengal, 226 political murders have been committed in the State in the first ten months of 1970. Information for the current year in respect of the remaining States is being collected. In respect of cases of kindapping with political motives, information is being collected from State Governments.

(b) The State Governments concerned undertake prompt and thorough investigation in all specific cases so that persons suspected of having committed such serious offences could be dealt with under law. State Governments have been assured of all reasonable assistance in dealing with such cases. The special measures taken to curb violence in West Bengal have been mentioned in the House.

रुई निगम द्वारा रुई व्यापार का कथित कुप्रबन्ध

*618. **श्री गु० च० नायक** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1970 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रुई निगम जिस गलत ढंग से रुई का वितरण आदि कर रहा है उससे रुई के आयात कार्यक्रम में अव्यवस्था पैदा हो गई है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रुई निगम के कुप्रबन्ध के कारण रुई व्यापार को कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय रुई निगम द्वारा 15-9-1970 से रुई के आयात को मार्गीकृत करने के फैसले की घोषणा 5-9-1970 को की गई थी, जिसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई कि विदेशी पूर्तिकर्ताओं से जो 1 प्रतिशत कमीशन मिलता था उसमें से ½ प्रतिशत मिलों के प्राधिकृत मनोनीत व्यक्तियों को मिलेगा तथा ¼ प्रतिशत निगम को मिलेगा, शेष ¼ प्रतिशत मिलों को चला जाएगा। तथापि रुई व्यापार ने निगम द्वारा व्यापार के हिस्से में रखे गये कमीशन के अंश से अधिक अंश लेने के लिये आन्दोलन किया। ऐसा दावा अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन व्यापारियों ने उनको सौंपे गये कर्तव्य का पालन नहीं किया। अगर व्यापारियों ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया होता तो अभी तक कुछ खेपें आ गई होतीं। आयात कार्यक्रम में कोई बाधा तो नहीं पड़ी हैं।

भारत, युगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य में त्रिपक्षीय करार

*619. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक हजार से भी अधिक वस्तुओं पर तरजीही सीमा शुल्क के बावजूद भारत, यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच हो रहा व्यापार नगण्य ही है ; और

(ख) क्या औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर विचार किया गया था, किन्तु उनमें से एक को भी कार्यरूप नहीं दिया जा सका है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। वर्ष 1969-70 में भारत द्वारा यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य को किए गए निर्यातों का मूल्य 68.61 करोड़ रुपया था। इन दोनों देशों से भारत द्वारा किये गये आयातों का मूल्य 27.86 करोड़ रुपये था। इसलिए, इन दोनों देशों के साथ हमारा व्यापार काफी ज्यादा है।

(ख) सितम्बर, 1970 में यूगोस्लाविया में हुए विचार-विमर्श में इस पर सहमति हो गई थी कि टी० वी० ग्लास बल्ब तथा टी० वी० पिक्चर ट्यूब और 55 से 60 अश्व शक्ति के पहिये वाले ट्रैक्टर तथा स्कूटरों के निर्माण की प्रायोजनाओं को त्रिपक्षीय आधार पर व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। तैयार चमड़ा बनाने में यूगोस्लाविया तथा भारत के बीच

द्विपक्षीय आधार पर औद्योगिक सहयोग की एक प्रस्थापना है। उपर्युक्त प्रस्थापनाओं पर काफी विचार हो चुका है यद्यपि वास्तविक परियोजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लाइसेंस का दिया जाना

*620. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशीबहुतर शेयरों वाली कम्पनी फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने जुलाई, 1970 में एक प्रेस-सम्मेलन में घोषणा की थी कि आवेदन-पत्र लिये जाने की अन्तिम तिथि अर्थात 15 अगस्त, 1970 से पूर्व ही उन्हें टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस मिल जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार को टेलीविजन निर्माण के लिये लघु उद्योगों तथा अन्य भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन किया जाने वाला है और फिलिप्स, मर्फी, मूलचन्दानी (बुशर) तथा टेलीफुंकन कम्पनियों को, जो सभी विदेशी कम्पनियां हैं, अथवा उनकी नियंत्रित कम्पनियां हैं, टेलीविजन सेटों के निर्माण की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं, बावजूद इसके कि दत्त जांच समिति के प्रतिवेदन में इन कम्पनियों के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मैसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरैक्टर के द्वारा प्रेस सम्मेलन के बारे में दी गई रिपोर्ट जुलाई, 1970 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि मैसर्स फिलिप्स को टेलीविजन सैटों के निर्माण हेतु आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। मैसर्स फिलिप्स की ओर से दिये गये कथित विवरण के आधार के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा जारी की गई एक सार्वजनिक सूचना के आधार पर मैसर्स फिलिप्स से प्राप्त आवेदन सहित अन्य सभी आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। इन आवेदनों पर वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

कच्चे माल के आयात और वसूली के लिये निगम

*621. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल के आयात तथा आंतरिक वसूली के कार्य के लिए निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या औद्योगिक कच्चे माल और रासायनिक पदार्थों के आयात को भी उदार बनाया जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अधिकांश कच्चे माल के आयात पहले से ही राज्य अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किया जा रहा है, जिनमें से मुख्य राज्य व्यापार निगम तथा उसकी सहायक संस्थाएं खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा रुई निगम हैं। इन निगमों से जहां कहीं आवश्यक हो, कच्चे माल की आंतरिक वसूली के कार्य को लेने के लिए भी कहा गया है।

(ख) औद्योगिक कच्चे माल के आयात पहले से ही उदारतापूर्वक किए जाते हैं।

केरल राज्य में नक्सलवादियों द्वारा जमीदारों की हत्या

***622. श्री एन० शिवप्पा :**
श्री अदिचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि केरल राज्य में नक्सलवादियों ने कुछ जमीदारों की हत्या कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) उस राज्य में पिछली तिमाही के प्रत्येक मास में नक्सलवादियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये अथवा जख्मी किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 3 जमीदारों तथा उनमें से एक के नौकर की 14 नवम्बर, 1970 की रात्रि को हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के संबंध में तीन मामले दर्ज किये गये हैं और 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार अत्याधिक सतर्कता बरत रही है और नक्सलवादियों तथा संवर्गी उग्रवादी दलों की ऐसी हिंसात्मक तथा अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अन्तर्गत सभी सम्भव निरोधात्मक तथा दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। केरल में पिछले तीन महीनों के प्रत्येक मास में नक्सलवादियों द्वारा मारे गए अथवा घायल किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन के धागे का आवंटन

*623. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मान्य आयातकों को नाइलोन के धागे का आवंटन करने में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप नाइलोन के धागे के आयात में देरी हुई तथा इसका उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नाइलन के धागे का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है और वास्तविक प्रयोक्ताओं को उसका वितरण संघों के माध्यम से किया जाता है। सुस्थापित आयातकों को इसका आवंटन नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को कच्चे ऊन का आवंटन

*624. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को कच्चे ऊन के कोटे का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को आवंटित कच्चे ऊन के कोटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको अभी तक कच्चे ऊन के कोटे का आवंटन नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार समूचे मामले पर पुनः विचार करके सब राज्यों को समान आधार पर या कुछ विशिष्ट और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर कोटा आवंटित करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). वर्सटैड और शौडी एककों होजरी तथा शक्तिचालित करघों के एककों, और हाथ से निटिंग करने के कोरे धागे को साधित करने वालों के लिये कच्ची ऊन का आवंटन केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को एकक-वार आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय प्रदेश के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता। यह आवंटन उस नीति के अनुसार किया जाता है जो विदेशी व्यापार मंत्री ने 30 नवम्बर, 1967 को लोक सभा में घोषित की थी। सामाजिक उद्देश्य का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए हथकरघे का विकास करने के प्रयोजन से विभिन्न राज्यों, जिनमें ऐसे हथकरघे विद्यमान हैं, के उद्योग निदेशकों को तदर्थ आधार पर सीमित आवंटन किया जाता है। इसे प्राप्त करने वाले राज्य ये हैं : आसाम, नागालैण्ड, बिहार, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मद्रास, मणिपुर, तथा त्रिपुरा को हथकरघों के आधार पर कोई कोटा नहीं दिया गया है। नीति में परिवर्तन करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

राज्यों को विशेष सहायता

*625. **श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने, राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता की राशि के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने योजना आयोग को इस बारे में अभी तक अन्तरिम आंकड़े नहीं दिए हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और वित्त मंत्रालय से योजना आयोग को इस बारे में उत्तर कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सम्भवत: माननीय सदस्य के ध्यान में वह विशेष सहायता है जो कतिपय राज्यों को उनके गैर-योजना घाटों को पूरा करने के लिये दी जा रही है। विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता की मात्रा क्या हो और उसका किस प्रकार निश्चय किया जाय तथा निर्मुक्त किया जाय इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग में पूर्ण सहमति है।

दिल्ली के इर्दगिर्द औद्योगिक बस्तियों में बिजली की सप्लाई

*626. **श्री चेंगलराया नायडू : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इर्दगिर्द की औद्योगिक बस्तियों में बिजली की कमी बढ़ती जा रही है और इस कारण कई कारखाने पूरा उत्पादन नहीं कर रहे हैं अथवा आंशिक रूप में ही कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) औद्योगिक बस्तियों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). दिल्ली के इर्दगिर्द औद्योगिक बस्तियों तथा अन्य उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई के वास्ते बिजली की उपलभ्यता में कोई कमी नहीं है। कुल भार के लगभग 575 मैगावाट में से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जैसाकि मूल्यांकन किया गया है, वर्तमान औद्योगिक भार लगभग 155 मैगावाट है और अधिकतम मांग 222 मैगावाट की है। भार सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 835 मैगावाट के कुल भार में से 220 मैगावाट तक औद्योगिक भार के बढ़ जाने की सम्भावना है। चतुर्थ योजना के अन्त तक अधिकतम मांग 306 मैगावाट आंकी गई है। बिजली की वर्तमान उपलभ्यता भाखड़ा नंगल प्रणाली से सप्लाई समेत 246 मैगावाट

है जो वर्तमान अधिकतम मांग को पूरा करने में काफी नहीं है । चतुर्थ योजना के अन्त तक बिजली की उपलभ्यता इन्द्रप्रस्थ केन्द्र पर 55 मैगावाट की एक यूनिट चालू होने से और बदरपुर ताप विद्युत परियोजना (3 × 100 मैगावाट) से बिजली की सप्लाई होने पर 356 मैगावाट तक बढ़ जाएगी । अत: चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मूल्यांकित अधिकतम मांग के पूरा होने की सम्भावना है ।

ऊन उद्योग

*627. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊन उद्योग के निर्यात निष्पादन का पर्यवेक्षण किया है ;

(ख) क्या देश में ऊन साफ करने की क्षमता की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी क्षमता की आवश्यकता है तथा वर्तमान क्षमता कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । निर्यात निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

(ख) जी हां, विशेषतया फ्रांसीसी ऊन साफ करने के क्षेत्र में ।

(ग) ऊन साफ करने की वर्तमान प्रभावी लाइसेंसित क्षमता लगभग 3.9 करोड़ पौंड की है । अतिरिक्त आवश्यकता 2 करोड़ पौंड की होने का अनुमान है ।

गंगासागर मेले तथा डुबला द्वीप पर तीर्थ-यात्रियों के लिये प्रबन्ध

*628. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंगासागर मेले में तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिवर्ष प्रबन्ध करती है और, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डुबला द्वीप पर भी तीर्थ-यात्रियों के लिए सरकार ने प्रबन्ध किया था;

(ग) क्या तीर्थयात्रियों को तूफान के बारे में अग्रिम सूचना दी गई थी; और

(घ) विनाशकारी तूफानी लहरों के बाद कितने हिन्दू तीर्थयात्रियों के जीवन बचाये गये और वहां कितने तीर्थ-यात्रियों की मृत्यु हो गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में होता है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उसके लिए प्रबन्ध किए जाते हैं । वार्षिक प्रबन्धों के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं ।

(ख) से (घ). डुबला पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिले में समुद्र तट से परे एक द्वीप है अतः भारत सरकार वहां कोई प्रबन्ध करने से संबंधित नहीं है ।

गोविन्द सागर झील के पानी के वर्तमान नीचे स्तर के कारण पंजाब को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में कमी की आशंका

*629. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोविन्द सागर झील के पानी के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए पंजाब को सप्लाई की जाने वाली बिजली में अगामी जनवरी से 25 प्रतिशत कमी की जाने की आशंका है;

(ख) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विदेशों से डीजल से बिजली पैदा करने वाले सेटों का आयात करने हेतु सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वह मध्य प्रदेश सरकार पर, पंजाब को अधिक बिजली देने के लिए जोर डाले और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). वाह् क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण भाखड़ा जलाशय अपने सामान्य स्तर तक नहीं भर पाया अतः, इसके परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई है जिसके फलस्वरूप बिजली की सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है। पंजाब में इस समय लगभग 10 प्रतिशत कटौती की जा रही है और यह कटौती भाखड़ा जलाशय की जल क्षीणता अवधि के दौरान और बढ़ जाएगी। यह क्षीणता अवधि दिसम्बर, 1970 के मध्य से आरम्भ होगी। नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी को प्रतिदिन 30 लाख यूनिट की सप्लाई को कम करके 23 लाख यूनिट प्रतिदिन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और सतपुड़ा प्रणालियों से अतिरिक्त बिजली ली जाएगी और डीजल सेट भी चालू किए जाएंगे। बिजली के इन अतिरिक्त स्रोतों के साथ यह सम्भावना है कि पंजाब में दिसम्बर, 1970 के मध्य से यह कटौती 25 प्रतिशत हो जाए। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि डीजल उत्पादन सेटों के आयात के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। भारत सरकार ने लगभग कुल 36 मैगावाट के 27 डीजल उत्पादन सेटों के आयात के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इन सेटों को प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार कार्यवाही कर चुकी है और ये नवम्बर, 1970 से जून 1971 तक की अवधि के दौरान उत्तरोत्तर प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने, सतपुड़ा प्रणाली से सहायता के लिए भी प्रार्थना की है। दिसम्बर, 1970 के मध्य से आरम्भ होने वाली भाखड़ा जलाशय की क्षीणता अवधि के दौरान, सतपुड़ा चम्बल काम्पलैक्स से 5 लाख यूनिट प्रतिदिन की सहायता मिलने की सम्भावना है। बिजली की इस मात्रा को यथाव्यवहार्य बढ़ाने के लिए पग उठाए गए हैं।

पटसन का आयात

*630. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में पटसन का आयात करने का है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पटसन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और पटसन के आयात से पटसन की बुवाई में निरुत्साह पैदा होगा; और

(ग) यदि हां, तो पटसन के आयात करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). इस समय सरकार को कच्चे पटसन की भारी कमी की कोई आशंका नहीं है। तथापि आयात द्वारा पूर्ति बढ़ाने के प्रश्न पर उचित समय पर वर्तमान देशी पटसन की फसल तथा मिलों से मांग को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा श्री श्रीधर पुरोहित को दत्तक के रूप में ग्रहण करना

3829. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "अपराइट" पाक्षिक पत्रिका के 1 नवम्बर, 1970 के अंक के प्रथम पृष्ठ की ओर दिलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति द्वारा श्री श्रीधर पुरोहित को दत्तक के रूप में ग्रहण करने का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा सुनिश्चित किये गये इस मामले के वास्तविक तथ्य क्या हैं;

(ग) श्री पुरोहित एवं जाटव इस समय किस पद पर कार्य कर रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). मामले की जांच की जा रही है।

करेंसी नोटों के साथ मद्रास में पकड़े गये व्यक्ति

3830. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उनको दो व्यक्तियों को नाम क्या हैं जिनके पास से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मद्रास में 1 अक्टूबर, 1970 को क्रमश: 40 हजार और 45 हजार के नोट बरामद किये थे,

(ख) सिंगापुर में किन व्यक्तियों के पास यह धनराशि मिली;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस निदेशालय ने दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया; और

(घ) कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). 28 सितम्बर, 1970 को प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई तलाशी के परिणाम-स्वरूप सर्व श्री यन० कालीमूथू तथा यम० मोहम्मद ईशा से क्रमश: 40 हजार और 45 हजार राशि के नोट बरामद हुए। 1 अक्टूबर, 1970 को मद्रास के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कोई तलाशी नहीं ली गई थी। मामले में आगे जांच प्रगति पर है, तथा ऐसी स्थिति में अन्य ब्यौरा प्रकट करना उचित नहीं है।

(ग) और (घ). 1-10-68 से 31-10-1970 की अवधि के दौरान, इसी प्रकार के मामलों में, 71 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। प्रत्येक मामले में, विधि के अनुसार, समुचित कार्यवाही की जा रही है। इन मामलों पर पूर्ण निर्णय होने तक, किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचना संभव नहीं है, कि इस पकड़ी गई राशि का संबंध दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भुगतान राशि से है।

तमिलनाडु की कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देना

3831. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु मिल मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को एक तार भेजा था जिसमें कतिपय कपड़ा मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये उनको वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन संकटग्रस्त मिलों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किस प्रकार की सहायता मांगी है और उनके शीघ्र बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) 1968-69 में उन कपड़ा मिलों को कुल कितनी हानि हुई और क्या केन्द्र उनको अपने अधिकार में ले लेने को तैयार है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) मांगी गई सहायता इस रूप में है कि ब्याज की दर को कम करके 9 प्रतिशत और मार्जिन को 15 प्रतिशत कर दिया जाय। 'संकटग्रस्त' मिलों के नामों का पता लगाया जा रहा है और जानकारी सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामपुर में, बन्दूक, पिस्तौल आदि के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियां

3832. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1970 में बन्दूक, पिस्तौल आदि के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में रामपुर में पकड़े गये व्यक्तियों के नाम तथा व्यवसाय क्या हैं और इस छापे में पकड़े गये शस्त्र किस प्रकार के हैं तथा उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि रामपुर पाकिस्तान की जासूसी का प्रमुख केन्द्र बन गया है और वहां पर अनेक देशद्रोही तथा तोड़-फोड़ करने वाले बसे हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारत के लिये अहितकर गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिये सभी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा पूरी सतर्कता बरती जाती है।

कलकत्ता स्थित रिजर्व बैंक में डकैतियां

3833. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अक्तूबर, 1970 की डकैतियों के समान 1968-70 में भी कलकत्ता स्थित रिजर्व बैंक में डकैतियां हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो ये डकैतियां कब पड़ीं और इनमें कुल कितनी धनराशि की हानि हुई ;

(ग) भविष्य में ऐसी डकैतियों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भारत के रिजर्व बैंक की कलकत्ता शाखा की 5 अक्तूबर, 1970 की घटना को छोड़कर जिसमें आसामी द्वारा नकदी लिए जाने के बाद धन कम पाया गया था। कलकत्ता में 1968-70 में इस प्रकार की कोई और घटना अथवा चोरी का मामला नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, 5 अक्तूबर, 1970 की घटना में पाये गये कम धन की राशि एक लाख रुपये थी।

(ग) यद्यपि उस समय भी सुरक्षा के प्रबन्ध काफी समझे गए थे फिर भी 5 अक्तूबर की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल पदों पर गैर-भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति

3834. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार द्वारा सिविल पदों पर ऐसे कितने गैर-भारतीयों को नियुक्त किया गया है जिनको प्रति मास 1,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता है ;

(ख) उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों पर गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने गैर भारतीय व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारी

3835. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 800/- रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या गत वर्ष मंत्रालय में 800 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पर नई नियुक्तियां की गयीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य से कितने कितने व्यक्ति रखे गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

गुजरात	...	एक
हरियाणा	...	एक
केरल	...	दो
महाराष्ट्र	...	एक
मैसूर	...	पांच
पंजाब	...	चार

राजस्थान	...	एक
तमिलनाडु	...	सात
उत्तर प्रदेश	...	चार
पश्चिम बंगाल	...	पांच
दिल्ली	...	दो
गोवा	...	एक

(ख) से (घ). जी, हां। वर्ष 1969 के दौरान सिंचाई व बिजली मंत्रालय में 800 रुपया मासिक से अधिक वेतन पर 10 नये अधिकारी नियुक्त किए गए थे। प्रत्येक राज्य के आंकड़ों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

मैसूर	...	दो
पंजाब	...	एक
तमिलनाडु	...	चार
उत्तर प्रदेश	...	एक
पश्चिम बंगाल	...	दो

नियुक्ति हो जाने पर राजनीतिक पीड़ितों को दी गई रियायतों का वापस लिया जाना

3836. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लोक सेवाओं में राजनीतिक पीड़ितों की प्रथम नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति हो जाने पर उनको दी गई रियायतें सरकार वापस ले लेती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में, राज्यवार कितने राजनीतिक पीड़ितों की सेवाओं में नियुक्ति की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार द्वारा सेवाओं में नियुक्ति राज्यवार नहीं की जाती है। तथापि राजनीतिक पीड़ितों की कुल संख्या, जो कि विगत दो वर्ष में केन्द्रीय सरकार में, नियुक्त किये गये हैं, उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जम्मू तथा काश्मीर में सम्पत्ति अर्जित करने वाले काश्मीरियों पर रोक को हटाने के लिए कार्यवाही

3837. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य के देश का अभिन्न अंग होने के नाते

वहां गैर-काश्मीरियों द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने पर लगी रोक को समाप्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेटल स्क्रेप व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भारतीय शिष्टमंडल का दौरा

3838. **श्री गजराज सिंह राव :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, मेटल स्क्रेप व्यापार निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11-10-70 को जापान तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अन्य दूसरे उद्देश्यों के साथ स्क्रेप निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से गये व्यापार शिष्टमंडल के सदस्य थे;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ अधिकारी का नाम क्या है तथा वह कितनी अवधि तक विदेशों में रहे;

(ग) जब इस्पात मंत्रालय के आदेशानुसार ही स्क्रेप निर्यात में कमी हुई है तब सरकार द्वारा इस अधिकारी को शिष्टमंडल में भेजने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को मालूम था कि भारतीय स्क्रेप के जापानी खरीदार संघ ने मेटल स्क्रेप व्यापार निगम को शिष्टमंडल का दौरा रद्द कर देने की सलाह दी थी; और

(ङ) शिष्टमंडल द्वारा कितना स्क्रेप बेचा गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). इस्पात व भारी इंजीनियरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री महेश्वर प्रसाद एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 14 दिन के लिये जापान गये थे। इस व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जापान तथा अन्य कुछ सुदूर पूर्वी देशों का दौरा किया । इस प्रतिनिधिमंडल की जापान की यात्रा का उद्देश्य 24-12-1965 को हुए जापान-भारत लौह स्क्रेप व्यापार हेतु शर्तों सम्बन्धी सामान्य करार पर पुनः बातचीत करना था । अन्य देशों का दौरा, शिप ब्रेकिंग उद्योग तथा उन देशों में स्क्रेप की बाजार सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने के लिये किया गया था ।

(ग) इस्पात मंत्रालय का अधिकारी, धातु स्क्रेप व्यापार निगम के एक निदेशक की हैसियत से प्रतिनिधिमंडल के साथ गया था । उनका शामिल करना धातु स्क्रेप व्यापार निगम के निदेशक-मंडल द्वारा आवश्यक और लाभदायक समझा गया था ।

(घ) इस सम्बन्ध में जापानी खरीदारों के सार्थ संघ की सुविधा का पता लगाने के बाद ही यह प्रतिनिधिमंडल जापान गया था ।

(ङ) इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्क्रेप की कोई मात्रा जापान को नहीं बेची गई थी। तथापि, स्क्रेप की मुक्त रूप से निर्यात की जा सकने वाली किस्मों के अन्तर्गत 2.87 लाख डालर मूल्य की लगभग 4,000 मे० टन लौह स्क्रेप की बिक्री के सम्बन्ध में तैवान के खरीदारों से बातचीत की गई थी ।

दुर्गापुर में दमन करने के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को दिया गया अभ्यावेदन

3839. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 12 जुलाई को कमेटी ने दुर्गापुर में हुए दमन के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या उस शिकायत में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस्पात-गलन कक्ष और स्कल्प मिल के कार्यकरण के बारे में कोई उल्लेख था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत संबंधी योजनाओं के लिए ठेके

3840. **श्री तु० राम :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों के नाम तथा पते क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों में देश की उन सब बिजली परियोजनाओं के ठेके दिये गये थे जिनके लिये कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने डिजाइन/निर्माण/संचालन तथा/अथवा परामर्श संबंधी कार्य अपने हाथ में लिया था तथा प्रत्येक ठेका कितने मूल्य का था ; और

(ख) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने ठेके का कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा कर दिया था ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को निम्नलिखित जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं का अभिकल्प/परामर्श कार्य सौंपा गया है :

(1) जल-विद्युत परियोजनाएं

1. श्रीसेलम जल-विद्युत परियोजना, आन्ध्र प्रदेश ।

2. निम्न सिलेरू जल-विद्युत परियोजना, आन्ध्र प्रदेश।
3. पोचम्पाद परियोजना, आन्ध्र प्रदेश।
4. पूर्वी कोसी नहर विद्युतघर, बिहार।
5. सुवर्णरेखा जल-विद्युत परियोजना, बिहार।
6. उकई बांध परियोजना, गुजरात।
7. कडाना बांध परियोजना, गुजरात।
8. गिरी वाटा जल-विद्युत् परियोजना, हिमाचल प्रदेश।
9. निम्न झेलम जल-विद्युत् परियोजना, जम्मू व काश्मीर।
10. अपर सिंध जल-विद्युत् परियोजना, जम्मू व काश्मीर।
11. लोकतक परियोजना, मणिपुर।
12. बलिमेला जल-विद्युत् परियोजना, उड़ीसा।
13. राणाप्रताप सागर, राजस्थान।
14. जवाहर सागर पन-बिजली परियोजना, राजस्थान।
15. गुमती जल-विद्युत् परियोजना, त्रिपुरा।
16. जलढाका जल-विद्युत् परियोजना, पश्चिम बंगाल।
17. छोटी रणजीत जल-विद्युत् परियोजना, पश्चिम बंगाल।

(2) ताप बिजली परियोजनाएं

1. बदरपुर ताप बिजली केन्द्र
2. इन्द्रप्रस्थ बिजली केन्द्र (विस्तार) = 5 यूनिट
3. फरीदाबाद ताप बिजली केन्द्र

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग चार केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं के बारे में वस्तुतः ठेके देने से संबंध रखता है। ये परियोजनाएं हैं : बदरपुर, लोकतक, बैरासियूल, सलाल और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की इन्द्रप्रस्थ परियोजना। अन्य मामलों में ठेके संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए जाते हैं। जहां तक बैरासियूल, सलाल और लोकतक जल-विद्युत् परियोजनाओं का संबंध है, इन परियोजनाओं पर कार्य हाल ही में शुरू हुआ है। उत्पादन संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई के लिये मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, हरिद्वार को आर्डर दिए गए हैं और जो डिलीवरी दिखलाई गई है वह 1973 से है। जहां तक बदरपुर परियोजना का संबंध है ठेकेदारों/सप्लाईकर्त्ताओं के नाम, उनके पते, कार्य की कोटि और ठेके की रकम उपबंध-1 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4514/70.]**

इन्द्रप्रस्थ (विस्तार) परियोजना के पांचवें यूनिट के संबंध में ठेकेदारों/सप्लाईकर्त्ताओं के नाम उपबंध-2 में दिये गए हैं **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०4514/70.]** चूंकि बदरपुर ताप विद्युत् परियोजना और इन्द्रप्रस्थ (विस्तार) परियोजना के पांचवें यूनिट दोनों को ही अभी चालू किया जाना है इसलिये इस स्थिति में उन सब ठेकेदारों के नाम बताना संभव नहीं है जो कार्य को अनुसूची के अनुसार पूर्ण कर सकेंगे।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री द्वारा अंधा मुगल का दौरा करना

3841. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरियाई नाला पुल से बहने वाली नहर और उससे मिलने वाली नालियों को मिट्टी से ढक दिया गया है और नहर की जगह को, जैसा कि अंधा मुगल, दिल्ली की नहर का दौरा करते समय उन्होंने सुझाव दिया था, सड़क के लिये उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) दिल्ली की नालियों में डेरियों द्वारा कूड़ा कर्कट डालने से पैदा हुई अस्वाध्यकर स्थिति से संबंधित निवासियों की शिकायतों को कब दूर किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). यह मामला हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया था। उन्होंने बतलाया है कि उपभोक्ताओं को जल सप्लाई करने के लिये मौजूदा रजवाहा अपेक्षित है लेकिन अतिक्रमण के कारण जल की सप्लाई में बाधा पड़ी है और इस समय केवल दो मोखे ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि अगर अतिक्रमणों को दूर कर दिया जाय तो रजवाहा फिर से कार्य कर सकता है ।

दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण संघ द्वारा स्थानीय उपभोक्ताओं के परामर्श से नहर के पानी की सप्लाई के लिये मौजूदा नाली में से न गुजार कर, वैकल्पिक रास्ते के आयोजन के लिये अध्ययन किये जा रहे हैं । इस विषय में की जाने वाली अगली कार्यवाई पर दिल्ली प्रशासन द्वारा इन प्रबन्धों की योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही विचार किया जाएगा ।

राज्य सरकारों तथा अधिकारियों को छात्रवृत्तियों अथवा सहायता के लिए विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं से सीधे बातचीत करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला आदेश

3842. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी छात्रवृत्तियों के बारे में ऐसे नये आदेश जारी किये गये हैं जिनसे विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं से छात्रवृत्तियों अथवा वित्तीय तथा अन्य प्रकार के अनुदानों हेतु सीधे ही बातचीत करना राज्य सरकारों तथा अधिकारियों के लिये वर्जित हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). पत्र संख्या 6-14-69 अ० भा० से० (3) दिनांक 21 जुलाई, 1970 की एक प्रतिलिपि, गृह मंत्रालय से राज्य सरकारों को, प्रस्ताव स्वीकार करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधि-

सदस्यता तथा अन्य प्रकार के विदेशी संस्थानों से प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4515/70.]**

मुसलमानों का "राष्ट्रवादी मुसलमान" के रूप में वर्गीकरण

3843. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुसलमानों को "राष्ट्रवादी मुसलमान" के रूप में वर्गीकृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा भेद क्यों किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की हत्या करने के राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के षडयंत्र के बारे में एक केन्द्रीय मंत्री का आरोप

3844. **श्री दे० अमात :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक केन्द्रीय उप मंत्री द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रधान मंत्री की हत्या करने का षडयंत्र कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस आरोप की सत्यता स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधियों ने इस आरोप की जांच करने तथा इसके असत्य सिद्ध होने पर मंत्री के पदत्याग करने की भी मांग की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). इस विषय पर दिल्ली के महापौर से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस विषय में आवश्यक जांच की जा रही है।

श्रीलंका में तमिल चलचित्रों की प्रविष्टि पर रोक

3845. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने अपने देश में तमिल चलचित्रों की प्रविष्टि पर रोक लगा दी है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उस सरकार से कोई वार्ता हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार को इस सम्बन्ध में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). श्रीलंका सरकार ने, श्रीलंका में तमिल चलचित्रों (फिल्मों) के आयात पर कोई रोक तो नहीं लगाई है । अगस्त, 1970 में जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति में यह घोषणा की गई थी कि पश्चिमी फिल्मों के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत और तमिल व हिन्दी फिल्मों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए । इस पर, कोलम्बो स्थित हमारे उच्चायोग ने इस मामले पर श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत की । यह विदित है कि यह कटौती श्रीलंका सरकार द्वारा अभी लागू नहीं की गई है ।

Per Capita Expenditure in Rural and Urban Areas

3846. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it had been mentioned in a report submitted by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission in 1963-64 that the minimum expenditure of a family should not be less than Rs. 100 per month;

(b) the figures of per capita expenditure in the rural and urban areas separately, State-wise; and

(c) the special measures adopted by Government to remove poverty in the rural areas?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See L.T. No. 4516/70**].

Sale of Licences in Black Market in Madras

3847. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether some persons have been apprehended in Madras on the charge of selling the licences in black market after getting these licences in the names of some factories by cheating Government;

(b) if so, the names of those persons;

(c) whether some Government employees are also involved in the above fraud; and

(d) whether Government propose to hold such enquiries in other cities in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) to (c). Yes, Sir. The Central Bureau of Investigation is presently investigating cases where import licences of the value of Rs. 22 lakhs are alleged to have been obtained on the basis of misrepresentation. As some of the cases are still under investigation, it will not be desirable in the public interest to disclose the names of persons connected with it at this stage.

(d) Whenever any case comes to the notice of Government, enquiries will be made and necessary action will be taken.

Causes of Explosion Near Jama Masjid, Delhi

3849. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the causes of recent explosion near the Jama Masjid, Delhi ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) According to Delhi Police, no explosion in Jama Masjid area was reported recently.

(b) Does not arise.

हुगली तथा हावड़ा जिलों के बाड़-पीड़ितों के लिये सहायता

3850. **श्री जि० मो० विश्वास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में हुगली तथा हावड़ा जिलों के बाढ़ पीड़तों को सहायता प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में बाढ़-प्रभावित लोगों के सहायता के लिए उनके द्वारा सभी संभव उपाय किए गए हैं । इन दोनों जिलों में राज्य सरकार द्वारा किए गए सहायता उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सहायता की मद	हुगली जिला (रुपये)	हावड़ा जिला (रुपये)
1. अहेतुक सहायता	67,91,200	69,47,030
2. सहायता कार्य	4,00,000	5,00,000
3. सहायता कार्यों के अंतर्गत बोरों बांधों का निर्माण		
(क) मिट्टी कार्य के लिए	4,40,000	3,50,000
(ख) सामग्री की लागत के लिए	17,600	14,000
4. भवन निर्माण अनुदान	30,00,000	14,00,000
5. फुटकर सहायता	50,000	1,85,000
6. कृषि ऋण जिसमें गृह निर्माण तथा बीजों के क्रय के लिए ऋण भी सम्मिलित है ।	20,50,000	27,00,000

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सहायता सामान जैसे धोती, साड़ी, बच्चों के कपड़े, तरपालें, सूती कम्बल, दुग्ध चूर्ण, चीरा, आटा, रोटी, दाल और हवा भरने योग्य रबड़ नावें भी भेजी गई थीं ।

2. एक केंद्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया है और बाढ़ों से हुई हानियों का मूल्यांकन स्थल पर ही किया गया है । उसकी सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने, राज्य में हाल की बाढ़ों के संबंध में व्यय को विभिन्न मदों के लिए 19.85 करोड़ रुपये की एक सीमा स्वीकार कर ली है । बाढ़ सहायता व्यय के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 7 करोड़ रुपये की धनराशि, उनको तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते, पहले ही दे दी गई है । स्वीकृत सीमा के अंतर्गत आगे सहायता, व्यय को देखते हुए दी जाएगी ।

कावेरी जल विवाद पर मंत्रियों की वार्ता

3851. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में मैसूर, तमिलनाडु और केरल के बीच कावेरी जल के वितरण के संबंध में वार्ता आयोजित की थी तथा उसमें भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां । मैसूर, तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों और केरल के सार्वजनिक कार्य तथा पर्यटन मंत्री, की 27 अक्तूबर, 1970 को हुई बैठक में पार्टियों के मतभेदों को खत्म करना सम्भव नहीं पाया गया । भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आगे क्या कार्रवाई की जाए ।

Enactment of Some Legislation in Place of Preventive Detention Act

3852. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Abdul Gani Dar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to encant some other legislation in place of the Preventive Detention Act which has since lapsed ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronic and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The Central Government do not at present propose to introduce any Bill to replace the Preventive Detention Act. Certain State Governments viz., Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh have enacted laws providing for preventive detention. Legislative proposals in this regard are also under the consideration of the State Governments of Assam, Bihar and Punjab. The West Bengal Prevention of Violent Activities Act, 1970, has also been enacted by the President.

पश्चिम बंगाल में पुलिस की सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही

3853. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के राज्य प्रशासन ने पुलिस की सुरक्षा के लिये अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रौनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये किये गये उपायों में अचानक आक्रमण से अपने को बचाने के लिए निजी हथियारों की व्यवस्था, अप्रत्याशित शारीरिक आक्रमणों के लिये कुशल एवम् शारीरिक प्रशिक्षण बल की तैनाती के ढंग के बारे में विस्तृत अनुदेश ताकि व्यक्तियों को खतरा बहुत कम हो जाय, उचित तथा योजनागत आवासीय सुविधाएं, समाज विरोधी तत्वों आदि के विरुद्ध गहन छानबीन की कार्यवाहियां शामिल हैं। हथियारों तथा गोला बारूद एवम विस्फोटक पदार्थों के अनाधिकृत प्रयोग का पता लगाने तथा रोकने के उपायों को भी सुदृढ़ किया गया है ।

Service Condition of Employees of B.S.L. Project Himachal Pradesh

3854. **Shri Jagannath Rao Joshi:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the present pay scales of the employees of the B.S.L. Project, Himachal Pradesh;

(b) the number of such employees among them who have not been confirmed even after completion of five years service; and

(c) the time by which they are likely to be confirmed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddhbsh-war Prasad): (a) A statement giving the pay scales applicable to the employees of the Beas Sutlej Link Project is laid on the Table of the House.

(b) and (c). All posts on the Beas Sutlej Link Project are temporary and as such, the question of confirmation of any employee in this Project does not arise. However the confirmation aspect of the regular employees on deputation with the Beas Sutlej Link Project either from the Centre or from Punjab, Haryana and Rajasthan is being looked after by their parent departments against the permanent posts in those departments. The confirmation of the workcharged employees and of these regular employees who were appointed by the Project after 1.11.66, does not arise as there are no permanent posts on the Project.

Statement

Category	Pay Scales
1. Employees on deputation from Central Government.	Central Government Pay Scales plus deputation allowance as admissible according to Central Government Rules.
2. Employees allocated to Punjab/ Punjab State Electricity Board, Haryana/Haryana State Electricity Board.	Pay Scales of their parent States/State Electricity Boards.

3. Unallocated employees/Employees on deputation from Rajasthan and employees recruited after 1.11.1966.	Punjab Government Pay Scales.
4. Workcharged employees.	Beas Schedule of wages to those who joined on transfer from Bhakra Nagal Project before 5.1.1966 and Punjab Common Schedule of Rates to those who joined thereafter.

Hunger Strike by Employees of B. S. L. Project, Himachal Pradesh

3855. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the employees of the B. S. L. Project, Himachal Pradesh, had gone a protracted hunger strike during the month of November, 1970 to press their demands;

(b) if so, their demands and the reasons for the hunger strike ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Chain hunger strike has been resorted to by five unrecognised trade unions to get their Demands accepted. These include (1) regularising the services of the workcharged employees of the Project on the pattern of regular staff, (2) revise their pay scales suitably, (3) make the provisions of Employees State Insurance Scheme applicable to them, (4) declare work-charged employees drawing over Rs. 500/- as workmen for the purpose of compensation payments, (5) introduce gratuity scheme for them, (6) no victimisation.

(c) Conciliation proceedings were started by the Assistant Labour Commission (Central), Chandigarh but as these failed, the demands have been referred for adjudication.

Grant of Interim Relief to Employees of B. S. L. Project, Himachal Pradesh

3856. **Shri Jagannath Roa Joshi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the employees of B. S. L. project, Himachal Pradesh have not been granted interim relief announced by the Central Government though they are considered as Central Government employees ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the interim relief is likely to be given to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Yes, Sir. The employees of the Beas Sutlej Link project, Himachal Pradesh have not been granted interim relief. Except a few employees on deputation from the Central Government; other employees of the Project are not treated as Central Government employees. The Central Government employees on deputation to Beas Sultej Link Project are being paid according to the terms of their deputation to the Beas Project.

पोलैंड और बल्गारिया को मांसयुक्त खाद्य पदार्थों का निर्यात

3857. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में डिब्बाबन्द केकड़ा तथा बर्फ पर जमाई हुई मेंढक की टांगों का निर्यात पोलैण्ड और बल्गारिया को किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात कब किया गया था ;

(ग) भारत ने चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वाध में कितने समुद्रजन्य खाद्य-पदार्थों का निर्यात किया तथा गत वर्ष की अवधि में निर्यात की मात्रा तथा मूल्य के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(घ) समुद्रीय उत्पात निर्यात संवर्धन परिषद् का गठन किस प्रकार किया गया है तथा क्या सभी तटवर्ती राज्यों के प्रतिनिधियों को इस परिषद् में स्थान दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी, हां। व्योरा नीचे दिया है :

	मेंढक की टांगें		**डिब्बा बन्द श्रिम्प**	
	मात्रा (किग्रा० में)	**मूल्य** (रु० में)	**मात्रा** (किग्रा०)	**मूल्य** (रु० में)
बुलगारिया	20000	294895	6452	101517
	(जुलाई, 1970)		(अक्तूबर, 1970)	
पोलैंड	11870	162633	—	—
	(अगस्त, 1970)			

(ग)	**मात्रा मे० टनों में**	**मूल्य करोड़ रुपयों में**
अप्रैल-सितम्बर, 1970	16,866	17.5
अप्रैल-सितम्बर, 1969	14,536	16.7

(घ) तथा (ङ). समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् में 25 सदस्य हैं, जिसमें, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर के मत्स्य क्षेत्रों के पांच निदेशक भी शामिल हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की प्रस्थापित स्थापना के कारण परिषद् के गठन का पुनरीक्षण लम्बित पड़ा है।

दिल्ली नगर निगम के सम्बन्ध में रेड्डी तथा मोरारका आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन

3858. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेड्डी आयोग ने 1967 में यह सिफारिश की थी कि दिल्ली नगर निगम

को अपनी मार्गोपाय स्थिति में सुधार करने के लिये 8 करोड़ रुपये की राशि दी जाये और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उसके बाद मोरारका आयोग की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रौनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). डा० बी० गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्कन्ध से संबंधित दिसम्बर 1966 में दी गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित सिफारिशें कीं।

(i) निगम की सामान्य निधि के घाटे के मार्जन के लिए अनुदान ऋण देना ;

(ii) वर्ष के लिए बजेटेड व्यय के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिवर्ष अग्रिम अल्पकालिक ऋण वर्ष के द्वितीय अर्द्धांश की अवधि में 6 किस्तों में वसूल किया जाय ;

(iii) चालू वित्तीय वर्ष (1966-67) के दौरान 200 लाख रुपयों की तदर्थ अनुदान सहायता दी जाय ;

(iv) अप्रैल 1967 के दौरान 100 लाख रुपयों की तदर्थ सहायता अनुदान जिसका समंजन बाद में दिए जाने वाले शिक्षा सहायता अनुदान के भुगतान के साथ किया जायगा ;

(v) स्थानान्तरित संस्थाओं के लिये जब तक सुझाए गए अन्य उपाय नहीं अपनाए जाते 96.78 लाख रुपयों का सहायता अनुदान स्थिर किया जाय।

2. दिनांक 7-3-67 को हुई एक परवर्ती बैठक में आयोग ने कुछ आगे अध्ययन करने का निर्णय किया और अगस्त 1968 में एक दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री मोरारका की अध्यक्षता में गठित आयोग ने दिल्ली नगर निगम के लिये सहायता संबंधी प्रतिरूप पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं :

(1) शैक्षणिक (योजनेत्तर) प्रयोजन के लिये 50 प्रतिशत अनुदान।

(2) स्थानान्तरित संस्थाओं के लिए अनुदान 1969-70 से प्रतिवर्ष $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत उत्तरोत्तर घटाया जाना चाहिए।

(3) शत प्रतिशत पर आधारित सहायता अनुदान के रूप में अलाभकारी पूंजी परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाय जिनको निगम द्वारा प्रावस्था-कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अपनाने के लिये संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श और दिल्ली के मास्टर प्लान के कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से हाथ में लिया है।

(4) अन्य परियोजना के लिये सहायता जो स्वयं-परिसमापित या अर्द्ध-लाभकारी प्रकृति में है, जब कभी निगम द्वारा मांगी जाय प्रत्येक योजना के गुण दोष

के आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यह ऋण के रूप में होनी चाहिए। व्याज के भुगतान में मोहलत और मूल चुकाने के लिए प्रारम्भिक अवधि 3 से 5 वर्ष, अलग-अलग परियोजनाओं द्वारा उत्पादक बनने में समय लगने की आशा पर निर्भर होनी चाहिए।

(5) निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों संबंधी किए गए शुद्ध घाटे को पूरा करने हेतु शतप्रतिशत के आधार पर एक विशेष सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। शुद्ध घाटा कुल व्यय को घटाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले शुद्ध राजस्व (कर और कर सहित दोनों) से निश्चित किया जाना चाहिये और ऐसे अन्य सहायता अनुदान जो कि स्वीकार्य हों अन्यथा व्यय के किसी अन्य मद के सम्बन्ध में जैसे प्रारम्भिक शिक्षा, प्रसूति केन्द्र इत्यादि। सहायता अनुदान का भुगतान स्थिति के कारणों पर होना चाहिये यथा :

(i) निगम ग्रामीण क्षेत्रों के आय और व्यय दोनों का लेखा अलग रखेगा ; और

(ii) इसको केवल ऐसी योजनाओं/मदों में उस सीमा तक व्यय करना चाहिए जो कि वार्षिक ग्रामीण विकास योजना के एक भाग के रूप में दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित हों।

(6) योजना स्कीमें सहायता अनुदान के लिए 1969-70 से अलग मद नहीं समझी जानी चाहिए। चालू वर्ष (1968-69) के लिए तदर्थ आधार पर जैसी अब तक चल रही थी बनी रहेगी।

3. आयोग की इस रिपोर्ट पर सावधानी से विचार करने पर सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 1970-71 की अवधि में निम्नलिखित प्रतिमान पर सहायता अनुदान देने का निर्णय किया है :

(i) **शिक्षा:**—शिक्षा पर शुद्ध व्यय के लिये 50 प्रतिशत अनुदान स्थिर करना।

(ii) **योजना स्कीमें :**—दिल्ली नगर निगम को योजना और स्कीमों का निष्पादन करने के लिये अनुदान और ऋण जैसा कि एतत्पूर्व दिल्ली प्रशासन निर्णय करता था कि कौन सी योजना स्कीम निगम की एजेन्सी द्वारा निष्पादित की जाय।

(iii) **ग्रामीण अनुदान :**—केवल ऐसी योजनाओं/मदों के व्यय के लिये उस सीमा तक जो दिल्ली प्रशासन द्वारा यथावत अनुमोदित ग्रामीण विकास योजना के एक भाग के रूप में दिल्ली प्रशासन के वार्षिक योजना के अधिकतम सीमा के अन्तर्गत हो अनुदान दिया जायगा परन्तु योजनेतर व्यय के लिये अनुदान नहीं दिया जायगा।

(iv) **सेवा व्यय :**—सरकारी सम्पत्ति पर वर्तमान दर 75 प्रतिशत की अपेक्षा जहां कुछ नागरिक सेवाएं सरकार द्वारा स्वयं सम्भाली जाती हैं उनके अनुपातिक सेवा व्यय को काट कर शतप्रतिशत सेवा व्यय दिया जायगा।

4. आयोग की सिफारिशों में रूप परिवर्तन करके सरकार दिल्ली प्रशासन की दिल्ली नगर निगम द्वारा निष्पादित की जाने वाली योजना स्कीमों के लिये शतप्रतिशत अनुदान/ऋण देने के लिये सहमत हुई है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में योजनेतर व्यय के लिये अनुदान देने को सहमत नहीं हुई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिये दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता देना

3859. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र को सुझाव दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विषय विचाराधीन है।

प्रति व्यक्ति आय

3860. **श्री अदिचन** :

श्री दे० अमात :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1969-70 में तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ;

(ख) 1970-71 के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 1970-71 के पूर्वार्ध में हुई वास्तविक प्रगति को देखते हुए इसको कहां तक प्राप्त किया जा सकेगा ; और

(ग) रुपये की ह्रास होती हुई क्रय शक्ति को देखते हुए इन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि कहां तक हुई है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) देश भर में 1969-70 के दौरान प्रति-व्यक्ति आय के अनुमान अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1965-66 में प्रति-व्यक्ति आय चालू कीमतों पर 421.2 रुपये और स्थिर (1960-61) कीमतों पर 306.8 रुपये थी।

(ख) 1970-71 की वार्षिक योजना में पिछले वर्ष के मुकाबले में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि पर ध्यान दिया गया है जिससे कि प्रतिव्यक्ति आय में मोटेतौर पर 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

श्रीवृद्धि की सम्भावना के बारे में पूर्वानुमान लगाने में अभी बहुत जल्दी करना होगा। खरीफ की फसल के लिए मौसम पूर्णतः संतोषजनक रहा और कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। वर्ष के पहले चतुर्थांश में औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले में 5.5 प्रतिशत अधिक था।

(ग) वर्ष 1965-66 से लेकर वर्ष 1968-69 तक स्थिर (1960-61) कीमतों पर प्रति-व्यक्ति आय नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रति-व्यक्ति आय रुपये	पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि
1965-66	306.8	(—) 7.9
1966-67	301.4	(—) 1.8
1967-68	322.5	(+) 7.0
1968-69	321.4	(—) 0.3

Per Capita Income in States

3861. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the **per capita** income in each of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and Kerala during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, separately ; and

(b) the anticipated **per capita** income in the State of Madhya Pradesh during the financial year 1970-71 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The **per capita** income of the specified states, as estimated by the State Governments concerned, is given below :

	Per capita income at current prices (Rs.)			
Year	M. P.	U. P.	Rajasthan	Kerala
1967-68	505	498	497	505
1968-69	473	NA	419	NA
1969-70	NA	NA	NA	NA

(NA—Not available)

The estimates are not comparable due to differences in methods of estimation.

(b) The estimate of **per capita** income in the State of Madhya Pradesh during the financial year 1970-71 is not available.

चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक डा० गिल को उपकुलपति बनाने का अनुरोध

3862. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक, डा० गिल

से सरकार ने अपना पद छोड़ने तथा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय औषधियों का निर्यात

3863. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के नियंत्रण पर युगान्डा सरकार के मुख्य औषधि विक्रेता ने भारत का दौरा किया है ;

(ख) क्या ऐसी परिस्थितियां खोजने के सम्बन्ध में उससे बातचीत की गई थी जिससे भारतीय औषधियों का युगान्डा को निर्यात किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) समक्षारीय रसायन सामग्री, औषध तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद् के नियंत्रण पर यूगांडा सरकार के मुख्य औषध-विक्रेता ने 24 अक्तूबर से 7 नवम्बर, 1970 तक भारत का दौरा किया।

(ख) और (ग). मुख्य औषध-विक्रेता को निमंत्रण देने का मूल प्रयोजन भारत के औषध-उद्योग की द्रुत प्रगति, औषध निर्माण की स्वास्थ्यकर अवस्थाओं और कठोर गुण नियंत्रण उपायों के सम्बन्ध में उस पर प्रभाव डालना था। मुख्य औषध-विक्रेता ने औषधें बनाने वाले अनेक कारखानों को देखने के अलावा सरकारी अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों के साथ बातचीत की। इन वार्ताओं में यूगांडा को भारतीय औषधों का निर्यात करने की सम्भाव्यताओं का पता चला और मुख्य औषध-विक्रेता ने यह आश्वासन भी दिया कि वह भारत के साथ इन उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा। वह इस क्षेत्र में यूगांडा में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये भारतीय तकनीकी जानकारी और उपस्करों का आयात करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये भी सहमत हो गया।

तेल कम्पनियों को इस्पाती चादरों के आयात के लिये जारी किये गए आयात लाइसेंसों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

3864. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा शैल आयल रिफाइनरीज लिमिटेड, एस्सो स्टैंडर्ड रिफाइनरीज कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कालटेक्स आयल कारपोरेशन लिमिटेड को 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में पृथक-पृथक कितने-कितने लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के बिटूमन ड्रम बनाने के लिये इस्पात चादरों के आयात के लाइसेंस दिये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : जो आयात लाइसेंस दिये जाते हैं उन सभी का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंसों के आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय कैलेण्डर

3865. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उसके द्वारा निर्धारित किया गया कैलेण्डर (शक-सम्वत) इस देश की अधिकांश जनता जिसमें सरकारी अधिकारी, संसद् सदस्य और मंत्री सम्मिलित हैं, द्वारा न तो उपयोग में लाया जाता है और न याद ही रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, भारतीय कैलेण्डर को महाभारत युद्ध की समाप्ति, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और परीक्षित के जन्म दिवस, जो कि एक ही दिन पड़ते हैं, के आधार पर निर्धारित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) राष्ट्रीय कैलेण्डर प्रयुक्त भारतीय कैलेण्डर पद्धतियों की विविधता को दूर करने के लिये अपनाया गया था । यह कैलेण्डर कुछ सरकारी प्रयोजनों के लिये भी ग्रिगोरियन कैलेण्डर के साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है । दफ्तरों में प्रयोग के लिये जारी किये गये कैलेण्डर में दोनों कैलेण्डर पद्धतियों के अनुसार तारीखें दी जाती हैं ।

(ख) शक संवत को, जो राष्ट्रीय कैलेण्डर माना गया है, युधिष्ठिर संवत समेत विभिन्न कैलेन्डर पद्धतियों के गुणों पर विचार करने के पश्चात् चुना गया था । सरकार का वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

मैसर्स माडल वूलन मिल्स, बम्बई पर मुकदमा चलाना

3866. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् की प्राक्कलन समिति ने माडल वूलन मिल्स, बम्बई पर विभिन्न अपराधों के लिये मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 1967 में उक्त कम्पनी को कई संदेह-मुक्त सौदों में रंगे हाथ पकड़ा था और केन्द्रीय जांच व्यूरो ने भी इस कम्पनी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस कम्पनी के निदेशक कौन-कौन हैं तथा उनका सम्बन्ध अन्य कितनी कम्पनियों के साथ है और क्या उन सभी कम्पनियों के साथ उनके सम्बन्धों की जांच की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां । केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा पार्टी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख और उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 11-क तथा 24 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन एक आरोप-पत्र 18-6-70 को प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट बम्बई के न्यायालय में दायर किया गया है ।

(ख) जी नहीं । जांच के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सामने बम्बई कस्टम्स द्वारा पकड़े गये ऐसे कोई मामले नहीं आये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) **माडल वुलन मिल्स के साझेदार :**

1. अमर नाथ ग्रोवर
2. कपल मुनि ग्रोवर
3. ब्रज मोहन ग्रोवर
4. जनक राज ग्रोवर

माडल वुलन मिल्स की सम्बद्ध फर्में :

1. विनोद टैक्सटाइल्स
2. रविन्द्र टैक्सटाइल्स
3. ग्रोवर संस प्रा० लि०
4. पुष्प इण्डस्ट्रीज
5. जनक एण्ड कम्पनी
6. माडेला प्रा० लि०
7. राजिन्द्र एण्ड कम्पनी

अभिकथित कानून भंग के लिये मैसर्स माडल वुलन मिल्स, बम्बई पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जा चुकी है और जब तक सम्बद्ध फर्मों द्वारा की गई इसी प्रकार की गलती प्रकाश में नहीं आती तब तक इस प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों के लिये साझा बाजार

3867. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों का साझा बाजार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौसेना के जहाजों में नक्सलवादियों की घुसपैठ

3868. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय नौसेना के कुछ जहाजों में नक्सलवादी नारे लिखे गये हैं ;

(ख) क्या इस घटना से पता चलता है कि नौसेना के प्रतिष्ठानों में कुछ हद तक नक्सलवादी तत्वों की घुसपैठ हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की पूरी जांच की गई है और यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). नौसेना के 3 या 4 प्रतिष्ठानों पर कुछ आपत्तिजनक नारे पाये गये थे और उनके बारे में उचित कार्यवाही की गई है ।

मैसूर में अगरबत्ती का निर्माण करने वाले उद्योग

3869. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और केरल में सुगंधियों/चन्दन तेल अगरबत्ती का निर्माण करने वाले उद्योगों को धन देने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई एजेंसी है ;

(ख) क्या देश में उत्पादित उच्च श्रेणी की अगरबत्तियों का कोई निर्यात बाजार है ; और

(ग) कौनसी निर्यात संवर्धन परिषद् इस कार्य की देख-रेख करती है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) समाक्षारीय रासायनिक पदार्थ, औषध तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई ।

रबड़ का मूल्य

3870. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति क्विंटल रबड़ का न्यूनतम वर्तमान मूल्य कितना है ;

(ख) उसी किस्म के कृत्रिम रबड़ का मूल्य कितना है ; और

(ग) श्रीलंका तथा मलाया के उसी किस्म के रबड़ का मूल्य क्रमशः कितना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) आर० एम० ए० 1 ग्रेड रबड़ के लिये निकटतम जिला मुख्यालय कीमत 520 रु० प्रति क्विंटल है जिसमें उपकर तथा बिक्रीकर शामिल नहीं है ।

(ख) संश्लिष्ट रबड़ (स्ट्रेट रबड़) 440 रु० प्रति क्विंटल है जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है ।

(ग) 14 नवम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह में ग्रुप 1 रबड़ की कोलम्बो बाजार में कीमत 263.41 रु० प्रति क्विंटल और सिंगापुर बाजार में 276.75 रु० प्रति क्विंटल ।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/उपक्रम स्थायी परामर्शदातृ समितियाँ

3871. **श्री रवि राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्रालय, विभाग तथा उपक्रम के साथ एक स्थायी परामर्शदातृ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक हरिजन सदस्य होगा और जो इस बात पर ध्यान देगी कि हरिजनों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों पर वे नियुक्त किये जायें, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ख) इसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, प्रधान मंत्री के सभापतित्व में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भर्ती के कार्यनिष्पादन में समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा इटली का दौरा

3872. **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय प्रतिनिधिमंडल इटली गया था और भारतीय माल के उस देश को निर्यात के लिए आदेश प्राप्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस देश को क्या सामान निर्यात किया जायेगा ;

(ग) उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इटली सरकार के साथ इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां । इटली की सरकार के निमंत्रण पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के महासंघ के महा-सचिव श्री जी० एल० बंसल की अध्यक्षता में 15 सदस्यों के एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मंडल ने, 8 से 20 नवम्बर, 1970 तक इटली का दौरा किया ।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यतः अपरम्परागत मदों के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व किया तथा ये निम्नोक्त थीं : (1) शुष्क बैटरियां, (2) विद्युत मोटर तथा ट्रांसफोरमर, (3) मोटर-गाड़ियों के पुर्जे, (4) रसायन जैसे स्ट्राईविजीन, तथा वूसाइन से तैयार की गई वस्तुएं, इमेटीन तथा उससे तैयार की गई वस्तुएं, ओपक्सेलिक अम्ल तथा रेअर अर्थ क्लोराइड, (5) कार्बनिक रंग-सामग्री तथा पिग्मैंट्स (6) साधित पदार्थ, रबड़ उत्पाद, वैनीर तथा अन्य सम्बद्ध उत्पाद। भारत इन उत्पादों का इटली को निर्यात करने की स्थिति में है तथा सरकार द्वारा निर्यात हेतु उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर जब कभी भी वे प्राप्त होंगे, मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा।

(घ) क्योंकि, इन उत्पादों का वास्तविक आयात इटली के गैर-सरकारी आयातकों द्वारा किया जायगा, अतः इटली की सरकार के साथ कोई करार करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में ट्रांजिस्टर युक्त टेलीविजन सेट का निर्माण करने के कारखाने की स्थापना

3873. **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में गैर-सरकारी क्षेत्र में ट्रांजिस्टर युक्त टेलीविजन सेट का निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन के कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है तथा उसमें कितनी लागत आएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान टेलीविजन रिसीवरों की प्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करके उद्यमकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुछ आवेदनकर्त्ताओं ने गोवा में इनके निर्माण की व्यवस्था स्थापित करने के बारे में अपना इरादा व्यक्त किया है, उनके आवेदनों पर अन्य आवेदनों के साथ विचार किया जा रहा है।

राजस्थान के औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा टेलीविजन सेटों का निर्माण

3874. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजस्थान के औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम ने टेलीविजन सेट बनाने के लिये केन्द्र सरकार से लाइसेंस देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) देशी जानकारी से 30,000 टेलीविजन सेट प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिये आवेदन है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र की संस्थानों और निजी क्षेत्र की फर्मों से प्राप्त सभी आवेदन विचाराधीन हैं ।

रबड़ का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का विरोध

3875. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उद्योग सम्बन्धी गैर-सरकारी फर्मों ने रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सरकारी कार्यवाही का विरोध किया है ;

(ख) क्या ये गैर-सरकारी फर्म सरकार के निर्णय से बच निकलने का प्रयास कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (ग) से (ग). सितम्बर, 1970 में कच्चे रबड़ की न्यूनतम कीमतें निर्धारित हो जाने के फलस्वरूप, प्राकृतिक रबड़ के स्टाक में वृद्धि होने का कारण निर्माताओं द्वारा कम माल का उठाया जाना है ।

भंग की गई यूनिटों के सैनिकों को रोजगार देना

3877. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भंग की गई यूनिटों के सैनिकों को रोजगार देने के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है ; और

(घ) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास की सुविधायें दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों का 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों का 20 प्रतिशत, उनके लिए आरक्षित करने की व्यवस्था जुलाई, 1966 से की गई है, रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों पर उनके द्वारा किये जाने वाले नामांकनों के लिये भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता भी प्रदान की जाती है । चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चपरासी दफ्तरी, जमादार तथा रिकार्ड-सार्टर के पदों पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता से छूट दिये जाने के द्वारा कतिपय रियायतों के अतिरिक्त उन्हें आयु-सीमा में भी छूट दी जाती है । सभी

राज्य सरकारों से भूतपूर्व सैनिकों के लिये अपनी सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य रियायतों की व्यवस्था करवाने के लिये अनुरोध किया गया है । चूंकि आरक्षण समय-समय पर होने वाली, रिक्तियों पर किया जाता है और योग्य भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्ध होने की शर्त पर वास्तविक रूप से उपयोग में लाया जाता है इसलिये इस स्कीम के अन्तर्गत जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जायगा उनकी संख्या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न होगी ।

रेलों के फालतू पुर्जों का निर्यात

3878. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मन सरकार ने रेलों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिये भारत को क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, उनको कितने पुर्जे सप्लाई करने का निश्चय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक भारतीय फर्म को जर्मन संघीय रेलवे से 26,000 रु० जहाज पर मूल्य के "रिटर्न बैंड्स फार सुपर हीटर एलीमैंट्स फार स्टीम लोकोमेटिब्ज" सप्लाई करने का एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है जिसकी अब पूर्ति कर दी गई है ।

मनीपुर राज्य की हथकरघा सहकारी समिति की मांगें

3879. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में, राज्य हथकरघा सहकारी समिति में कार्य करने वाले हथकरघा कर्मचारियों में उनकी मांगों पर विचार न किये जाने के कारण असन्तोष फैलता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार को इस तथ्य की जानकारी है तथा उसने इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पहलू पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

छोटे तथा मध्यम आकार के कम्प्यूटरों की मांग

3880. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भाभा समिति के अनुसार भारत में कम्प्यूटरों की वर्तमान मांग छोटे तथा मध्यम आकार के कम्प्यूटरों तक सीमित है;

(ख) क्या इलोक्ट्रोनिक्स विभाग ने ब्रिटिश कम्पनी-आई० सी० एल० को 1900 सीरीज के कम्प्यूटरों के निर्माण की अनुमति देने से पहले कोई अध्ययन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). भाभा समिति के अनुसार भारत में अधिकतर मांग मध्यम और छोटे कम्प्यूटरों की होगी । आई० सी० एल० 1900 सीरीज के कम्प्यूटर इसी टाइप के हैं । अक्तूबर, 1967 में मैसर्ज आई० सी० एल० को 56 ऐसे कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था । दिसम्बर, 1968 में आवश्यकताओं का पुनः पूर्ण अध्ययन किया गया था । मामला विचाराधीन है ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के मुख्य आयुक्त के विरुद्ध लेख याचिकाएं दायर करना

3881. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी, दि नानकौरि ट्रेडिंग कम्पनी तथा आर० अखूजी जदवैट एंड कम्पनी द्वारा अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के मुख्य आयुक्त के विरुद्ध निकोबार द्वीपसमूहों के लिए उनके व्यापार लाइसेंसों का नवीकरण करने से इन्कार करने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर लेख याचिकाओं का इस बीच निपटान कर दिया गया है, यदि हां, तो इन याचिकाओं का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) उच्च न्यायालय ने कितनी बार सुनवाई स्थगित की तथा क्या उच्च न्यायालय ने सुनवाई के इस प्रकार का स्थगन सरकारी वकील की सहमति से किया और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). कलकत्ता उच्च न्यायालय में 3 कम्पनियों द्वारा दायर लेख याचिकाओं का अभी तक निपटान नहीं हुआ है । 7 मुख्य लेख याचिकाओं में से 16 दिसम्बर, 1969 को केवल एक लेख याचिका की सुनवाई की गई । कम्पनियों के वकील ने सरकारी वकील को न्यायालय के बाहर समझौते के लिए की जाने वाली बातचीत को ध्यान में रखते हुए स्थागित करने के लिए प्रार्थना में उसका समर्थन करने के लिए लिखा था । तदनुसार अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने स्थगन में कम्पनी के वकील का समर्थन करने के लिए सरकारी वकील को अनुदेश जारी किए । इसके परिणामस्वरूप 16 दिसम्बर, 1969 को बड़े दिन की छुट्टियों के बाद न्यायालय के पुनः खुलने के बाद एक हफ्ते तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया । 28 मई, 1970 को मामले की फिर सुनवाई की गई और प्रार्थी के कहने पर स्थगित कर दिया गया । इसकी पुष्टि करना सम्भव नहीं है कि क्या सरकारी वकील की अनुमति प्राप्त की गई थी । जब तीसरी बार 18 जून 1970 को मामले की सुनवाई की गई तो प्रार्थी के अनुरोध पर 2 सप्ताह के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया । पूजा की छुट्टियों के पश्चात न्यायालय के पुनःखु लने पर मामला सूची में आना था । फिर भी सरकार को इस विषय की प्रगति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

फरक्का बांध पर पाकिस्तान से बातचीत का पुनः आरंभ किया जाना

3882. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध तथा सम्बद्ध समस्याओं पर पाकिस्तान के साथ पुनः बातचीत आरंभ करने के लिये निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार कब तक बातचीत आरंभ करना चाहती है; और

(घ) इस उद्देश्य से सरकार ने भारतीय दल में किन व्यक्तियों को नामांकित किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). भारत और पाकिस्तान सरकारों के सचिवों की जूलाई, 1970 में हुई बैठक में, दोनों पक्षों ने यह स्वीकार कर लिया कि इस सुझाव को दोनों ही अपनी अपनी सरकारों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करें कि फरक्का बराज तथा पूर्वी नदियों से संबंधित अन्य मामलों पर विचार करने के लिए दोनों सरकारों को मान्यस्तर पर उसे 6 महीने की अवधि में एक बैठक की जाय। इस पर सरकार विचार कर रही है।

महानगरों में पुलिस बल का गठन

3883. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चारों महानगरों में बढ़ती हुई क्षेत्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के ढांचे में राष्ट्रीय आधार पर परिवर्तन करने के लिये और पुलिस बल में देश के सभी क्षेत्रों को लाने के लिए कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों की जान और माल की रक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं जो देश के अन्य क्षेत्रों से आकर बस गये हैं; और

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन चार महानगरों के विकास में उन लोगों ने स्थानीय लोगों से कम भाग नहीं लिया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिल्ली तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को जो चार महानगरों के पुलिस प्रशासन के कार्य प्रभारी हैं इन महानगरों में प्रत्येक नागरिक के जीवन तथा सम्पत्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता के प्रति सजग हैं और उनके पास इसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा प्रबन्ध हैं।

(ग) सरकार को इन नगरों के विकास के लिये जन संख्या के विभिन्न संघटक तत्वों के भाग लिये जाने की जानकारी है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व नरेशों के आश्रितों को भत्तों का दिया जाना

3884. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 नवम्बर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व नरेशों के आश्रितों को निर्वाह भत्ता एवं अनुदान जारी रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय राष्ट्रपति के उस आदेश के विपरीत है जिससे राजाओं की मान्यता समाप्त की गई थी और उनके भत्ते आदि बन्द कर दिये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र तथा राज्य इस मामले पर अलग-अलग नीति अपना सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रेस रिपोर्ट को देखा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) मान्यता समाप्ति के आदेश केवल उन्हीं नरेशों पर लागू होते हैं जिनको अनुच्छेद 366 (22) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई थी तथा उनके प्रिवीपर्स बन्द कर दिये गए हैं। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का इरादा केवल कुछ आश्रितों के भत्ते जारी रखने का है जिन्हें पहले स्वीकृत किए गए थे ।

राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रपति भवन तथा राजभवनों पर केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

3885. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1970 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रपति भवन तथा राज्यों में राज भवनों पर केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निर्णय पहले ही किया जा चुका है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार ने वह रिपोर्ट देखी है जिसमें कुछ प्रस्तावों का न कि किसी निर्णय का उल्लेख है। यह प्रश्न कि क्या राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति भवन और राज भवनों पर फहराया जाना चाहिए, विचाराधीन है ।

Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration

3886. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs, rosters in regard

to reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are maintained in the different Departments of the Delhi Administration ;

(b) if so, the names of such Departments ; and

(c) whether Government would lay copies of those rosters on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronic and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Necessary information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the House on its receipt.

नागालैंड द्वारा सीमा आयोग की मांग

3887. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार ने सभी नागा क्षेत्रों को नागालैंड में सम्मिलित करने के लिये एक सीमा आयोग की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस मांग पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नागालैण्ड सरकार ने असम के साथ अपनी सीमा के सदर्भ में एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

विद्युत् उत्पादन की नई क्षमता तथा उसका वितरण

3888. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में देश में बिजली के उत्पादन की कितनी नई क्षमता बनाई गई ;

(ख) इसमें से लघु उद्योगों, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को और बड़े उद्योगों तथा शहरों को कितनी-कितनी बिजली दी गई ;

(ग) क्या लघु उद्योगों और नलकूप जैसी कृषि परियोजनाओं की अपेक्षा बड़ उद्योगों को बिजली सस्ते दर पर दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो बिजली की दर में अन्तर का औचित्य क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1969-70 के दौरान बिजली उत्पादन में वृद्धि 1197 मैगावाट थी उपभोक्ताओं को विभिन्न

श्रेणियों के लिए 1969-70 के दौरान बेची गई यूनिटें नीचे दी गई हैं :

	लाख यूनिट
कुल सभी श्रेणियां	409700
लघु उद्योग	32270
कृषि	38300
बड़े उद्योग	253650

1968-69 वर्ष के दौरान उपलब्ध ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपयोग में लाई गई ऊर्जा उपाबंध-1 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4517/70.]**

(ग) तथा (घ). कृषि तथा लघु उद्योग भारों के लिए बिजली की सप्लाई साधारणतया 400 वोल्ट पर होती है जिसमें ऊंची वोल्टेज से परिणमन तथा कम वोल्टेज पर वितरण शामिल है, जबकि भारी उद्योगों के लिए बिजली ऊंचे वोल्टेज पर दी जाती है। बड़े उद्योगों के संबंध में सप्लाई की वोल्टेज, न्यूनतम मांग और उपयोग तथा भार—ऊंचे हैं। इन कारणों से भारी उद्योगों के लिए टैरिफ दरें, कृषि उद्देश्यों तथा लघु उद्योगों के टैरिफ दरों की तुलना में, कम हैं।

बमों को बरामद करने के लिये कलकत्ता पुलिस द्वारा सेना की सहायता लिया जाना

3889. **श्री नारायणन् :**
श्री सामिनाथन् :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस ने सितम्बर और नवम्बर, 1970 के दौरान बमों को बरामद करने के लिये सेना की सहायता ली थी ;

(ख) यदि हां, तो सेना ने कितनी बार स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता की ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि पश्चिम बंगाल में अक्सर प्रयोग किये जाने वाले बम देशी हैं अथवा विदेशी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Supply of Electricity for Irrigation Purposes to East Nimad District of Madhya Pradesh

3890. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make arrangements for the supply of electricity for irrigation purposes to the East Nimad District of Madhya Pradesh under the Rural Electrification Scheme ;

(b) whether Government propose to give priority to the unirrigated areas in the matter of setting up small Thermal Power Stations with a view to encouraging Irrigation Scheme there ; and

(c) if so, the time by which action in this direction is proposed to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Eletricity has already been provided for energisation of 2048 irrigation pumpsets in the East Nimad District of Madhya Pradesh up to 1969-70. The Madhya Pradesh authorities have programmed the provision of electricity for energisation of 800 more irrigation pumpsets during 1970-71 out of which 106 pumpsets have already been energised.

(b) and (c). Rural electrification schemes have been reoriented with a bias towards energisation of pumpsets for providing irrigation facilities, particularly in unirrigated areas. As adequate electric power is available in the State for meeting irrigation loads, the question of setting up small thermal power stations does not arise.

प्रक्षालकों तथा कालीनों के निर्यात के लिए रूस से करार

3891. **श्री मायावन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को प्रक्षालकों तथा मशीन द्वारा बनी कालीनों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने 1970 की चौथी तिमाई में 800 मे० टन धोने का प्रक्षालक पूर्ण सोवियत संघ भेजने की एक संविदा पर सोवियत विदेशी व्यापार संगठन, मेसर्स सोजूशिम-सेक्सपोर्ट के हस्ताक्षर किए हैं । जहां तक मशीन से बने कालीनों का सम्बन्ध है, वर्ष 1970-71 में 145,000 वर्ग मीटर मशीन से बने रुएंदार कालीन भेजने के लिए एक भारतीय गैर-सरकारी फर्म ने मे० नोवोएस्पोर्ट, मास्को के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं ।

भूतपूर्व शासक मंडल सम्बन्धी अनुच्छेदों को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन

3892. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने भूतपूर्व शासक मंडल सम्बन्धी अनुच्छेदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). कुछ सदस्यों ने प्रिवीपर्स परि-समाप्ति विधेयक के पुरःस्थापन पर बहस की मांग की है । इस अभिप्राय के लिये संविधान को संशोधित करने के आशय का एक गैर-सरकारी विधेयक सदन के विचाराधीन है । जैसा कि इस

सदन को विदित है कि मान्यता समाप्त करने के आदेशों को चुनौती देती हुई कुछ भूतपूर्व नरेशों द्वारा दायर लेख्य याचिकाओं की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाई की गई है और उसका न्यायनिर्णय अभी प्रतीक्षित है। सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि भूतपूर्व नरेशों से सम्बन्धित मामलों पर विधान के बारे में अन्तिम निर्णय वह कब तक ले सकेगी ?

शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्यात

3893. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के अतिरिक्त बाहर के अन्य देशों में भारत निर्मित शल्य चिकित्सा उपकरणों की बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनको ऐसे उपकरणों का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सोवियत संघ को छोड़कर विदेशों में भारत में बन शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी यंत्रों की मांग सीमित है।

(ख) सोवियत संघ को छोड़कर इन प्रमुख देशों को शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी यंत्रों का निर्यात किया जाता है श्रीलंका, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, ईरान, इराक आदि।

Inadequacy of Means of Irrigation in Banda and Bundelkhand (U. P.)

3894. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the land of the Bundelkhand areas is very uneven resulting in inadequacy of means of irrigation and is often visited by drought ;

(b) the new means of irrigation exploited or the schemes which have been undertaken for irrigating that part of the Bundelkhand area which lies in District Banda of Uttar Pradesh ;

(c) the details in regard to the old, as well as new schemes so far implemented by Government for providing irrigation facilities there ; and

(d) whether Government have chalked out any scheme to irrigate the uneven land on the banks of the Yamuna, Ken Bage pathsuni Garda, Ganta rivers in the above district by sinking tubewells ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). A statement showing the schemes in Bundelkhand completed prior to 1951 is at Annexure I. **[Placed in Library, See. No. L T 4818/70]**

17 irrigation schemes have been taken up in this region during the Plans out of which 14 medium and one major schemes have been completed. 2 medium schemes are continuing. Details of these are given in Annexure II. **[Placed in Library .See No. L. T. 4818/70]**

A scheme for Remodelling of Ken Canal for stabilising irrigation under its command was received from the State Government and is under examination.

The State Government had in 1968 proposed pumped canals at Ren, Bhitaura, Kishanpur, Ora and Augasi. The had later indicated that these schemes were being revised. The revised schemes have not yet been received.

Corruption in Distribution of Gifts received for Flood Affected People

3895. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether some leading workers distributed only a part of the free gifts received from the 'Christian Agency for Social Action New Delhi' for distribution among the flood affected persons and sold out the remaining ones and pocketed the money received from their sale ; and

(b) whether Government propose to institute inquiries against the said corrupt persons and take suitable action against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No such complaint has been received by the Government of India.

(b) Does not arise.

Work on Great Gangau Project to Increase Irrigating Capacity of Ken Canal

3896. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the work on the Great Gangau project was proposed to be started to increase the irrigating capacity of Ken Canal ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the time by which the work is likely to be started thereon ; and

(d) the time by which the water is likely to be made available therefrom for irrigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Great Gangau Project, for increasing the irrigating capacity of the Ken canal is reported to be under investigation by the Uttar Pradesh Government. The project proposals have not so far been received in the CW and PC.

(b) to (d). Do not arise.

धन की कमी के कारण केरल में सात परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कठिनाई

3897. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण केरल राज्य में सात परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र धन की मंजूरी देगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल सरकार अभ्यावेदन दे रही है कि कल्लाडा, कुट्टियाडी, पम्बा, कनहिरापुजा, पेरियार घाटी तथा

चित्तरपुजा परियोजनाओं के लिए 1970-71 में राज्य की चौथी योजना तथा राज्य बजट में व्यवस्थित परिव्यय अपर्याप्त हैं और 3.22 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उन्हें 1970-71 के दौरान दी जा सकती है,

(ख) और (ग). सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धन-राशि राज्यों द्वारा अपनी सारी चौथी योजना तथा वार्षिक योजना परिव्ययों में से ही प्रात करनी होगी।

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई विभाग की उपेक्षा के कारण वर्षा के जल से अप्लावित-भूमि

3998. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग की उपेक्षा के कारण पश्चिम बंगाल में शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की भूमि का बहुत विस्तृत भाग जल मग्न हो गया था जिससे हजारों व्यक्ति बेघर हो गये थे ;

(ख) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना है जिससे लोग वर्षा के शिकार न बनें ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1970 के पहले दो सप्ताहों के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में लगभग 14.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 80 लाख लोग भारी तथा अभूतपूर्व वर्षा के कारण प्रभावित हुए थे, न कि पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग को लापरवाही के कारण राज्य का सिंचाई विभाग निम्न क्षेत्रों में जल-निकास में सुधार और निकास नालियों के रख-रखाव के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। राज्य सरकार के पास प्रभावित क्षेत्रों में निकास कठिनाइयों और बाढ़ समस्याओं में कमी करने के लिए कुछ बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रस्ताव भी हैं। जल-निकास के सुधार से सम्बन्धित मुख्य स्कीमें जो इस समय कार्यान्वियन के अधीन हैं, ये हैं—सियालदह गोंग बेसिन, नोवी बेसिन, चुरियल बेसिन, क्रिस्टापुर-भंगूर-कट खल, टोलीज नाला और कालियाघई।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

3899. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के आगामी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति में देरी करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) श्री जस्टिस जे० सी० शाह की भारत के आगामी मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति 30 नवम्बर, 1970 को घोषित कर दी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

3900. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों, जो कि शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर उपर्युक्त व्यक्तियों का चयन अभी तक नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन ऊंचे पदों पर नियुक्तियों में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति क्रमश: 5 जुलाई, 1971 तथा 2 मार्च, 1971 को होने वाली है। इसलिए, इन पदों पर नियुक्तियों में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भगराई क्षेत्र में समुद्र तक सीधे कटाव और जल-निकासी की व्यवस्था

3901. **श्री स० कुन्दू :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगराई क्षेत्र में समुद्र तक सीधे कटावों और जल-निकासी की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है जैसा कि जल निकासी की योजना में सुझाव दिया गया है ;

(ख) प्रस्तावित सुवर्ण रेखा के तटबन्धों की ऊंचाई कितनी होगी और दोनों के बीच कितना फासला होगा ;

(ग) केवल भगराई क्षेत्र में निकासी योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है और क्या बाढ़ नियंत्रण हेतु सुवर्ण रेखा नदी पर तटबंधों का निर्माण करने का कोई सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि वह उक्त योजना के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि की व्यवस्था करेगी और क्या केन्द्रीय सरकार उक्त योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता देगी ; और

(ङ) क्या उड़ीसा में सुवर्ण रेखा और बुरबालाना नदियों के लिये निकासी और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत योजना तैयार की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा में 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सुवर्ण रेखा स्कीम की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में से कार्य शामिल है : एतजुद्दी और चित्तई नालों आदि की तरह निकास नालियों के साथ-साथ भोगराई क्षेत्र में वर्तमान निकास स्थितियों में सुधार और तटबंधों में पर्याप्त संख्या में निकास कपाट। परियोजना रिपोर्ट में समुद्र तक किसी सीधी काट का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(ख) तटबंधों के बीच परस्पर दूरी 3400 मीटर है। तटबन्ध की ऊंचाई 4.5 से 6 मीटर तक है।

(ग) समस्त स्कीम को तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की लागत क्रमशः लगभग 3 करोड़ रुपये 4.4 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये है। भोगराई क्षेत्र में निकास स्कीम की अनुमानित लागत 72 लाख रुपये है।

(घ) राज्य सरकार ने अपने चतुर्थ योजना प्रस्तावों में सुवर्णरेखा तटबन्ध स्कीम के लिए किसी राशि का प्रावधान नहीं किया है चूंकि बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वियन राज्य सरकार का उत्तर दायित्व है, उन्हें, यदि आवश्यकता हुई तो, विकास के अपने अन्य सेक्टरों से समंजन करके राशि ढूंढ निकालनी होगी।

(ङ) 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सुवर्ण रेखा तटबन्ध स्कीम उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में विचारार्थ प्राप्त हो गई है। अनुमानित लागत में 4.02 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो कि 173 ग्रामों में लगभग 53000 लोगों को पुनः बसाने के लिये है। तकनीकी और पुनर्वास पहलुओं की विस्तृत जांच करने के बाद इस स्कीम को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

बुरा-बलोंग नदी के लिए अभी कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है।

रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में एक संयंत्र स्थापित किया जाना

3902. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में एक संयंत्र स्थापित किये जाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में खनिज रेत के महत्वपूर्ण भण्डार विद्यमान है। इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा किये गये प्रारम्भिक विश्लेषण से पता चला है कि उड़ीसा में खनिज पृथक्कीकरण संयंत्र स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से उचित होगा। इन भण्डारों का विस्तार से अनुमान लगाने के साथ-साथ संयंत्र के डिजायन तथा अन्य-प्राचलों का अध्ययन करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं एवं कृषि उपकरणों के कलपुर्जों का आयात के आधार पर आयात

3903. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सिंचाई परियोजनाओं एवं सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धी

उपकरणों के कल पुर्जों के लिए आयात के आधार पर आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्पष्ट निर्णय क्या हैं और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निर्माण उपस्कर तथा फालतू पुर्जों की प्राप्ति में देरी को समाप्त करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु बनाई गई मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दे दी हैं। इस समिति की सिफारिशों का सार और की गई कार्रवाई, लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 3081, जिसका उत्तर 2-12-70 को दिया गया है, के उत्तर में बताया गया है। फालतू पुर्जों के आपत्कालीन आयात के सम्बन्ध में अतिरिक्त सुविधाएं संक्षिप्त रूप में नीचे बताई गई हैं:

(1) डी० जी० टी० डी० से मंजूरी प्राप्त किए बिना आयात लाइसेंस की कीमत का 7.5 प्रतिशत तक सीमित फालतू पुर्जों के आयात के लिए प्राथमिकता वाले उद्योगों को आयात व्यापार नीति में रियायत सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए भी दे दी गई हैं।

(2) विदेशी मुद्रा की स्वीकृति तथा डी० जी० टी० डी० की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,000 रुपये और विद्युत परियोजनाओं के लिए 20,000 रुपये की सीमा तक आपातिक फालतू पुर्जे सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं द्वारा आयात किए जा सकते हैं।

प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

3904. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन जिलों में और किस रूप में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ में कलकत्ता शहर के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त हुगली, 24-परगना, बीरभूम तथा बर्दवान जिलों में बचाव तथा राहत कार्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्तों को लगाया गया था।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से असहाय व्यक्तियों को बचाने, उन्हें सहायता शिविरों में लाने, ऐसे सहायता शिविरों की देखभाल करने तथा बाढ़पीड़ित व्यक्तियों में खाद्यान्न वितरित करने के अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने प्रभावित व्यक्तियों को चाय, स्नेक, पके हुए भोजन इत्यादि के रूप में तुरन्त सहायता देने के लिए उचित स्थानों पर अनेक कैन्टीन चलाई है। बल की कल्याण तथा अन्य निधियों से अंशदान के अतिरिक्त बल के अलग अलग सदस्यों ने भी बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने हेतु स्वैच्छिक अंशदान दिये थे। इसके अतिरिक्त बल के कर्मचारियों ने कुछ क्षेत्रों के तटबन्धों की मरम्मत के लिए भी स्वेच्छा से कार्य किया।

पुलिस पर आक्रमणों के संबंध में कलकत्ता पुलिस आयुक्त के मत

3905. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पुलिस आयुक्त ने यह मत प्रकट किया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस पर होने वाले हमलों की घटनाओं में अधिक शत: माल-डिब्बे तोड़ने वालों और समाज-विरोधी तत्वों का हाथ होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन हमलों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पुलिस आयुक्त ने मत प्रकट किया था कि भारी संख्या में समाज-विरोधी तत्व और माल-डिब्बे तोड़ने वाले कलकत्ता में नक्सलवादियों के साथ क्रियावादियों की हैसियत से मिल गये थे। किन्हीं तत्वों से भी पुलिस पर होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की अनुवादकों के रूप में नियुक्तियां

3906. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री देवराज पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हिन्दी अधिकारी तथा अनुवादकों के पदों पर इस समय काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)

अगस्त, 1970 तक की अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

हिन्दी अधिकारी	
अनुसूचित जाति	1
अनुसूचित आदिम जाति	—
हिन्दी अनुवादक	
अनुसूचित जाति	11
अनुसूचित आदिम जाति	4

मलयेशिया को हथकरघे से बने कपड़े के निर्यात की संभावना

3907. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथकरघे से तैयार कपड़े के निर्यात मलयेशिया को निर्यात किये जाने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हंगरी के साथ व्यापार

3908. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 1969-70 में हंगरी के साथ हुए व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की; और

(ख) उक्त अवधि में हंगरी ने भारत से किन-किन वस्तुओं का आयात किया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1969-70 के दौरान हंगरी को हमारे निर्यातों का मूल्य 940 लाख रु० था। वर्ष 1969-70 के दौरान हंगरी को हमारे निर्यातों के वस्तुवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1969-70 के दौरान हंगरी को भारत के निर्यात

क्रमांक	वस्तु	मूल्य लाख रु० में
1.	काफी	43
2.	चाय	6
3.	कालीमिर्च	61
4.	खली तथा मील	267
5.	अनिर्मित तम्बाकू	20
6.	तिलहन, आयल नट तथा तेल वाली गिरियां	20
7.	कपास	32
8.	रुई झूट	19
9.	क्यानाइट अयस्क	7
10.	अभ्रक	46
11.	निश्चित वनस्पति तेल	7
12.	लौह अयस्क तथा सांद्रण	57
13.	पशु सम्बन्धी सामग्री	15
14.	प्राकृतिक गोंद, रेंजिन, बालसम तथा लाख	5
15.	एसबेस्टास सीमेन्ट का इमारती सामान	25
16.	सगंध तेल, इत्यादि और सुवास सामग्री	9
17.	चर्म	125
18.	नारियल जटा धागा	65
19.	नारियल जटा चटाईयां और फर्श बिछावन	23
20.	पटसन का सामान	54
21.	अन्य वस्तुएं	34
	योग	940

अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन

3909. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन किये जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) चूंकि सात राज्यों ने या तो इस सेवा में भाग न लेने के अपने निर्णय सूचित कर दिये हैं, या भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा के गठन की आवश्यकता के बारे में अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार इस विषय पर और आगे विचार कर रही है । कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

तमिलनाडु सरकार का मत है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का विषयक पूर्णरूप से राज्य सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

मैसूर सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के भर्ती की प्रतिक्रिया में आमूल परिवर्तन का सुझाव दिया है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सुझावों को स्वीकृत न किये जाने पर उन्होंने भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा की स्कीम के गठन में भाग लेने संबंधी अपने अनुबंध को वापस लेने का निर्णय सूचित किया है ।

महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रतिक्रिया से इस आधार पर अलग होने का विचार किया है कि कुछ राज्य इस प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा अखिल भारतीय स्वरूप की नहीं होगी ।

आसाम तथा जम्मू व कश्मीर सरकार ने कोई विशिष्ट कारण नहीं दिये हैं ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वे इस प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिये तभी सहमत होंगे, यदि केन्द्रीय सरकार पूर्ण अतिरिक्त व्ययभार को वहन करेगी ।

पंजाब सरकार ने भी सूचित किया है कि वे भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा में भाग लेने के प्रश्न पर आगे विचार कर रही है ।

Construction of Water Reservoirs on Bhagirathi and Alaknanda in the Himalayas

3910. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether all the schemes for the construction of water reservoirs on the Bhagirathi and Alaknanda in the Himalayas have been shelved ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the places where water reservoirs were proposed to be constructed on the said rivers indicating the priority thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Government of Uttar Pradesh have sent a project report for a dam at Tehri on the Bhagirathi. This report is under examination in the Central Water and Power Commission.

The Utyasu project on the Alaknanda is reported to be under investigation.

Goverdhan Drain Project

*3911. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Uttar Pradesh subjected to floods and inundation as a result of the water being drained out from Rajasthan and Haryana in the Goverdhan drain of Uttar Pradesh ;

(b) whether the work on the Goverdhan Drain Project is not being completed due to the indifferent attitude of Western Uttar Pradesh ; and

(c) if so, whether Government propose to take it over to ensure its completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Goverdhan Drain was constructed in 1967 for catering to the drainage of flood waters from areas in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Since its construction, areas in Uttar Pradesh were affected by the flood waters from Haryana and Rajasthan only in 1967, as a result of unusually heavy rainfall in the catchment of the Goverdhan Drain. An area of about 19000 hectares was affected in Uttar Pradesh in 1967.

(b) The Government of India have not received any report to the effect that the work on the Goverdhan Drain Project is not being completed due to the indifferent attitude of Western Uttar Pradesh. The work on the re-modelling of the Goverdhan Drain is proposed to be taken up, after the final recommendations of the Committee, set up by the Government of India to review the Project framed by the Government of Uttar Pradesh taking into account the proposals for utilisation of drainage water in the States of Haryana and Rajasthan, have been received.

(c) There is no such proposal at present.

Export of Short-Staple Cotton

3912. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the extent of success achieved so far in increasing the export of short-staple cotton and decreasing the import of long-staple cotton ; and

(b) whether any target has been fixed whereby long-staple cotton could be exported after meeting the internal requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). The annual level of export of cotton during the last three cotton years has been around Rs. 14 crores. Except Bengal Deshi cotton, varieties of cotton permitted for export are not spinnable. Export of Bengal Deshi cotton is allowed because its entire production is not consumed indigenously and there is surplus available for export. The overall production of cotton

falls short of the requirement and efforts are being made to develop cotton production including long staple varieties. Export of long staple cotton cannot be visualised for some years to come and no target has been fixed in this respect.

Welfare Officers in Central Government

3913. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of Welfare Officers in the Government of India ;

(b) the details of their duties and powers ; and

(c) the criteria adopted for their appointments, selections and fixation of pay-scales etc. ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The number of Welfare Officers in the various Ministries/Departments of the Government of India as on 1st December, 1970 is 72.

(b) Duties of Welfare Officers are indicated in the list is attached. The Welfare Officers have not been vested with any financial and administrative powers.

(c) Generally Officers of Under Secretary's rank with necessary aptitude, flair and temperament for welfare work are selected by the Ministries/Departments for appointment as Welfare Officers. The question of laying down of pay-scales in their case does not, therefore arise.

Statement

Duties of Welfare Officers

1. The Organisation of social activities by way of establishment of clubs and recreational centres, for members of the staff, including class IV employees. There is no objection to more than one establishment joining for this purpose ;
2. the provision of facilities for indoor and outdoor sports to members of the staff ;
3. encouragement of cultural activities (dramas, music) by members of the staff ;
4. Provision of canteens in the different blocks where Government offices are situated ;
5. improvement in the actual working conditions of the staff including improvement of hygienic conditions at the working premises ;
6. assistance to Government employees in relation to the contributory Health Scheme ;
7. assistance in relation to transport, housing, school, sanitary amenities in residential and Office areas ;
8. induction of new members of the staff and advising them in their initial difficulties ;
9. assistance to members of the staff in relation to L.P.Cs. Pension papers, gratuity, etc. ; and
10. the setting up of benevolent funds.

The above list is illustrative and is not intended to lay down any rigid priorities. If more can be done within the resources available, so much the better.

पूर्वी अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों को वापिस लेना

3914. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों को वापिस लेने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने किस प्रेरणा से यह पहल की है और इस विषय पर राष्ट्रमण्डल सचिवालय और राष्ट्रमण्डल देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काफी बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष स्थानीय प्रतिकर भत्ता

3915. **श्री के० रमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड चिकमगलौर तथा बालाहन्टर में अपनी श्रेणी दो और तीन के कर्मचारियों को विशेष स्थानीय प्रतिकर भत्ता देती है और यह भत्ता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी यह भत्ता देने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). स्थानिक प्रतिकर भत्ता जो प्रारम्भ में 'कर्मचारी भत्ता' कहलाता था, केन्द्रीय काफी गवेषणा संस्थान बेलहोमूर (जिला चिकमगलौर) तथा काफी गवेषणा उप-स्टेशन, छेथाली (जिला कुर्ग) में काम करने वाले श्रेणी 1, 2 तथा 3 के कर्मचारियों को इन स्थानों के दूरवर्ती होने से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के ख्याल से दिया जाता था । क्योंकि यह 'कर्मचारी भत्ता' है इसलिए प्रारम्भ से ही श्रेणी 4 के कर्मचारियों को यह नहीं दिया जाता है ।

चाय व्यापारियों को वित्तीय सहायता

3916. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापारियों को और विशेष रूप से चाय निर्यात करने वाले व्यापारियों को वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं । चाय के निर्यात हेतु चाय व्यापारियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । तथापि, चाय के निर्यातों पर उत्पाद शुल्क की छूट दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount Spent on Development of Jammu

3917. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the State Government of Jammu and Kashmir have not so far made any departure from their policy of discrimination with regard to the development of Jammu in accordance with the recommendations made by the Gajendragadkar Commission regarding development of Kashmir;

(b) if so, the amount spent on the development of Jammu out of the total amount of Rs. 21.70 crores allocated during the year 1968-69;

(c) the extent of increase made by the Government of India in the assistance provided to the Jammu and Kashmir Government during the year 1969-70;

(d) whether Government have made any inquiry with regard to the utilisation of the said amount; and

(e) if so, the details thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Government of Jammu and Kashmir have reported that there can be no question of a policy of discrimination against any region in the matter of development. In accordance with the recommendations of the Gajendragadkar Commission, the State Government have set up development Boards for the State as a whole as well as for the Jammu and Kashmir regions separately. There is a separate Development Board for Ladakh. These Boards, consisting of members of Legislature, representative of the Chamber of Commerce and other institutions including Universities as well as experts in various fields, approve of the plans for the State as a whole as well as its regions and also watch the utilisation of the outlays earmarked.

(b) The State Government has not yet worked out the figures for Jammu region for the year 1968-69.

(c) The Central assistance for 1969-70 was Rs. 23.5 crores against Rs. 21.7 crores for 1968-69.

(d) and (e). The distribution of the approved Plan outlay of Rs. 23.5 crores for 1969-70 for various regions is as under:

Name of region	(Rs. lakhs) Outlay 1969-70
(i) Jammu	502.93
(ii) Kashmir	575.68
(iii) Ladakh	75.00
(iv) Common items	1196.39
Total:	2350.00

The region-wise details of actual expenditure are not yet available.

हीरे के व्यापार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यूरोपीय देशों को प्रतिनिधि मण्डल का भेजा जाना

3918. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा**: क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी व्यापार मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मण्डल ने हीरों को काटने और उन-

पर पालिश करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये यूरोपीय देशों का दौरा किया था जिससे भारत में हीरे के उद्योग में आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जा सके और विदेशी मंडी में भारत अन्य देशों से मुकाबला करने में समर्थ हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन देशों में प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने अध्ययन किया तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमण्डल में निम्नलिखित शामिल थे :

(1) श्री पी० के० लहरी, महा-प्रबन्धक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन प्रायोजना ;

(2) श्री जय किशन, हीरा-बिक्री अधिकारी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नई दिल्ली ; और

(3) श्री पी० आर० लाटे, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय महा-निदेशालय ।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल ने अध्ययन के लिये पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस तथा बेल्जियम में उत्पादन तथा व्यापार केन्द्रों का दौरा किया था ।

पंजाब में बिजली की अत्यन्त कमी

3919. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 नवम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री के हाल के पंजाब के दौरे के दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को बिजली की अत्यन्त कमी के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि भाखड़ा की बिजली के आवंटन के तरीके को बदला जाए ताकि पंजाब को अपना उचित भाग मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 7 नवम्बर. 1970 को पटियाला में एक पब्लिक मीटिंग में पंजाब के मुख्य मंत्री ने पंजाब में बिजली के संकट के बारे में प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था ;

(ख) डीजल उत्पादन सेट आयात करके, भाखड़ा से नंगल फर्टिलाइजर को सप्लाई होने वाली बिजली पर प्रतिबन्ध लगाकर, और दिल्ली तथा सतपुड़ा से सहायता लेकर, पंजाब में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये आपातकालीन पग उठाए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में

स्वीकृत ताप और पन बिजली परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता करने के लिये भी कार्यवाही की गई है जिससे पंजाब को लाभ प्राप्ति होगी ।

भारत में विदेशी मुद्रा के आने पर रोक लगाने के लिये एक परिषद की स्थापना

3920. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी मुद्रा के आगमन को रोकने हेतु एक परिषद स्थापित करने के संबंध में 30 अक्तूबर, 1970 को प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में विदेशी मुद्रा के आगमन का पता लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य **मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय पर 30 अक्तूबर 1970 के स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार को देखा है। इस संबंध में 14 मई, 1969 को लोक सभा में तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के पैरा 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद की स्थापना के बारे में सदन को सूचित किया गया था । संलग्न विवरण में परिषद के कार्य दिये गये हैं ।

विवरण

भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्य (आई० सी० एस० एस० आर०) :
(1) समाज विज्ञान अनुसंधान में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करना और सरकारी अथवा बाहरी उपयोक्ताओं को सलाह देना ;

(2) समाजविज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों और अनुसंधान योजनाओं को प्रवर्तित करना तथा समाजविज्ञान में अनुसंधान कार्य करने के लिये संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान देना और सुशिक्षित संघों, उच्चस्तर की पत्रिकाओं तथा संगठनों के संस्थानों जोकि समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यों के प्रायोजन में लगे हुए हैं । को वित्तीय सहायता देना ;

(3) संस्थानों अथवा व्यक्तियों द्वारा समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से चलाने और अनुसंधान योजनाओं की रूप रेखा बनाने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना और अनुसंधान-कार्यपद्धति में प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाना और उसकी सहायता करना ;

(4) समय-समय पर संकेत देना कि किन क्षेत्रों और किन विषयों पर समाज विज्ञान

अनुसंधान कार्य को विकसित किया जाना चाहिये और उपेक्षित या नये क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों के विकास के लिये विशिष्ट कदम उठाना ;

(5) समाजविज्ञान क्षेत्र में समाज विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों को समन्वित करना और अन्तर अनुशासनीय अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना ;

(6) प्रलेख पोषण, आंकड़ों की सप्लाई तथा रख रखाव, चालू समाज-विज्ञान अनुसंधान की विषय सूची बनाने तथा समाज विज्ञान वेत्ताओं का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के केन्द्रों का विकास तथा उनकी सहायता करना ;

(7) अनुसंधान को बढ़ावा देने और समाज विज्ञान अनुसंधान के उपयोग के लिये विचार गोष्ठियों, वर्क शापों, अध्ययन मंडलियों, कार्यकारी दलों/पार्टियों और सम्मेलनों को संगठित और प्रवर्तित करना एवं वित्तीय सहायता देना ;

(8) समाजविज्ञान अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन के लिये अनुदान देना और अनुसंधान में सहायक सार-संग्रहों, पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य-भार संभालना ;

(9) समाजविज्ञान अनुसंधान के लिए भारत के तथा बाहर के छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य अनुसंधानकर्ताओं को छात्रवृत्ति तथा शिक्षा वृत्ति प्रदान करना और विशेषकर समाज विज्ञान में अनुसंधान के लिये वरिष्ठ शिक्षावृत्ति देना जिससे विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधानकार्य पूरा करने में या उन विषयों में जिनमें उनकी विशेष रुचि है, एक निश्चित अवधि में पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य करने में और उन विषयों में जिनमें अनुसंधान करने के लिये उन्हें विशेष अर्हता प्राप्त है, अनुसंधान करने में सहायता देना ;

(10) समाजविज्ञान अनुसंधान में विदेशी अभिकरणों के साथ सहयोग का प्रबन्ध करने सहित समाजविज्ञान अनुसंधान से संबंधित उन सभी विषयों के बारे में जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिषद को सौंप दिए जाते हैं, भारत सरकार को मंत्रणा देना ; और

(11) सामान्यतः वे सारी कार्यवाहियां करना जो समाजविज्ञान अनुसंधान और देश में उसकी उपयोगिता को बढाने के लिये समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं। साधारण व्यापारिक लेन देन में प्राप्त धन को छोड़कर विदेशी संगठनों अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिये अस्थाई विधायी प्रस्ताव बनाए गए हैं। संसद में विधान पुरःस्थापित करने के पूर्व विरोधी दलों के नेताओं के साथ प्रस्तावित विधान के मोटे-मोटे सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

Study Group for Export Problem

3921. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to constitute a study Group to attend to the problems of export ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the powers and the functions of the said Group ; and

(d) the benefit likely to accrue in the field of export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). A Study Group to advise Government on various export matters keeping in view the directive principles set out in the Export Policy Resolution has already been set up. A copy of P. M. indicating the constitution and functions of the Study Group is attached. **[Placed in Library. See No. L. T.—4519/70]** The function of the Study Group is of advisory nature and no specific powers have been assigned to it.

(d) The object of the Study Group is to suggest ways and means to promote exports within the frame work of the directives enunciated in the Export Policy Resolution.

Violent Incidents Sparked off by Naxalites in States

3922. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of violent incidents sparked off by the Naxalites in each State and the Union territory during each of the last three years ;

(b) the number of persons killed and injured and the value of the public and private property destroyed as a result thereof, separately ; and

(c) the action taken by the Central Government to face the danger posed by the Naxalites ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departmets of Electronics and Scientific Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). According to information so far received from the State Governments and Union Territories Administrations, no such incidents have taken place in Gujarat, Haryana, Mysore, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Manipur, NEFA and Pondicherry. Information from the remaining State Governments and Union Territories Administrations is awaited.

(c) The Central Government has been maintaining close touch with the State Government/Union Territories Administrations who are taking firm action under the law to counter the activities of the Naxalites and allied extremists groups. Central Government are also providing to the State Governments wherever necessary all reasonable assistance including additional armed police reinforcements, wireless and other equipment and pooling of intelligence.

Trade Delegations from Abroad

3923. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of countries whose trade delegations visited India during the last three months ;

(b) the details of the discussions held with each of them ;

(c) the names of the commodities, which would be exported to these countries and of those which would be imported from them by India as a result of the said discussions ; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned by India therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) to (d). A statement is attached. **[Placed in Library. See L. T. No. 4520/70]**

Supply of Water from Chambal Canal to Madhya Pradesh

3924. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it was decided in a meeting at Gandhi Sagar on the 6th November, 1969 that the Rajasthan Government would supply to Madhya Pradesh 2,000 cusecs of water from the Chambal Canal at Parvati Aqueduct from the 1st November 1969 to March, 1970 ;

(b) if so, whether during the above period Madhya Pradesh received the stipulated supply of water and, if the State of Madhya Pradesh received less supply of water, the remedial stops taken by his Ministry in this regard ;

(c) whether Government have made any arrangement for the supply of water to Madhya Pradesh by Rajasthan at the Parvati Aqueduct during the ensuing period ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Yes, Sir. However, the agreed quantity of water could not be supplied during this period on account of the fall in the capacity of the right main canal owing to profuse growth of weed and other causes. A Technical Committee was constituted by the Government of India to go into the causes of the reduced capacity in the canal and to suggest remedial measures. On the implementation of the recommendation of this Committee, the canal capacity has now been increased to above 5,000 cusecs in the Right Main Canal.

(c) and (d). The Standing Committee of the Chambal Control Board, has decided that 3,000 cusecs of water should be let out to M. P. at Parvati upto the end of January, 1971. The Government of M. P. have reported that supplies received by them so far are satisfactory.

आर्थिक समन्वय सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के लिये बकाया आवेदनपत्र

3925. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आर्थिक समन्वय सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष औद्योगिक लाइसेंस के लिये कितने आवेदन पत्र बकाया पड़े हैं ;

(ख) उन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय किया जा सकेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). मंत्रिमंडल अथवा उसकी समिति के सामने क्या-क्या मसले उपस्थित हैं, उनकी सूचना जन-हित में प्रकट नहीं की जाती ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन मनाया जाना

3926. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनता ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन हर वर्ष उचित रूप से मानने के बारे में असंख्य मांगें की हैं ;

(ख) क्या नेताजी के जन्म दिन, 23 जनवरी, को "भारत नौजवान दिवस" घोषित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1967 में कई संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत ज्ञापन में नेताजी सुभाष चन्द बोस के व्यक्तित्व

को सम्मान तथा मान्यता देने के लिये दिए गए सुझाव में अन्य सुझावों के साथ-साथ एक यह भी सुझाव था कि सरकार को प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिन को उचित समारोह के साथ मनाने की कार्यवाही करनी चाहिये। इस विषय पर विचार किया गया था और यह उत्तर दिया गया था कि सरकार राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिनों के सिलसिले में किसी समारोह का समर्थन नहीं करती है, फिर भी, केवल महात्मा गांधी का जन्म दिन एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में माना जाता है। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

भूतपूर्व क्रांतिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अभ्यावेदन

3927. **श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व क्रांतिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृहकार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). भूतपूर्व क्रांतिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों से मुख्यतः वित्तीय सहायता तथा पेन्शन देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता तथा फिर से बसाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है आर्थिक संकट के अलग-अलग मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्होंने अंडेमान सेलुलर जेल समेत कम से कम 5 वर्ष की अवधि की सजा काटी हो, पेन्शन देने के लिये एक योजना लागू है। अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों को शामिल करते हुए पेन्शन योजना के विस्तार के बारे में एक सुझाव समेत अन्य सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है।

कलकत्ते के प्रमुख नागरिकों द्वारा सिटीजन फोर्म का गठन

3928. **श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्र विरोधी और तोड़-फोड़ की हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध सार्वजनिक जागृति पैदा करने के लिये कलकत्ते के प्रमुख नागरिकों ने, जिनमें प्रमुख शिक्षा-शास्त्री, साहित्यकार, वैज्ञानिक तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं, एक "सिटीजन फोर्म" गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध आन्दोलन को प्रोत्साहन देने तथा उसको सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का विचार अपने प्रचार साधनों को उपलब्ध कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान :

(ख) और (ग). ऐसे ठोस प्रयत्नों तथा लोक प्रिय अभियानों को सर्वथा सरकार के अधीन प्रचार साधनों द्वारा उचित प्रोत्साहन दिया जाता है। ब्यौरे, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में तय करने होते हैं।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

3929. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री स० कुण्डू :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उनके तथा संसद् सदस्यों के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान यह बात उनकी जानकारी में लाई गई थी कि उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य रुक जाने का मुख्य कारण बिजली के कुछ उपकरणों का उपलब्ध न होना है ; और

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा को इस सम्बन्ध में कोई विशेष सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 6 अक्तूबर, 1970 को उड़ीसा के थेंकानल जिले में हुए उड़ीसा के संसद् सदस्यों के सम्मेलन में विचार-विमर्श से पता चला है कि उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये कच्चे माल की वर्तमान कमी मुख्य बाधा नहीं है, बल्कि मुख्य बाधा धन की कमी है। सम्मेलन में यह विचार हुआ कि 750 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 1500 पंपसेटों के ऊर्जन के चतुर्थ योजना लक्ष्य को 4000 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 20000 पंपसेटों के ऊर्जन तक बढ़ाना संभव होगा। बढ़े हुए लक्ष्य के कार्यान्वयनार्थ विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये उड़ीसा के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार अतिरिक्त धन का प्रावधान करने तथा आवश्यक कच्चे माल की तथा बिजली उपस्कर को सप्लाई शीघ्र सम्पादित करने में उड़ीसा सरकार की यथा संभव सहायता करेगी।

भारत में सूती कपड़ा उद्योग की बुरी दशा

3930. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी मशीनों, कच्चे माल के अभाव, ईंधन के बढ़ते मूल्यों, पुर्जों की अनुपलब्धता, मजूरी बिलों की अधिक राशि, बढ़ते हुए करों, संश्लिष्ट रेशे से बढ़ती प्रतियोगिता के कारण देश का सूती कपड़ा उद्योग खस्ता हालत में है और परिणामस्वरूप कई मिलें बन्द कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भाग (क) में उल्लिखित इस आयोग की बुराइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस समय सूती वस्त्र उद्योग के कतिपय एकक जिस कठिन परिस्थिति में है, उसका श्रेय मुख्यतः निरन्तर हानियों अलाभप्रद कार्यचालन, धनाभव, श्रमिकों की हड़तालों, तालाबन्दी आदि को है। इस परिस्थिति का एक अन्य कारण यह है कि इस आयोग के पुर्नस्थापना तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

(ख) बन्द मिलों अथवा बन्द-प्राय मिलों अथवा वित्तीय या अन्य कठिनाइयों के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त मिलों के मामलों में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। ऐसी मिलों का, जिनके सीमित धन लगाने से अर्थश्रम रूप में चलने की संभावना होती है, प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अपने हाथ में ले लिया जाता है। राज्य सरकारों ने भी कतिपय एकक फिर से चालू कर दिये हैं और उन्हें रोजगार सहायता उपक्रमों के रूप में चला रही हैं।

निर्यात अभिमुख एककों के आधुनिकीकरण को एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। कमजोर तथा मामूली लाभ पर चलने वाली मिलों के कार्यचालन पर विचार करके उनके आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ऋण के लिये मार्जिन, ब्याज दर, ऋण लौटाने की शर्तों आदि के विशेष संदर्भ में, सिफारिशें करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्ति किया गया है।

तम्बाकू निगम

3931. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में एक तम्बाकू निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बम्बई की अनुसंधान और विपणन सेवा ने क्या सिफारिशें दी हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री द्वारा अपने जीवन को खतरे के बारे में वक्तव्य

3932. **श्री नन्द कुमार सोमानी** ; क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनके जीवन को वास्तविक खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त खतरे को दूर करने के लिये, जिससे प्रधान मंत्री अपने कार्य को निडर होकर कर सके, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध मौजूद है। इन प्रबन्धों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ़ किये जाते हैं ।

अफ्रीका को हीरों का निर्यात

3933. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को, हीरों का निर्यात करने के सम्बन्ध में अफ्रीका में कुछ मंडियों का पता लगाने में सफलता मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मंडियों को हाल ही में किये निर्यात तथा भविष्य में किये जाने वाले निर्यात का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) अफ्रीकी देशों को हीरों का निर्यात नगण्य रहा और निकट भविष्य में भी संभाव्यताएं नहीं हैं। घाना जैसे कुछ अफ्रीकी देश वास्तव में अनतराशे हीरों की सप्लाई के स्रोत हैं ।

रुई के आयात पर मिलने वाले लाभ का एक अंश सूती कपड़ा व्यापारियों को दिया जाना

3934. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत के कपड़ा निगम द्वारा रूई के आयात पर मिलने वाले लाभ का अंश सूती कपड़ा व्यापारियों को दिये जाने के बारे में तैयार की गई योजना में संशोधन करने के कपड़ा व्यापारियों के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) कपड़ा निगम द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और कपड़ा व्यापारियों ने इसमें क्या संशोधन करने का सुझाव दिया था; और

(ग) उक्त सुझावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). रुई के आयात को 15-9-1970 से भारतीय रुई निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने संबंधी निर्णय 5-9-70 को घोषित किया गया था । इस निगम ने रुई के आयात की प्रक्रिया की घोषणा 15-9-70 को जिसमें यह भी उल्लेख था कि विदेशी पूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किये जाने वाले एक प्रतिशत कमीशन में से मिलों के प्राधिकृत नामितों को $\frac{1}{2}$ प्रतिशत मिलेगा और $\frac{1}{4}$ प्रतिशत निगम द्वारा लिया जाएगा और शेष $\frac{1}{4}$ प्रतिशत मिलों को जायेगा। 15-9-70 से पहले व्यापारी वर्ग संविदाओं पर कमीशन की अदायगी न करने के लिए अड़ा रहा और कुल व्यवसाय के

1.3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत के बीच स्थापना संबंधी व्यय के लिए भी दबाव डाला। चूंकि रूई के आयात को 15-9-70 से मार्गीकृत कर दिया गया है और निगम को इस संबंध में कुछ कार्य करना पड़ेगा अत: व्यापारी वर्ग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और निगम 5-9-70 से 14-9-70 के बीच की गई संविदाओं पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत कमीशन प्राप्त करेगा। $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय के विषय में व्यापारी वर्ग के दावे को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह आशा की जाती है कि व्यापारी कमीशन में से ही इस व्यय को पूरा करें।

कालीनों का निर्यात

3936. **श्री गु० चं० नायक** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विदेशों को किये गये कालीनों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या पाकिस्तान से प्रतिस्पर्द्धा के कारण कालीनों के निर्यात में कमी होती जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे कालीनों का परम्परागत व्यापार ज्यों का त्यों बना रहे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क)

वर्ष	**करोड़ रु० में**
1968-69	11.15
1969-70	11.84

(ख) उपरोक्त आंकड़ों से कमी प्रगट नहीं होती।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बिजली के संकट के लिए भाखड़ा बोर्ड पर आरोप

3937. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने बिजली के संकट के लिए भाखड़ा बोर्ड को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप की एक प्रति उनको भेजी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ के कर्मचारियों का नियतन

3938. **श्री श्रीचन्द्र गोयल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ के कर्मचारियों के अन्तिम रूप से नियतन के बारे में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उक्त संस्थान के कुछ कर्मचारियों को पंजाब अथवा हरियाणा राज्य के लिए नियत किये बिना ही स्वशासी निकाय के कर्मचारियों के रूप में स्थायी घोषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वे इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले पेंशन आदि के लाभों से वंचित हो जायेंगे; और

(घ) नियतन से पूर्व ही उन्हें स्थायी घोषित किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). उस संस्थान के कर्मचारियों को अंतिम रूप से चंडीगढ़ को नियतन किया गया है और उनके अन्तिम रूप से नियतन किये जाने का प्रश्न मुख्य सचिवों की समिति के परामर्श में विचाराधीन है। ऐसे कर्मचारी जो उस संस्थान के लिए भर्ती किये गये थे और जो पंजाब तथा हरियाणा सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर भी लिये गये थे, जिन्होंने अपने मूल राज्य सरकारों से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति वृत्तिका के लिए आवेदन किया है, उन्हें उस संस्थान के पदों पर पुष्टिकृत किया गया है। कर्मचारियों के संघों ने कर्मचारियों के शीघ्र पुष्टिकरण किये जाने की मांग की है। चिकित्सा-शिक्षा तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 28 में वर्णित उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उनके मामले में ग्रस्त निवृत्तिका वेतन अथवा अन्य सदृश लाभों की कोई क्षति नहीं होगी इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों के निवृत्तिका वेतन, उपदान (ग्रेच्युटी) आदि संबंधी अधिकार और विशेषाधिकार नहीं होंगे, जिन्हें वे उस संस्थान के स्वशासी निकाय होने से पूर्व उपभोग कर रहे थे और उनकी सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उनके अहित में नहीं बदली जायगी।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

3939. **श्री क० अनिरुद्धन : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्ष 1969-70 के लिए अभी तक बोनस नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक बोनस दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बागान मालिकों द्वारा मैसूर के उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने से सम्बन्धित सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है।

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार

3940. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका का दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार अब भी जारी है हालांकि लुसाका सम्मेलन में उस देश पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय कर लिया गया था;

(ख) क्या भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपना व्यापार बन्द कर लिया है; यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत को कितनी हानि हुई है; और

(ग) दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के क्या कारण हैं जबकि उसके साथ श्रीलंका का व्यापार अभी तक जारी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस सदन में उन दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों की चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझा जाता ।

(ख) जी हां । भारत ने 17 जुलाई, 1946 से ही दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है । इस विषय में किसी भी हानि के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के कारण सुविख्यात हैं ।

Expenditure on Prime Minister's tours to Kerala during Mid-Term Poll

3941. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the expenditure incurred on the Prime Minister's tours of Kerala during the mid-term poll there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : The Prime Minister does not draw any travelling or daily allowance. An expenditure of Rs. 137.85 was, however, incurred by the Prime Minister's Secretariat on the T. A. and D. A. of the officers and staff of that Secretariat, who accompanied the Prime Minister on her visit to Kerala from 12th September, 1970 to 15th September, 1970, in connection with the mid-term poll there. The above expenditure does not include T. A./D. A. paid by the other Ministries/ Departments to their staff who accompanied the Prime Minister.

चीन और रूस द्वारा किया गया आण्विक विस्फोट

3942. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के दिल्ली और बंगलौर क्षेत्रों में स्थिति भूकम्पलेखी यंत्रों ने 14 अक्तूबर, 1970 को क्रमशः चीन और रूस द्वारा किये गये दो आणिवक विस्फोटों को दर्ज किया था ;

(ख) यदि हां, तो ये विस्फोट किन क्षेत्रों में किये गये ; और विस्फोट किस प्रकार का तथा कितनी मेगाटन शक्ति का था ;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है कि चीनी विस्फोट काफी शक्तिशाली था और अगले कुछ दिनों में उससे व्यापक रूप से वायु दूषित होगी ;

(घ) यदि हां, तो वायु-दूषण के विस्तार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 14 अक्तूबर, 1970 को रूस द्वारा किये गये भूमिगत आण्विक विस्फोट का पता गौरिबिदनूर के भूकम्पलेखी समूह द्वारा गलाया गया था। चीन द्वारा उसी दिन किया गया आण्विक परीक्षण वायुमण्डलीय था इसलिये इसका पता भारत के विभिन्न सूक्ष्मवायुदावलेखियों द्वारा लगाया गया था। इस विस्फोट की पुष्टि बाद में विस्फोट के स्थान की नीचे भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा उत्पन्न भूकम्पीय संकेतों से हुई।

(ख) रूस द्वारा यह विस्फोट भारतीय समयानुसार 11 बजकर 30 मिनट पर संवाया जेमलया के आर्कटिक द्वीप स्थित भूमिगत परीक्षण स्थल पर किया गया था। अनुमान है कि विस्फोट की शक्ति लगभग 5 मेगाटन टी० एन० टी० के बराबर थी।

चीन ने भारतीय समयानुसार दोपहर के एक बजे दक्षिणी सिक्यांग में लोप नोरे परीक्षण स्थल के ऊपर वायुमण्डल में परीक्षण किया। अनुमान है कि इस विस्फोट की शक्ति लगभग 3 मेगाटन टी० एन० टी० के बराबर थी।

(ग) जी, नहीं। रेडियोधर्मी बादल बहुत अधिक ऊंचाई पर पश्चिम की ओर तीव्र गति से चले गए तथा भारतीय अणुश्रवण केन्द्रों में वायुमण्डल में होने वाली रेडियोधर्मी वृद्धि को न मापा जा सका।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए सिंचाई परियोजनाएं

3943. **श्री अ० कु० गोपालन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल सरकार को यह सलाह दी है कि वह चौथी पंच-वर्षीय योजना में राज्य के लिए कोई भी सिंचाई परियोजना सम्मिलित न करे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 'चतुर्थ पंचवर्षीय योजना' नामक दस्तावेज में यह कहा गया है कि संतत स्कीमों के लिये किए गए वायदों को मद्दे नजर रखते हुए केरल में नई स्कीमों के लिए कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है।

पश्चिमी जर्मनी को कोसा रेशम का निर्यात

3944. **श्री दण्डपाणि :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने 40,000 मीटर कोसा रेशम का क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांग पूरी कर दी गई है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम सीमित, मद्रास ने 30,000 मीटर टसर पिचानोइल वस्त्रों का एक क्रयादेश पश्चिम जर्मनी से प्राप्त किया है और विपुल परिमाण में सप्लाई करने से पूर्व विदेशी खरीदार को उसकी मंजूरी के लिये नमूने भेज दिये गये हैं।

Centralisation of Central Secretariat Clerical Service

3945. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have again centralised the Central Secretariat Clerical Services with a view to doing justice to those employees, through promotion, who could not be promoted earlier in spite of the fact that they were senior and persons junior to them had got promoted elsewhere ;

(b) whether Government propose to centralise the services of Hindi Assistants and Hindi Translators as well for the same purpose ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir. However, the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, were amended on the 26th November, 1969, according to which promotions can be made by the cadre authorities from amongst the officers who satisfy the prescribed conditions regarding minimum length of service etc. and are within the ranges of seniority as prescribed by the Department of Personnel. If persons within the prescribed range are not available in a particular cadre, the promotions are to be made from amongst eligible persons from other cadres who are within the specified zone of seniority and are considered suitable for promotion.

(b) and (c). Posts of Hindi Assistant and Hindi Translator are isolated ex-cadre posts created by different Ministries according to their needs. They do not form part of any of the decentralised grades of the Central Secretariat Services and hence the question of centralising these posts for promotion does not arise.

Promotion to posts of Senior Hindi Translators in Ministries

3946. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the posts of Senior Hindi Translators are being created in the various Ministries and offices of the Government of India ; and

(b) if so, whether Government propose to issue any circular with a view to give preference to the experienced Hindi Assistants/Junior Translators having 10 or 11 years of experience at the time of making appointments to those posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Some of the Ministries/Offices have created posts of Senior Hindi Translators.

(b) The posts of Senior Hindi Translators are isolated posts created by the different Ministries/Offices with reference to their requirements. Appointments to these posts are made by the Ministries/Offices themselves in accordance with the provisions of the relevant recruitment rules framed for the purpose. It is open to the authorities concerned to consider the Hindi Assistants/Junior Translators along with others while making appoinments if they fulfil the requirements under these rules.

रुई निगम द्वारा रुई का आयात

3947. **श्री रा० रा० सिंह देव : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रुई निगम ने अगले वर्ष से रुई आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या निगम द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आरम्भ किये जाने का रुई व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 15 सितम्बर, 1970 से रुई का आयात रुई निगम के माध्यम से मार्गीकृत हो चुका है, जो व्यापार की विद्यमान क्षमता को उपयोग में लायगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

काफी बोर्ड के कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि शामिल किया जाना

3948. **श्री उमानाथ : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी बोर्ड श्रमिक संघ से कई बार इस आशय के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें काफी बोर्ड में कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि को शामिल करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार ने क्या कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). काफी अधिनियम, 1942 में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में काफी बोर्ड श्रमिक संघ का प्रतिनिधि रखने का कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है ।

भिवांडी, अहमदाबाद, चाइबासा और जगदलपुर में दंगों के दौरान तलाशी लिए गए मकान

3950. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिवाण्डी, अहमदाबाद, चाइबासा और जगदलपुर में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान जिन व्यक्तियों के मकानों की तलाशी ली गई थी उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त हथियारों, बमों और अन्य सामान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से किसको गिरफ्तार किया गया है ;

(घ) क्या इन स्थानों पर कुछ मस्जिदों, मंदिरों तथा गुरुद्वारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की भी तलाशी ली गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और ऐसे प्रत्येक स्थान से बरामद हुए हथियारों आदि का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4521/70]**

नासिक के निकट, अमरीका निर्मित चालू ट्रान्समीटर पाया जाना

3951. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नासिक के निकट जमीन पर पड़े हुए एक गुब्बारे में अमरीका निर्मित एक चालू ट्रांसमीटर पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) . महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले की सीमाओं में 5 ट्रांसमीटर पाए गए । 5 ट्रांसमीटरों में से प्रत्येक पर ये शब्द "ट्रांसमीटर, रेडियो सोंडे, टी-656-ए एम क्यू-9, बेण्डिक्स कारपोरेशन फ्रिज इन्सट्रूमेंट डिवीजन, आर्डर नं० 36-039-एच-5-06456 (ई), यू एस" लिखे पाए गए । नासिक के पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी 5 ट्रांसमीटर 5 रिसीवरों तथा 4 बेलून्स के साथ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र कोलाबा, बम्बई के निदेशक को भेज दिए गए हैं । अग्रेतर जांच की जा रही है ।

एक लोहे तथा इस्पात नियंत्रक के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिया गया वक्तव्य

3952. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री दत्त ने 19 अक्टूबर, 1970 को प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि एक लोहे तथा इस्पात नियन्त्रक ने बड़ी भारी राशि जमा कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी कौन है, इस समय वह कहां है, उसके विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने 19 अक्टूबर, 1970 को एक प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि विगत एक वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग की सलाह से लोहे तथा इस्पात नियंत्रक कार्यालय के एक अधिकारी को अन्य व्यक्तियों के साथ नौकरी से निकाल दिया गया । अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी कि उस पर व्युनुपातिक परिसम्पत्ति के आरोप हैं, तथा इस मामले में अन्ततः बर्खास्तगी के आदेश दिये गये थे । अधिकारी ने सेवा

की बर्खास्तगी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की है तथा मामला न्यायाधीन है।

कुप्रबन्ध के कारण सूती कपड़ा मिलों का बंद होना

3953. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुप्रबंध के कारण कुछ मिलें बंद होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या भारत के सूती कपड़ा निगम द्वारा कुछ मिलों को अपने नियंत्रण में लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले में अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर है। निगम की मिलों को अपने अधिकार में लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह तो, राज्य वस्त्र निगमों/सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ मिलकर, उन मिलों के चलाने आदि के लिये अपेक्षित धन राशि की व्यवस्था मात्र करता है, जिनका प्रबन्ध औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों को प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके मामलों की जांच-पड़ताल हो चुकने के पश्चात् अपने अधिकार में ले लिया गया हो। कुछ संकटग्रस्त मिलों के मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है और इन मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने के प्रश्न पर जांच समितियों के प्रतिवेदनों के मिलने पर विचार किया जायगा।

दिल्ली पुलिस मैनों की बहाली

3954. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामलों को वापस लेने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है और इसमें शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में तांबा परियोजना की प्रगति

3955. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तांबा परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) 1970-71 में इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है और परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सितम्बर, 1970 तक तथा परियोजना पर की गई प्रगति नीचे दी जाती है :

सं०	कार्य की मद	किए गए कार्य का प्रतिशतांश
1.	**शीर्ष कार्य चिनाई बांध**	
	(क) खुदाई	63.42%
	(ख) कंक्रीट तथा चिनाई	3.96%
	(ग) मिट्टी पार्श्व तथा सैडल बांध कट-आफ, हार्टिग तथा क्रेसिंग में मिट्टी का कार्य	35.24%
2.	**बाम तट मुख्य नहर तथा रजवाहे**	
	(क) मिट्टी का कार्य	22.79%
	(ख) चिनाई तथा कंक्रीट	10.89%
3.	**संरचनाएं**	
	नहर	13.00%

इन मदों पर अब तक लगभग 11.5 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ।

(ख) परियोजना की लागत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है। 1969-70 तक व्यय लगभग 10.5 करोड़ रुपये था। 1970-71 के दौरान परिव्यय के 4.2 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है ।

चम्बल परियोजना का पूरा किया जाना

3956. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चम्बल परियोजना के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ है और उसमें राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों का योगदान कितना-कितना है ;

(ग) क्या परियोजना इस बीच पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में चम्बल परियोजना का वृहत भाग लगभग पूर्ण हो गया है। टेल रजवाहों पर कुछ शेष कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 1971 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) 1969-70 के अन्त तक परिव्यय 67.93 करोड़ रुपये है। चम्बल परियोजना के लिए सिंचाई तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों के वास्ते मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं के हेतु कुल केन्द्रीय योजना सहायता के भाग के रूप में भारत सरकार, सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा 1968-69 तक 59.96 करोड़ रुपये की पृथक् रक्षित ऋण सहायता दी गई थी। मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए चतुर्थ योजना में कुल केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में बिना किसी स्कीम अथवा विकास शीर्ष के साथ जुड़े हुए दी जा रही है।

मध्य प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

3957. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए रखी गई 87 करोड़ रुपये की धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार ने चौथी योजना में बृहत तथा मध्यम सिंचाई के लिए 86 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। 1969-70 के दौरान परिव्यय 7.79 करोड़ रुपये था, और 1970-71 में प्रत्याशित परिव्यय 12.07 करोड़ रुपये है।

(ख) बृहत परियोजनाओं पर प्रगति उपबन्ध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4522/70.]**

Small and big Bombs Seized in West Bengal

3958. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of small and big bombs and the quantity of material required for manufacturing bombs, seized in West Bengal during the last 5 months ;

(b) the approximate number of bombs that could have been manufactured with the material seized ; and

(c) the reaction of Government in this regard and the action proposed to be taken by Government in future to prevent such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a)	Bombs	3,682
	Crackers	50,238
	Bomb making material	7,050 kg.

(b) About 28,25,000.

(c) Necessary guidelines and instructions have been issued to West Bengal as well as to the other States and the Union Territory Administrations in regard to the measures to be taken to prevent leakage of material commonly used in the illicit manufacture of crude bombs.

मिलों के लिए अपरिष्कृत ऊन का कोटा

3959. **श्री शशि भूषण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मिलों/फैक्टरियों के अपरिष्कृत ऊन के कोटे में वृद्धि की गई थी, कितनी वृद्धि की गई थी तथा वृद्धि करने के क्या विशिष्ट कारण थे ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन मिलों को अपरिष्कृत ऊन का कोटा दिया जाता है वह इस अपरिष्कृत ऊन का वास्तव में उपयोग करती है और उनकी मशीनें पुरानी तथा खराब नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फैक्टरियों/मिलों के नाम क्या हैं जिनकी मशीनें ठीक स्तर की नहीं पाई गई थीं और जिनको अभी तक अपरिष्कृत ऊन का कोटा दिया जा रहा है ; और

(घ) उनके तथा दोषी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) किसी भी मिल के ऊन कोटे में वृद्धि नहीं की गई है ।

(ख) ऐसी ही ऊनी मिलों को कोटे दिये जाते हैं जिनमें उसका उपयोग करने के लिए मशीनें स्थापित हैं । कच्चे माल के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की निश्चित रूप से पड़ताल की जाती है ।

(ग) हालांकि कुछ मिलों में मशीनें पुरानी हैं जो इष्टमय स्तर पर कार्य नहीं करतीं लेकिन ऐसी कोई ऊनी मिल नहीं है जिसकी मशीनें ऐसी पाई गई हों जो उनको आवंटित ऊन का उपयोग करने के लिए सक्षम न हो ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ऊन की खुलेआम चोर बाजारी

3960. **श्री शशि भूषण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'शौडी वूल' रा वूल तथा 'टे वूल' की खुलेआम चोर बाजारी हो रही है और इन दरों को खुले रूप से परिचालित किया जाता है ;

(ख) क्या कोई ऐसा परिचालन-प्रत्र सरकार के पास है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). वास्तविक प्रयोक्ताओं को कोटे आवंटित करते समय अपेक्षित सावधानी बरती जाती है। यह संभव है कि, प्रतिबंधित आयातों की वजह से इन वस्तुओं की तीव्र कमी को देखते हुए, यदा कदा कुछ परिमाण में माल वास्तविक प्रयोक्ताओं से अप्राधिकृत व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है। इस संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायत या जानकारी पर सरकार द्वारा निरन्तर ध्यान दिया जाता है। सरकार का ध्यान लुधियाना स्थित एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा, न कि उद्योग द्वारा, जारी किये गये ऐसे एक पत्र की ओर दिलाया गया है और इस कारण इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता ।

विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना

3961. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गत सप्ताहों में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अधिकारी स्तर पर बातचीत की गई थी ताकि आगामी वार्षिक योजना अवधि में विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाये जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग राज्यों को इस बात पर सहमत करने में विफल हुआ है कि वे अतिरिक्त साधन जुटायें ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, परन्तु इन विचार विमर्शों के दौरान वार्षिक योजना 1971-72 के लिए राज्यों के कुल साधनों के मूल्यांकन पर ही चर्चा हुई।

(ख) तथा (ग). स्वयं अतिरिक्त साधन जुटाने के सम्बन्ध में राज्यों को अभी अपने अन्तिम विचार व्यक्त करने हैं।

एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं का निर्यात

3962. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए हाल में विदेशी बाजारों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस समय कितने मूल्य के एल्यूमिनियम तथा इससे बने उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और आगामी तीन वर्षों के लिए इनके क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). विशेषतः एल्यूमिनियम तथा उससे बनी वस्तुओं के लिए हाल ही में, विदेशी बाजारों का पता नहीं लगाया गया । इन मदों के लिए विदेशों में बराबर बहुत अच्छी मांग रही है । एक विवरण संलग्न है, जिसमें एल्यूमिनियम तथा उससे बनी वस्तुओं के निर्यात आंकड़े और निर्यात लक्ष्य दिये गये हैं ।

विवरण

निर्यात निष्पादन

मूल्य : लाख रुपये में

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71 (अप्रैल-अक्तूबर)
(क) एल्यूमिनियम पिण्ड	32.59	678.44	362.79	33.94
(ख) एल्यूमिनियम सेमीस (चादर, पन्नियां) एक्सट्रूशंस	36.63	62.96	54.15	17.60
(ग) एल्यूमिनियम के बर्तन तथा कैपसूल	78.19	72.93	62.58	32.48
(घ) एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं तथा अन्य माल	4.22	7.77	69.72	अभी उपलब्ध नहीं है
योग :	151.63	822.10	489.24	

निर्यात लक्ष्य

मूल्य : लाख रुपये में

	1970-71	1971-72	1972-73
1. एल्यूमिनियम के बर्तन तथा कैपसूल	70.00	75.00	75.00
2. एल्यूमिनियम से पास, चादरें, पन्नियां, पिण्ड	110.00	150.00	250.00
3. एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं तथा अन्य सामान	20.00	25.00	25.00
योग :	200.00	250.00	350.00

प्रशासन के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

3963. **श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् द्वारा पास किये गये उस संकल्प के उपबन्धों का क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं लेने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं अथवा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं में संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न परीक्षाओं में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भाषा नीति के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की शुरूआत 1969 में की गई, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि में भर्ती के लिये सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को दो अनिवार्य विषयों प्रस्ताव और सामान्य ज्ञान में अपने उत्तर, अंग्रेजी के अतिरिक्त, संविधान की सूची 8 में वर्णित किसी भी भाषा में, लिखने का विकल्प दिया गया था। अब तक के प्राप्त अनुभव के आधार पर परीक्षा में इस विकल्प को एक या एक से अधिक अन्य विषयों के लिये बढ़ाने का प्रश्न संघीय लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। आयोग द्वारा 1964 से सहायक ग्रेड तथा निम्न श्रेणी लिपिक पर ली गई परीक्षाओं में प्रस्ताव तथा सामान्य ज्ञान के पर्चों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में लिखने की अनुमति दी गई है साथ ही आयोग द्वारा 1971 में ली जाने वाली आशुलिपिक की परीक्षा में भी उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान के पर्चे तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

(ख) और (ग). 1970-1971 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की भर्ती परीक्षाओं जो कि प्रादेशिक तथा स्थानीय आधार पर ली जाती है, के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी के अलावा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग सम्बन्धी शुरूआत के विषय में यथा-सम्भव कार्यवाही की जा रही है। इस योजना को सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं में बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता

3964. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है तथा उसमें से कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है ;

(ख) इन नदियों का पश्चिमी तट पर तथा उठाउ सिंचाई के पश्चात जैसा कि पाराम-बाकुलम में है, घाटों के पूर्व में मुख्य भूमि पर उपयोग किये जाने में क्या कठिनाइयां विद्यमान हैं ; और

(ग) यदि आपत्ति लागत के बारे में है तो बेरोजगार इन्जीनियरों को सेवा द्वारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के सर्वेक्षण तथा प्राक्कलन तैयार करके इसकी पुष्टि न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजना पूर्व स्कीमों की शक्यता बताते हुए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई शक्यता, योजना स्कीमों की कुल शक्यता और परीक्षाधीन स्कीमों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग). विशिष्ट परियोजनाओं के विस्तृत अनुसंधानों द्वारा स्कीमों की आर्थिक तथा तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाना होता है। जब भी ऐसे अनुसंधान पूरे हो जाते हैं सम्बन्धित राज्य सरकारें अनुसंधान करती हैं तथा स्कीमें तैयार करती हैं।

विवरण

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई शक्यता को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	नदी बेसिन का नाम	कृष्य क्षेत्र (लाख एकड़ों में)	लाख एकड़ों में सिंचाई शक्यता योजना पूर्व	हाथ में ली गई योजना परियोजनाओं की कुल शक्यता	कुल	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्राप्त परियोजनाएं, परन्तु जिनको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, की सिंचाई शक्यता (लाख एकड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	केरल का नदी बेसिन	19.65	2.06	15.19	17.25	1.19
2.	तापी से नीचे के और केरल राज्य सीमा से ऊपर के नदी बेसिन	14.54	0.04	0.02	0.06	1.43
3.	तापी	20.80	0.38	13.02	13.40	0.29
4.	नर्मदा	109.47	—	20.97	20.97	19.89
5.	नर्मदा से ऊपर के नदी बेसिन	503.46	0.67	15.62	16.29	1.17
	कुल	407.92	3.15	64.82	67.97	23.97

सुवर्ण रेखा और बूरा बालांग नदी बेसिन में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने तथा भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण

3965. **श्री स० कुन्दू :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मई, 1970 में उड़ीसा के सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को एक पत्र लिखा

था जिसमें सुवर्ण रेखा तथा बुरा बालांग नदी बेसिन में बहुत से नलकूप लगाने का कार्यक्रम तैयार करने तथा भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पत्र के बारे में प्राप्ति सूचना मिल गई है और क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा इन सुझावों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई बाद की कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). अन्वेषणों के परिणाम तथा पूंजीभूत कार्यक्रमों की स्कीमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है ।

नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों संबंधी अध्ययन ग्रुप का प्रतिवेदन

3967. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा कल्याणकारी उपायों के लिए नियुक्त किये गये अध्ययन ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति तथा अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा योजना को कब तक मंजूरी तथा वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ) नारियल जटा उद्योग की, निर्यात निष्पादन के विशेष संदर्भ में, एक व्यापक समीक्षा करके इस उद्योग को ठीक ढंग से विकसित करने के विषय में सिफारिशें करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि नारियल जटा सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले कामगरों के बच्चों के लिए शिशुगृह तथा बालगृह स्थापित करने की व्यवस्था की जाये और इस पर खर्च होने वाली 14 लाख रुपये की राशि केरल सरकार की सामाजिक सेवाओं संबंधी योजना में से दी जाये । इन कल्याणकार्यों की क्रियान्वित के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है अतः देर का प्रश्न नहीं उठता ।

परन्तु, फिर भी सरकार अध्ययन दल द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन अनुसार केरल के समूचे नारियल जटा उद्योग के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की संभावना पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय कर लिया जायगा ।

लोक निर्माण संघ, कार निकोबार की मांगें

3968. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण संघ, कार निकोबार ने अपने उचित अधिकार मनवाने के लिए 4 नवम्बर, 1970 को एक महीने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगों के कब तक पूरा किया जाने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) से (ग) . 4 नवम्बर 1970 को लोक निर्माण संघ, कार निकोबार ने अपनी दो मांगों नामतः (i) आकस्मिक मजदूरों को नियमित वेतन मानों में लाना (ii) आकस्मिक कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत देना, के शीघ्र कार्यान्वियन की मांग करते हुए नोटिस दिए थे । अंडमान और निकोबार प्रशासन ने पात्र व्यक्तियों को नियमित वेतन मान प्रदान करने हेतु 1 अगस्त 1970 से अपेक्षित संख्या में पदों के निर्माण के लिए एक निदेश जारी किया है । इसके परिणामस्वरूप कार निकोबार प्रभाग 732 आकस्मिक मजदूरों समेत लोक निर्माण विभाग के 4083 आकस्मिक मजदूर नियमित वेतनमानों में लाए जाएगें ।

जहां तक छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने का संबंध है अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियमित छुट्टी पाने वाले आकस्मिक कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र हैं ।

नागपुर के चारों ओर के क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं

3969. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष नागपुर के चारों ओर के क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई की अच्छी सुविधाएं देने के लिए कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) :

नागपुर जिले के क्षेत्रों के लाभार्थ योजना आयोग ने पहले से ही निम्नलिखित सिंचाई स्कीमों को स्वीकृत कर दिया है :—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	लाभ
	(लाख रुपयों में)	(लाख एकड़ों में)
1. कन्होली	145.65	0.095
2. उमरोनाला	41.66	0.038
3. पिंदरा-वोडे ताल	28.70	0.020
4. वुन्ना	70.25	0.030

महाराष्ट्र सरकार ने गोदावरी बेसिन में पेंच सिंचाई परियोजना के निर्माण का भी प्रस्ताव किया है जिसकी अनुमानित लागत 2371.90 लाख रुपये होगी और जिससे लगभग 1.53 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। भारत सरकार की राय में गोदावरी बेसिन में किसी नई स्कीम को स्वीकृति देने की बात सोचना इस समय उचित नहीं रहेगा जबकि इस बेसिन से संबंधित जल-विवाद गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन है।

Recognition of S. C./ S. T. Welfare Association in N. E. Railway

3970. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the suggestions contained in paras 32 to 56 on page 74 of the Report of the Perumal Committee relating to the Central Government employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) whether according to the said report, the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can form an association in order to protect their constitutional rights ; and

(c) if so, the propriety of not according recognition to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Welfare Association of the N. E. Railway ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The Committee on Untouchability, Economic and Educational Development of Scheduled Castes (Elayaperumal Committee) had recommended in para 56 (10) on pages 282 and 283 of its Report that the Sheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various Ministries/Departments under the Central as well as the State Governments should have a right to organise their own unions for the purpose of safeguarding their constitutional rights and privileges and the Home Ministry should revise their policy of not according recognition to the Unions and Associations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees. This recommendation was considered but it could not be accepted. It was decided by the Government of India that no Service Association of Government servants which is formed on the basis of caste, tribe or religion should be accorded recognition for any purpose. In view of this, no service association of Government servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been recognised by Government. In view of this position, the question of according recognition to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Welfare Association of the N. E. Railway does not arise.

संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा किये गये निर्णय

3971. **श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय स्तर पर संयुक्त सलाहकार समिति कार्य कर रही है, जिसमें सभी श्रम संगठन और केन्द्रीय सरकार सम्मिलित है ;

(ख) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत समझौता बैठक में किया गया करार केवल उन्हीं समवायों पर लागू होता है जिसके साथ करार किया गया था और अन्यों पर लागू नहीं होता ;

(ग) क्या रेलवे में ऐसे श्रम संगठन हैं जो रेलवे में कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और रेलवे कर्मचारियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु फिर भी संयुक्त सलाहकार समिति में सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के अन्तर्गत और 28 अगस्त, 1969 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मध्यस्थता समिति के निर्णय पंजीकृत कार्मिक संघों पर निश्चित रूप से लागू नहीं हो सकते हैं और उनको नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो संयुक्त सलाहकार समिति में जो लोग सम्मिलित नहीं है यदि उनके द्वारा संयुक्त सलाहकार समिति के उनकी सेवा की शर्तों के बारे में किये गये निर्णयों पर आपत्ति की जाये तो समिति के निर्णयों का क्या परिणाम होगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राष्ट्रीय परिषद् जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार समिति तथा अनिवार्य पंचनिर्णय व्यवस्था, (संयुक्त सलाहकार के लिए योजना) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त परिषद् है, अक्टूबर, 1966 में इस योजना के उद्घाटन होने के समय से ही कार्य कर रही है। इस समिति के अधिकारी पक्ष में इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नामांकित किये गये केन्द्रीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, तथा कर्मचारी-पक्ष में इस योजना के लिए मान्यता प्राप्त दोनों औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत करार द्वारा हुए समझौतों का, करार करने वाली दोनों पार्टियों को अवश्य पालन करना होता है, किन्तु समझौता कार्यवाहियों के दौरान हुए समझौते, उस अधिनियम की धारा 18 (3) के अन्तर्गत, विवादग्रस्त सभी पार्टियों पर लागू होंगे तथापि, ये उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 2 (पी) में परिभाषित समझौते पर लागू होंगे, और न कि संयुक्त सलाहकार समिति की किसी स्वैच्छिक तथा गैर-परिनियत योजना के अन्तर्गत हुए समझौतों पर।

(ग) रेलवे में श्रम संगठनों के अलावा, जो संयुक्त सलाहकार समिति के संयुक्त परिषदों का पहले ही प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ रेलवे कार्मिक संघ हैं, जो संयुक्त सलाहकार समिति के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, और जो संयुक्त परिषदों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तथापि, वे रेलवे कर्मचारियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

(घ) इसकी प्रकाशित रिपोर्ट, यदि कोई हो, के अभाव में, प्रश्न के इस खण्ड में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Orders to State Governments after De-Recognition of Former Rulers Re : their Privileges

3972. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether after de-recognition of the former Rulers, the Central Government has issued orders to the State Governments to the effect that the privileges enjoyed by the former Rulers be withdrawn from the 6th September, 1970 ;

(b) if so, whether a copy of the said order will be laid on the Table of the House along-with the details of the progress made in regard to the implementation of the said order by the States ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affars and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The State Governments were informed by express telegram on 10th September, 1970 that with the derecognition of the Rulers, the privy purses and privileges stood terminated with effect from the 6th September, 1970. A copy of the telegram was despatched by post the following day. This was followed by a letter on 24th September, 1970 requesting the State Governments to withdraw the privileges with which they were concerned. Another letter was sent to the State Governments on 6th October, 1970 on the subject of firearms held under exemption. In accordance with the normal practice, which is based on considerations of public interest, copies of communications sent to State Governments are not being placed on the Table of the House. There was no need for some States and Union Territories to issue any instructions as there were no Rulers. Some States have reported that necessary instructions have been issued by them already.

Arrest of Pakistanis

3973. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Pakistanis arrested in India during the last two years ;

(b) the number out of them sent back to Pakistan and the number of those who were prosecuted ; and

(c) the number of such Pakistanis at present in India who came on valid passports and have since gone underground in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). During the period November, 1968 to October, 1970, 16,853 Pokistanis were arrested in India. Of them 11,719 were prosecuted and 8,720 were sent back to Pakistan. These figures do not include information in respect of the States of Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir which is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) On 31st March, 1970, whereabouts of 3,917 Pakistani nationals were not known.

पाकिस्तान के साथ कोयले का व्यापार

3974. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से पश्चिम पाकिस्तान को कितना कोयला निर्यात किया गया;

(ख) भारत से पूर्वी पाकिस्तान को कुल कितना, किस प्रकार का कोयला निर्यात किया गया और वह कुल कितने मूल्य का है; और

(ग) यदि कुछ नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष से पहले भारत पाकिस्तान को लगभग 10 लाख टन कोयले का निर्यात किया करता था। ये निर्यात मुख्यत: पूर्वी पाकिस्तान को किये जाते थे।

1965 के पश्चात से पाकिस्तान को कोयले का बिल्कुल भी निर्यात नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार की सामान्य स्थिति लाने के हमारे प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध फिर से प्रारंभ नहीं हो सके हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल के लिए वित्तीय आवंटन कटौती

3975. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को दिये जाने वाली धनराशि में कटौती कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में हाल की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए क्या इस सम्बन्ध में योजना में किए गए नियतन पर पुनः विचार किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। पर यह उल्लेखनीय है कि एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और इसकी सिफारिशों पर भारत सरकार ने स्वीकृति दी है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता, पुनर्वास और मरम्मत के विभिन्न कार्यों के लिए गैर-योजना खाते में केन्द्रीय सहायता की अधिकतम व्यय सीमा 19.85 करोड़ रुपये रखी जाये।

उत्तर कोइल परियोजना

3976. **श्री मुद्रिका सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोइल परियोजना के लिए बिहार सरकार ने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं तथा इसकी मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने हाल ही में उत्तरी कोयल परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन भेजे हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इनकी जांच हो रही है।

चिर सूखा ग्रस्त क्षेत्र के रूप में पालामू, गया और शाहाबाद

3977. **श्री मुद्रिका सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामू का एक भाग, गया और शाहाबाद का क्षेत्र चिर सूखा ग्रस्त है;

(ख) क्या इस क्षेत्र का एक भाग सोन नहर पद्धति के सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत है;

(ग) क्या सोन की रिहन्द जैसी बहाव के प्रतिकूल परियोजनाओं के निर्माण के बाद सोन और सोन नहर पद्धति को पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सोन और सोन की उच्चस्तरीय प्रणाली की सहायता के लिए उत्तर कोइल योजना को तुरंत आरंभ किया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). रिहन्द बांध से नियमित जल की सप्लाई से सोन के प्राकृतिक जल-प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने नए क्षेत्रों की सिंचाई के लिए और सोन प्रणाली की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरी कोयल पर एक जलाशय के लिए हाल ही में प्रस्ताव भेजे हैं। परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच हो रही है।

पंजाब में बिजली की कमी का उद्योग और कृषि पर प्रभाव

3978. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1970 से पंजाब में बिजली की भारी कमी होगी जिसका उद्योग तथा कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस संकट से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सतपुरा (मध्य प्रदेश) से राजस्थान से होकर 40 मैगावाट बिजली की पंजाब को सम्भावित सप्लाई उपलब्ध करा दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (घ). वाह-क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण भाखड़ा जलाशय सामान्य स्तर तक नहीं भर पाया। अतः उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की कमी के कारण विद्युत की सप्लाई में कटौती करना आवश्यक हो गया है। पंजाब में वर्तमान कटौती लगभग 10 प्रतिशत है और दिसम्बर, 1970 के मध्य से आरम्भ होने वाले भाखड़ा जलाशय की संक्रमण अवधि के दौरान यह कटौती इससे भी बढ़ जाएगी। पंजाब में नांगल उर्वरक कारखाने के लिए विद्युत सप्लाई 30 लाख यूनिट प्रति दिन से घटकर 23 लाख यूनिट प्रतिदिन हो जाएगी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और सतपुड़ा प्रणालियों से भी अतिरिक्त विद्युत प्राप्त की जाएगी और भी अधिक डीजल सेटों को चालू किया जाएगा। विद्युत के इन सब अतिरिक्त के स्रोतों से, दिसम्बर, 1970 के मध्य से पंजाब में विद्युत की कटौती लगभग 25 प्रतिशत होने की संभावना है।

(घ) तथा (ङ). दिसम्बर, 1970 के मध्य से आरम्भ होने वाले भाखड़ा जलाशय की जल-क्षीणता अवधि के दौरान सतपुड़ा चम्बल काम्प्लेक्स से 5 लाख यूनिट प्रतिदिन उपलब्ध रहने की सहायता जारी रखी जायगी। विद्युत की इस मात्रा को यथाव्यवहार्य बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

Scheduled caste Employees in Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta

3979. **Shri Chandrika Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the number of Scheduled Caste employees in the Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta is in accordance with the quota reserved for them and they are provided with all the facilities given by Government ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The information is being collected from the Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta and will be laid on the Table of the House.

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों की मांगें

3980. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में, जिनमें उनकी उपलब्धियों में कथित विषमता को दूर करना भी सम्मिलित है, 5 जून, 1970 को काम के घन्टों में काले बिल्ले लगाये ;

(ख) उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं, और यदि उनकी मांगों को पूरा किया गया तो उस पर प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगें, सरकार द्वारा किये गये निर्णय तथा सभी मांगें यदि पूरी की जाती हैं, तो होने वाले वार्षिक व्यय की अतिरिक्त राशि दर्शाई गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4523/70]**

नक्सलवादी तथा अन्य लोगों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में जन-धन की हानि

3981. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दे० अमात :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से अब तक नक्सलवादियों की गतिविधियों के फलस्वरूप जन-धन की हुई हानि का व्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि में नक्सलवादियों और पुलिस तथा सुरक्षा कर्मचारियों में हुई मुठभेड़ में कितने नक्सलवादी तथा अन्य व्यक्ति मारे गये और उनसे बरामद किये गए शस्त्रों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां के बने हुए हैं ; और

(ग) इस अवधि में राज्य में नक्सलवादी तथा अन्य लोगों की कानून और व्यवस्था भंग करने आदि सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से अभी विस्तृत सूचना आनी है ।

भारत-अफगान व्यापार समझौते का विरोध

3982. **श्री हेम राज :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें भारत-विदेश व्यापार मंडल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें अफगानिस्तान के साथ हुए वर्तमान व्यापार समझौते का विरोध किया गया है और उस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की है क्योंकि यह समझौता भारत की अपेक्षा अफगानिस्तान को अधिक लाभप्रद है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : जी हां । भारत तथा अफगानिस्तान के बीच व्यापार समय समय पर दोनों देशों के मध्य हुई व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत विनियमित होता है । ऐसी अंतिम व्यवस्था जुलाई, 1968 में की गई थी तथा वह 31 जुलाई, 1971 तक

वैध है। पारस्परिक सुविधाजनक तारीख पर शीघ्र ही दोनों देश वर्तमान पद्धति में वांछित सुधार लाने के लिये परस्पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे । इस दौरान, वे दोनों देशों के व्यापारी वर्गो को इस बात के लिये मनाने का प्रयत्न करेंगे कि वे इस व्यवस्था का ऐसा दुरुपयोग न करें जिससे भारत तथा अफगानिस्तान के उत्पादों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का अहित हो ।

राज्यपालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति

3983. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित-आदिम जातियों के कितने राज्यपाल सेवारत हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : वर्तमान राज्यपालों में कोई भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई कच्ची रबड़

3984. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने केरल में अब तक कितनी अपरिष्कृत रबड़ खरीदी है ;

(ख) क्या रबड़ बाजार में राज्य व्यापार निगम के प्रवेश से अपरिष्कृत रबड़ के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1970 में राज्य व्यापार निगम के रबड़ बाजार में प्रवेश के पश्चात् इसने 3 दिसम्बर, 1970 तक 1020.1 मीं० टन कच्चा रबड़ खरीद लिया है ।

(ख) रबड़ बाजार में राज्य व्यापार निगम के प्रवेश का तत्काल प्रभाव यह पड़ा है कि उपजकर्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमतें मिलना सुनिश्चित हो गया है ।

(ग) रबड़ बाजार में राज्य व्यापार निगम के प्रवेश से पूर्व विपुल परिमाण में रबड़ की, जिसमें आर० एम० ए० ग्रेड 1 से 4 शामिल है, कीमत 460 रुपये प्रति क्विन्टल थी जो नवम्बर, 1970 के अंतिम सप्ताह में बढ़कर 490 प्रति क्विन्टल हो गई ।

ब्रिटेन में भारतीय मशीनी औजारों का आयात करने हेतु ब्रिटिश दल की भारत यात्रा

3985. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के मशीनी औजार निर्माताओं के एक दल ने हाल ही में भारत की

यात्रा की थी, और अपने व्यापार चिह्नों के मशीनी औजारों का इंगलैण्ड में आयात करने हेतु उन्हें भारत में बनाने और उन्हें विदेशी बाजारों में बेचने की सम्भावनाओं के लिए कुछ भारतीय फर्मों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां। हाल ही में तीन व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इंगलैण्ड में आयात करने और विदेशी बाजारों में बेचने के लिए भारत में अपने व्यापार चिह्नों के मशीनी औजारों के बनाने हेतु उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा था। यह प्रतिनिधिमंडल ऐसे एककों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा था जो ब्रिटिश मांग के अनुसार उत्पादन कर सकें। इनमें से एक प्रतिनिधि ने 23 लाख रुपये मूल्य के मशीनी औजार कास्टिंग्स के आयात हेतु, राज्य व्यापार निगम के साथ प्रबन्ध किया है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़

3986. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा की गत बैठक से आज तक पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना, तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस और हिंसा पर उतारू भीड़ तथा नक्सलवादियों के बीच कितनी बार मुठभेड़ हुई ;

(ख) प्रत्येक बल के कितने कर्मचारी मारे गये और कितने घायल हुए ; कितने पुलिस कर्मचारी छुरों से मरे और कितने अन्य कारणों से ;

(ग) इन कर्मचारियों को कितनी बार गोली चलानी पड़ी/लाठी चलाने तथा/अथवा गोली चलाने से कितने उपद्रवी घायल हुए। अथवा कितने मारे गये, और कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए ;

(घ) कितनी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद और बम बनाने के लिये विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई ;

(ङ) पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की अद्यतन स्थिति क्या है और कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस बल को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है, प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ङ) राज्य सरकार ने विधि और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी कार्यवाही की है। हालांकि अराजकता की अन्य घटनाओं की संख्या में जिनका सम्बन्ध नक्सल-

वादियों तथा समवर्गी उग्रपंथियों से नहीं है, कुछ कमी हुई है किन्तु उग्रपंथियों की गति विधियां निरन्तर चिन्ता का कारण बनी हुई हैं ।

विधि और व्यवस्था बनाये रखने में राज्य पुलिस बल को अधिक कारगर बनाने के लिये की गई कार्रवाई में, जहां आवश्यकता है निजी हथियारों की व्यवस्था करना, व्यक्तियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना पर्याप्त यातायात वाहनों तथा वायर लैस उपकरण की व्यवस्था करना सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल, आसूचना का एकत्रीकरण तथा पुलिस बल के उत्तम कार्य संचालन हेतु अप्रेक्षित विविध उपकरण के जरिये आवश्यक सहायता प्रदान की गई है ।

तेलंगाना समस्या का हल

3987. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 3 सितम्बर, 1970 के आस-पास तेलंगाना समस्या के समाधान के बारे में एक ज्ञापन दिया गया था जिस पर लगभग 250 संसद् सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन क्या है तथा उसमें क्या लिखा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 250 संसद् सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें एक ऐसे सांविधिक कार्यकारी तंत्र के निर्माण का सुझाव दिया गया है जो क्षेत्रीय समिति को उत्तरदायी हो तथा समिति के निर्णयों के कार्यान्वियन तथा निष्पादन के लिए प्रभारी हो । विषय की जांच की जा रही है ।

तेलंगाना क्षेत्र का विकास

3988. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 में उनके द्वारा घोषित 8-सूत्री योजना के आधार पर तेलंगाना क्षेत्र के विकास में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र के विकास में धीमी प्रगति के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या तेलंगाना क्षेत्र के अधिक तेजी से और अधिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 8 सूत्री योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन तथा उसके संशोधन करने का कोई सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गत वर्ष तेलंगाना की योजना गत व्यय सम्पूर्ण राज्य योजना लागत के 92.9 प्रतिशत के मुकाबले में 95.8 प्रतिशत था । चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम

6 महीनों के दौरान तेलंगाना का व्यय सम्पूर्ण राज्य के लिए 41 प्रतिशत के मुकाबले में लागत का 45.9 प्रतिशत रहा है। राज्य सरकार ने चतुर्थ योजना के शेष तीन वर्षों में तेलंगाना के तेज विकास के लिए एक योजना भी तैयार की है और क्षेत्रीय समिति को भेजी है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रधान मंत्री नियत कालिक पुनरीक्षण बैठकें करती हैं। आठ सूत्री योजना के कार्यकरण में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

योजना-लक्ष्यों में परिवर्तन

3989. **श्री जे० अहमद : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना-लक्ष्य में कुछ परिवर्तन किये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य परिवर्तन क्या किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व नरेशों की मान्यता को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में से मेघालय के खासी-राजाओं को शामिल नहीं किया जाना

3990. **श्री बेवर बेहेरा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों की मान्यता और उनकी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में से मेघालय के खासी-राजाओं को निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में उनकी निजी थैलियों की राशि बढ़ाने सम्बन्धी सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). चूंकि संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के अर्थ में वे नरेश नहीं हैं, अतः उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं

3991. **श्री देवराव पाटिल : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में योजना शीर्षक और गैर-योजना शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र की मंजूरी के लिये कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं के प्राक्कलन क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय योजना परिव्यय में से केवल उन्हीं स्कीमों पर धन लगाया जाता है जिन्हें ग्राम विद्युतीकरण निगम स्वीकृति प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृति के लिये लगभग 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 20 स्कीमें भेजी हैं। इनमें से लगभग 4.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 7 स्कीमें पहले ही निगम द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। 8.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की शेष 13 स्कीमों की निगम जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण निगम ने महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में पाइलट ग्रामीण बिजली सहकारिता संबंधी स्कीमों के लिये 3.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की है। राज्य सरकार के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के परिव्यय ग्राम विद्युतीकरण के लिये 25 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। राज्य योजना परिव्यय के अधीन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार में कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। वे ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिये नहीं भेजी जातीं जिनपर व्यय राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है।

चिलका झील का विकास

3992. **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको चिलका झील के सम्भावित विकास के संबंध में एक शिष्टमण्डल से, जिसके अध्यक्ष एक संसद सदस्य हैं, एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कथित ज्ञापन में क्या विशिष्ट मांगें की गई हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये गये हैं :—

1. शीत के विभिन्न द्वीपों में सड़क यातायात की व्यवस्था।
2. विभिन्न द्वीपों के बीच लांच सेवा का प्रबंध।
3. द्वीपों के चारों ओर रेंक बांधों का निर्माण।
4. द्वीपों के लिये बिजली की व्यवस्था।
5. क्षेत्र के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था।
6. तलकर्षण द्वारा चिलका झील के मुख को खोलना।

(ग) चूंकि सिंचाई, सड़क आदि स्कीमें राज्य सरकार द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं, ज्ञापन की मदों को उड़ीसा सरकार के नोटिस में लाया गया है।

बहरहाल, चिलका झील के तलकर्षण के संबंध में, भारत सरकार ने एक तकनीकी समिति स्थापित की है जो समुद्र तक चिलका झील की वहिद्वार नाली की दशा में ह्रास की समस्या की जांच करेगी और झील के समुद्र तक एक नाले के विकास तथा रख-रखाव के लिये ऐसे उपायों से होने वाले लाभों और अनुमानित लागत को बताते हुए उपाय सुझाएगी ।

Consideration of Santapau Committee Report on National Botanical Gardens, Lucknow

3993. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1439 on the 5th August, 1970 and state the decision taken on the Santapau Committee report regarding the Botanical Gardens, Lucknow, which was under consideration?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): The matter is still under consideration.

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों का शामिल न किया जाना

3994. **श्री देवेन सेन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या ब्रह्मपुत्र की दो प्राचीन कोलाहल मयी उप-नदियों, तीस्ता तथा तोरसा के विध्वंस से पश्चिम बंगाल को बहुत अधिक हानि हुई है और भविष्य में भी ऐसी ही हानि होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार का ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने संबंधी वहां की सरकार की मांग पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, जैसा कि वह अब गठित है, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिये व्यापक तथा समेकित योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त तथा प्रभावी कार्यवाही के लिये है । एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस बोर्ड में पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिये । चूंकि बोर्ड की गतिविधि केवल असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण स्कीमों तक ही सीमित है, जो कि असम राज्य योजना का एक भाग है, इस बोर्ड में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तीस्ता और टोरसा बाढ़ों के दौरान उत्तरी बंगाल क्षेत्र में हानि पहुंचाती हैं । उन नदियों से उत्पन्न होने वाली विपत्ति को दूर करने के लिये इन पर कुछ बाढ़ नियंत्रण कार्य क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा और कार्यों की योजना बनाई जा रही है ।

आनन्द मार्ग आश्रम के निवासियों की हत्या करने अथवा हत्या करने के षडयंत्र के बारे में मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के जिला तथा सेशन न्यायाधीश का निर्णय

3995. **श्री शशि रंजन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर, (पश्चिम बंगाल) के जिला तथा सैशन न्यायाधीश ने 28 सितम्बर, 1970 को दिये गए अपने निर्णय में पुरूलिया जिले में आनन्द मार्ग आश्रम के पांच निवासियों की 5 मार्च, 1967 को हत्या करने अथवा हत्या करने के षडयन्त्र के अपराध में कुछ उच्च-सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिन अधिकारियों के नाम निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से लिए गए हैं ; और उनके विरुद्ध जिनके नाम निर्णय में अप्रत्यक्ष रूप में लिये गए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जिस अधिकारी को सिद्ध दोष तथा जेल की सजा दी गई थी, उसने बताया जाता है कि मिदनापुर के जिला तथा सेशन जज के न्याय निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अपील करना उचित समझा है और अपील न्यायाधीन है।

मुजफ्फरपुर के निकट तापीय बिजली घर लगाना

3996. **श्री तु० राम** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर के आस-पास एक नया तापीय बिजली घर लगाने की योजना बनाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय के रेलवे द्वारा निश्चित रूप से कोई वचन दिया गया था कि कोयले के लाने ले जाने के लिये बड़ी रेलवे साइडिंग की सुविधाएं मोतीपुर की उपेक्षा मुजफ्फरपुर को पहले दी जाएंगी, और यदि हां, तो सुविधाओं के किस तारीख तक दी जाने की सम्भावनाएं हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मुजफ्फरपुर के आसपास एक ताप विद्युत परियोजना के प्रतिष्ठापनार्थ विस्तृत अनुसंधान जारी हैं।

(ख) जी, नहीं। इस समय हो रहे इन्जीनियरी और यातायात सर्वेक्षणों के समाप्त होने पर ही यह निर्णय किया जाएगा कि मोतीपुर की अपेक्षा मुजफ्फरपुर को ब्राड-गेज सुविधाएं पहले दी जाएं या नहीं।

जलढाका पनबिजली केन्द्र से बिजली की सप्लाई का बन्द होना

3997. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलढाका पनबिजली केन्द्र से, जो उत्तरी बंगाल के लिये बिजली का मुख्य स्रोत है, बिजली की सप्लाई गत जून में बन्द हो गई थी ;

(ख) क्या विद्युत केन्द्र तक जाने वाले नाले में गंदला पानी भर जाने के परिणाम-स्वरूप ऐसा हुआ ;

(ग) क्या तबसे सप्लाई बन्द पड़ी है ;

(घ) क्या सितम्बर में वर्षा के दौरान जलढाका केन्द्र में पानी में कीचड़ की मात्रा और बढ़ गई हैं ;

(ङ) क्या निर्माणाधीन जलापरोध में बाधा उपस्थित करने वाली नदी में अपनी दिशा भूटान की ओर बदल दी है ; और

(च) सप्लाई कब से चालू हो जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). जी, हां।

(च) 12 नवम्बर, 1970 से जलढाका जल-विद्युत केन्द्र से बिजली की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है।

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई विभाग की उपेक्षा के कारण वर्षा के जल से अप्लावित भूमि

3998. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग की उपेक्षा के कारण पश्चिम बंगाल में शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की भूमि का बहुत विस्तृत भाग जलमग्न हो गया था जिससे हजारों व्यक्ति बेघर हो गये थे ;

(ख) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना है जिससे लोग वर्षा के शिकार न बनें ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1970 के पहले दो सप्ताहों के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में लगभग 14.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 80 लाख लोग भारी तथा अभूतपूर्व वर्षा के कारण प्रभावित हुये थे, न कि पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण। राज्य का सिंचाई विभाग निम्न क्षेत्रों में जल-निकास में सुधार और निकास नालियों के रख-रखाव के लिये सभी सम्भव उपाय कर रहा है। राज्य सरकार के पास प्रभावित क्षेत्रों में निवास कठिनाइयों और बाढ़ समस्याओं में कमी करने के लिये कुछ बाढ़-नियंत्रण उपायों में कार्यान्वियन से सम्बन्धित प्रस्ताव भी हैं। जल-निकास के सुधार से सम्बन्धित मुख्य स्कीमें जो इस समय कार्यान्वियन के अधीन हैं, ये हैं। सियलदाहगोंग बेसिन, नोवी बेसिन, चुरियल बेसिन, क्रिस्टापुर-भंगूर-कट खल, टोलीज नाला और कालियाघई।

जेलों में भीड़

3999. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की जेलों में कैदियों की भीड़ रहती है ;

(ख) क्या सरकार यह भी जानती है कि जेलों में भीड़ होने के कारण कैदियों को सुधारने के कार्य में कठिनाई होती है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को अधिक और अच्छी जेलें बनाने की सलाह दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). सरकार को यह जानकारी है कि लगभग समस्त भारत में जेलों की भीड़ एक सामान्य समस्या है। राज्य सरकारों को समय समय पर कैदियों के लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था करने सहित जेल में सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी जाती है।

कोयम्बतूर जिले में पाण्डयन-पुरनम्, पुझा नदी के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी का रुख बदला जाना

4000. **श्री के० रमानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार नीलगिरि पहाड़ियों में पाण्डयन-पुरनम्-पुझा नदी के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी को सिंचाई के लिये कोयम्बतूर जिले की ओर मोड़ने के लिये कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे कोयम्बतूर जिले में सिंचाई के लिये कितना पानी मिलेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). तमिलनाडु की सरकार ने सूचित किया है कि वे पश्चिम प्रवाही पांडियान और पूर्णमपूजा के अन्तिम छोर के पानी के मोयार घाटी में व्यपवर्तन के लिये और अन्त में बिजली उत्पन्न करने के पश्चात इसके कोयम्बतूर जिले में सिंचाई के लिये समुपयोजनार्थ एक प्रस्ताव पर केरल सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं ।

कुण्डा जल भंडार के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी का उपयोग करने के लिए जांच पड़ताल

4001. **श्री के० रमानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बतूर जिले में सिंचाई के लिये कुण्डा जल भंडार के विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) पानी का उपयोग करने सम्बन्धी जांच-पड़ताल को बीच में रोक दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसे रोक देने के क्या कारण है ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच-पड़ताल पूरी करने में इतनी अधिक देरी क्यों हो रही है ; और

(घ) जांच-पड़ताल में तेजी लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तामिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि पिलूर बांध के नीचे कुण्डा परियोजना के विसर्जनी कुल्या, पानी (टेलरेस वाटर) के एक छोटे हिस्से से, अवबासी तालुक में भूमि को सिंचित करने के प्रस्ताव की उनके द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई थी । उन्होंने निर्णय किया है कि फिलहाल इस स्कीम को स्थगित रखा जाए क्योंकि भवानी बेसिन में जल की कुल उपलभ्यता मौजूदा निम्न भवानी परियोजना की आवश्यकताएं भी पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

विवाहित पुत्री की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों में पिता को सन्देह

4002. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पर "Father suspects foul play in his married girl's death (विवाहित पुत्री की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों में पिता को सन्देह)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें श्रीमती सुच नैयर, जिसकी मृत्यु स्टोव फटने से हुई, के पिता ने लखनऊ के कृष्णानगर पुलिस थाने के थाना अधिकारी पर अपना (पिता का) वक्तव्य दर्ज करने से मना करने का आरोप लगाया हैं और सरकार से इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिला पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान सामने आये सभी तथ्यों तथा साक्ष्य से इस निष्कर्ष का संकेत होता है कि लड़की की मृत्यु किसी दुर्घटना से हुई थी; फिर भी राज्य सरकार ने और जांच पड़ताल के लिये अब इस मामले को राज्य के खुफिया विभाग को सौंपा है ।

राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

4003. **श्री दंडपाणि** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सितम्बर, 1970 के राज्यों को सिंचाई मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई और उसमें क्या निर्णय किये गये ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों का सम्मेलन उटकमंड में 24 और 25 सितम्बर, 1970 को हुआ था।

(ख) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया और जो सुझाव दिए गए उनका विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4524/70.]**

Memorandum Signed by one Crore Citizens of India Presented by Bhartiya Jan Sangh

4004. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the President of India has received a memorandum signed by one crore citizens of India on behalf of the Bhartiya Jan Sangh ; and

(b) if so, the main demands made therein and the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The President's Secretariat have received a memorandum presented on behalf of Bhartiya Jan Sangh with signatures on two sheets of paper.

(b) In the memorandum demand has been made for the recognition of the right to employment as a fundamental right, the manufacture of atom bomb, reduction in age for eligibility for the exercise of franchise, the distribution of uncultivated land to the landless and the grant of interest-free loans to the small land-holders. The policy of Government in regard to these matters has been separately explained in the House.

पोंग बांध और व्यास और सतलुज के जोड़ने संबंधी योजना में प्रगति

4005. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध और व्यास और सतलुज को जोड़ने संबंधी योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा अभी कितना कार्य करना बाकी है;

(ख) मूल रूप में यह कार्य किस तिथि को समाप्त होना था तथा अब कौन सी तिथि तय की गई है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होंने में अत्यधिक देरी होने के क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास सतलज लिंक परियोजना यूनिट-1 और पोंग पर व्यास बांध यूनिट-2 के कार्य की प्रगति दिलाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4525/70.]**

		पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि	
		मूल	संशोधित
यूनिट--1			
(i)	सतलज में पानी का व्यपवर्तन	3/71	12/73
(ii)	प्रथम यूनिट का चालू होना	3/72	3/74
यूनिट—2			
	पोंग बांध का पूर्ण होना	6/72	6/73

(ग) जून, 1966 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ ऋण समझौतों पर देरी से हस्ताक्षर होना तथा वित्तीय तंगी के अपर्याप्त बजट आवंटनों के कारण निर्माण उपस्कर की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा की देरी से उपलभ्यता। व्यास सतलज लिंक परियोजना के मामले में पुंग तथा हराबाग के बीच सुन्दरनगर में सतलज सुरंग में चट्टान के अप्रत्याशित रूप से निम्नकोटि के स्तरों का पाया जाना देरी का कारण है।

उत्तर बिहार के लिये एक विकास बोर्ड की मांग

4006. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कुछ समय पहले उत्तर बिहार के लिये एक विकास बोर्ड की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने मांग की है कि उत्तर बिहार विकास बोर्ड की स्थापना की जाय।

(ख) क्षेत्रीय विकास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अतः राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि पिछड़े क्षेत्रों और इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिये समेकित योजनाओं की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। राज्य सरकार ने कहा है कि उत्तर बिहार विकास बोर्ड की स्थापना का मामला अभी उनके विचाराधीन है।

मुरैथा बिहार के निकट बांध का पानी तथा पुल (स्लाइस गेट कम ब्रिज)

4007. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैथा के निकट हरिकापुर-कालीजाव गांवों के बीच दो दरवाजे वाले पुल (स्लाइस गेट-कम ब्रिज) का निर्माण करने की उपयोगिता का निर्णय करने के उद्देश्य से बिहार के दरभंगा जिले में खिरोर नदी के जल-स्तर को मापा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हरिहरपुर कालीगांव और मुरैथा गांवों के निकट, क्रास रेगुलेटरों के लिये स्कीम तैयार करने के उद्देश्य से खिरोई नदी में इस वर्ष गेजों और निस्सारों का पर्यवेक्षण किया गया है । चूंकि एक वर्ष के लिये पर्यवेक्षणों के आधार पर स्कीम को तैयार कर सुरक्षित नहीं समझा गया, राज्य सरकार ने इस मामले में फैसला करने से पूर्व और दो वर्षों के लिये गेज और निस्सार पर्यवेक्षण को जारी रखने का प्रस्ताव रखा है ।

बोरक नदी पर बांध का निर्माण

4008. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण आदि के लिये बोरक नदी पर बांध बनाने का विचार सरकार ने छोड़ दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मूल उपयुक्त स्थान के संबंध में मनीपुर सरकार द्वारा आपत्ति उठाने पर किसी अन्य जगह पर इस प्रस्तावित बांध को बनाया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) चूंकि नारायणधार में प्रस्तावित स्थल पर बांध के निर्माण से मूल्यवान कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है और लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, मणिपुर की सरकार ने सुझाव दिया था कि बांध को, प्रतिस्रोत दिशा में, आगे ले जाया जाये । मणिपुर अथवा असम सरकार ने अभी तक कोई विशेष स्थलों का प्रस्ताव नहीं किया है । अत्यंत उपयुक्त स्थल ढूंढ़ने के लिये और यह ख्याल करते हुए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है कि कम से कम भूमि जलमग्न हो ।

Pakistani Spy Arrested at Railway Station Amritsar

4009. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item broadcast on the 14th October, 1970 that "in Amritsar a Pakistani spy, Nasib Mohammed has been arrested for spying at the Railway Station ;

(b) whether Nasib Mohammed assumed names of a Harish Chander and stated that he had contacts with a gang spying for Pakistan ;

(c) whether Nasib Mohammed confessed that his main function was to collect information regarding India's defence position ; and

(d) if so, the action taken against the said person and the number of such Pakistani spies who have deceived the country by adopting fictitious names ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (d). Government have no information about any such broadcast. The Government of Punjab have intimated that one Pakistani was arrested in Amritsar on 19th September, 1970 and that a case has been registered against him which is under investigation. It would, therefore, not be desirable to disclose further details at this stage.

Information regarding number of Pakistani spies who have adopted fictitious names is being collected.

सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि

4010. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरलूम बुनकरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूती धागों का मूल्य 1969-70 के बाद बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन बुनकरों की सहायता करने के उद्देश्य से मूल्य घटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) शक्तिचालित करघा बुनकर मुख्यतः कोन्स तथा साइज्ड बीम्स वाले धागे का उपयोग करते हैं। कम काउंट की कीमतों में वृद्धि तथा अधिक काउंट की कीमतों में गिरावट आई है।

(ख) कम काउंट की कीमतों में वृद्धि का कारण रुई की कीमतों और मजदूरी में वृद्धि है। इसका कारण पूर्ति और मांग की स्थिति भी बताई जाती है। इस समय सूत की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

व्यास परियोजना के कारण विस्थापित लोगों की मुआवजा राशि बढ़ाना

4011. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को व्यास परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की मुआवजा राशि को न बढ़ाने को कहने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। सिंचाई व बिजली मंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस विषय पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी लेकिन भुगतान किये जाने वाले मुआवजे कटौती के लिए वे सहमत नहीं हुये थे।

Percentage of Harijans and Adivasis in Government Services

4012. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the State Governments have been asked to effect the required increase in the percentage of reservations in Government services for Harijans and Adivasis ;

(b) if so, the names of the States which have followed it and the names of the states which have not taken any action so far thereon ; and

(c) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The percentages of reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the Government of India have been revised with effect from the 25th March 1970 taking into account the proportion of these communities in total population of the country in accordance with the 1961 Census. These reservations would not apply to the services under the States and the question of State Governments adopting these percentages of reservation would also not arise as they would not correspond to the percentage of these communities to the total population in various States. However, copy of the Government Resolution enhancing the percentages of reservations of Scheduled Castes & Scheduled Tribes in services was sent to the State Governments. The reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the State Governments are the concern of the respective State Governments under Article 335 read with Articles 16 (4) and 12 of the Constitution. Hence it is for the State Governments to take necessary action in the matter in the light of the principles adopted by the Government of India in providing reservations for these communities.

हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना पर व्यय

4013. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अब तक सियूल परियोजना के निर्माण कर्मचारियों के वेतन और कर्मचारियों के मकानों पर कितना रुपया व्यय हुआ ; और

(ख) दिसम्बर 1970 तक कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सियूल परियोजना के निर्माण पर अब तक 75.08 लाख रुपये व्यय हुए हैं । इसमें 13,745 रुपये का व्यय नियमित स्टाफ के वेतन का और 1,50,000 रुपये का व्यय स्टाफ क्वार्टरों का भी शामिल है ।

(ख) दिसम्बर, 1970 तक 128.08 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

राज्यों में विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का पूरा होना

4014. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बहुत सी परियोजनाएं रुक गई हैं और उनके पूरा होने में पर्याप्त देरी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग).

सिंचाई

63 वृहत् स्कीमें चतुर्थ योजना में जारी रखी जा रही हैं। उनको स्वीकार करते समय इनकी अनुमानित लागत 1381 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि अब उनकी लागत 2484 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। मूल रूप में प्राक्कल्पित परियोजनाओं की लागत तथा अब निर्धारित की गई लागत विवरण में दी गई है जो कि उपबंध-i के रूप में है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4526/70]** लागत में वृद्धि का मुख्य कारण, तकनीकी रूप से व्यवहार्य निर्माण की इष्टतम गति पर परियोजनाओं के निर्माण के लिये अपर्याप्त संसाधन है जिसके कारण निर्माण अवधि बढ़ गई है और इस लम्बी अवधि में काम और उपस्कर की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

1968-69 के अंत तक परियोजनाओं पर परिव्यय 1078 रुपये था जिससे 1406 करोड़ रुपये का व्यय बच गया। इसके प्रति वृहत् स्कीमों के लिये चतुर्थ योजना में 668 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अतः चतुर्थ योजना में उन सतत स्कीमों को पूर्ण करने के लिये अधिकतम सड़क आवंटन का प्रबंध करने के लिये बल दिया गया है जिनपर काफी प्रगति हो चुकी है।

बिजली

कुछ बिजली उत्पादन परियोजनाओं (उपबंध-ii पर विवरण में बताई गई) पर कार्य इन जैसे कारणों से अनुसूची के पीछे पड़ गया; सिविल कार्यों में देरी, कठिन स्थल स्थितियों के कारण देरी, काम संबंधी कठिनाइयां और बिजली टर्बोजनिक उपस्कर की डिलिवरी में देरी।

इस मामले पर परियोजना अधिकारियों और निर्माताओं के साथ लगातार लिखा पढ़ी की जा रही है। परियोजनाओं का विशेष पुनरवलोकन किया जा रहा है और कठिनाइयों को दूर करने के लिये यत्न किये जा रहे हैं।

न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, कलकत्ता के अध्यक्ष तथा निदेशक के पास विदेशी मुद्रा

4015. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कलकत्ता, के अध्यक्ष और निदेशक (श्री अशोक प्रसाद जैन तथा श्रीलोक प्रसाद जैन) ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की जानकारी के बिना $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जमा कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). देखने में आया है कि मैसर्स न्यू सेंट्रल मिल्स, कलकत्ता की ओर से कुछ सौदों में जानबूझ कर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया हुआ प्रतीत होता है। कम्पनी के निदेशकों तथा

सचिवों के विरुद्ध न्याय-निर्णय के लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की गई है, और अब मामले का न्याय-निर्णय होना बाकी है। इस मामले में जो भी कोई राशि है, उसका पता न्यायिक निर्णय हो जाने के पश्चात् ही लग सकता है।

झारखण्ड राज्य का निर्माण

4016. **श्री नीरेल एनम होरो** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना स्वीकार कर क्या सरकार का विचार छोटा नागपुर तथा उससे लगे क्षेत्र के लोगों की तीव्र इच्छा को पूरा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सन् 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा इस प्रश्न पर कि क्या झारखण्ड एक पृथक राज्य होना चाहिए या बिहार का एक भाग रहना चाहिए, विचार किया गया था और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि झारखण्ड का एक अलग राज्य के रूप में निर्माण करना औचित्यपूर्ण नहीं है। भारत सरकार आयोग की इस सिफारिश से सहमत थी। इस मामले को पुनः उठाने का कोई विचार नहीं है।

बिहार में पुरुलिया का विलय

4017. **श्री नीरेल एनम होरो** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस जिले के लोग इस क्षेत्र को बिहार को वापिस देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस जिले को राज्य सरकार ने पिछड़ा जिला माना है और जिले के विकास के लिए अनेक उपाय प्रारम्भ किए हैं। उदाहरण के लिए चालू योजना के दौरान सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के कार्यक्रम और तीन वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए इसका चयन किया गया है। इसका चयन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले के रूप में भी किया गया है और इस प्रकार इस जिले में स्थापित किए जाने वाले कारखानों को वित्तीय संस्थाओं से कुछ आर्थिक रियायतें मिलेंगी। इस जिले में स्थापित किए जाने वाले अनुमोदित कारखानों को केन्द्रीय सरकार भी 10 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देगी।

(ख) सरकार को किसी ऐसी मांग का पता नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मशीनी औजारों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा ब्रिटेन का दौरा

4018. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मशीनी औजार निर्माता संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय मशीनी औजार उद्योग के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारतीय मशीनी औजारों के निर्यात को बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से ब्रिटेन का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल की उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मशीनी औजारों के प्रदर्शन के लिए एक केन्द्रीय प्रदर्शन कक्ष की स्थापना करने की संभावना का भी पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां । मशीनी औजार विकास परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 7 प्रबंध अधिकारियों के एक दल ने इंगलैण्ड तथा अन्य देशों का दौरा किया था ।

(ख) दल ने वापिस लौटने पर मोटे तौर यह कहा कि "500,000 डालर मूल्य का व्यवसाय प्राप्त कर लिया गया है और भविष्य में बिक्री जारी रखने की अच्छी संभावनाएं हैं ।"

(ग) और (घ). प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन तैयार हो रहा है और यदि सुझाव दिया गया तो गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा खर्च किया गया धन

4019. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम-विद्युतीकरण निगम द्वारा कितना धन खर्च किया गया है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें धन दिया गया है ;

(ख) उड़ीसा के लिए ऐसी कितनी योजनाएं स्वीकार की गई हैं और कितनी अनिर्णीत पड़ी हुई है और प्रत्येक योजना पर कितना धन खर्च आयेगा; और

(ग) क्या उड़ीसा में बालासोर और मयूरभंज के जिलों को विद्युतीकरण की योजना में सम्मिलित किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में सभी राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कार्यान्वियनार्थ स्वीकार हो गई हैं । राज्य बिजली बोर्डों को कह दिया गया है कि वे आवश्यक

समझौतों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में, राज्य सरकारों से गारंटियां लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करदें ताकि कार्य के चरणवद्ध कार्यक्रम के अनुसार निगम द्वारा आवश्यक धनराशियां बांट दी जाएं। अभी तक हरियाणा, मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के बिजली बोर्डों ने आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की हैं और 583 लाख रुपये की राशि इन राज्य बिजली बोर्डों को दे दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

स्वीकृत स्कीमें

37.48 लाख रुपये और 54.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बोलंगीर जिले में दो परियोजनाएं।

46.91 लाख रुपये, 18.21 लाख रुपये और 28.42 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ढेकनाल जिले में तीन परियोजनाएं।

31.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कटक जिले में एक परियोजना।

पांच स्वीकृत स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 217.34 लाख रुपये।

वे स्कीमें जिन पर कार्यवाही की जानी है :—

15.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कालाहांडी जिले में एक स्कीम की ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) बालासोर और मयूरभंज से संबंधित-ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें उड़ीसा अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही हैं।

कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना में की गई गिरफ्तारियां

4020. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 नवम्बर 1970 से आज तक कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और 24परगना में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों का निर्माण करने हेतु इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास को लाइसेंस दिया जाना

4021. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास ने इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों का निर्माण करने हेतु, लाइसेंस मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां,

(ख) मामला विचाराधीन है।

कलकत्ता में हुये दंगे

4022. **श्री इन्द्र जीत गुप्ता :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गिरफ्तार किये गये दो नक्सलवादियों की मृत्यु के बारे में फैले समाचार के कारण कलकत्ता में 22 अक्तूबर, 1970 में दंगे हुए थे और पुलिस को अन्त में गोली चलानी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की इस बीच जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

कागज नगर (आंध्र प्रदेश) में रेयन-सिल्क का कारखाना

4023. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में कागज नगर में रेयन सिल्क कारखाने के कार्यकरण के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). इस फैक्टरी के कताई विभाग के आयलमैन, श्री अब्दुल रसूल से प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन मिला है जिसमें कम मजूरी, असुरक्षित नौकरी, भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि के बारे में शिकायतें हैं और यह मांग की गई है कि इन मामलों की जांच के लिए एक अलग मजूरी बोर्ड की स्थापना की जाये।

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, जो इस मामले से संबद्ध है, राज्य सरकार से स्थिति का पता लगा रहा है।

श्रेणी III और श्रेणी IV के राज्य सरकारों के कर्मचारियों की केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में बदली करने का प्रस्ताव

4025. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कर्मचारियों की केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर बदली करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के प्रस्तावों की निर्बाधिता के लिए अनिर्णीत पनबिजली और सिंचाई योजनाएं

4026. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के लिये निर्बाधिता हेतु 1960-61 से आज तक परियोजनावार कितनी पनबिजली तथा सिंचाई परियोजनाएं अनिर्णीत पड़ी हैं तथा उनके अनुमान क्या हैं ; और

(ख) निर्बाधता के बारे में देरी करने के क्या कारण हैं तथा उनका परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4527/70.]**

दिल्ली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का मानदण्ड

4027. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है ; और

(ख) दिल्ली प्रशासन में 210-425 के वेतन-मान में काम कर रहे सहायकों/मुख्य-लिपिकों/आशुलिपिकों/आशुलिपि प्रशिक्षकों में, प्रथम श्रेणी में पदोन्नति करते समय, ऐसे पदों को किस अनुपात से बांटा जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ग्रेड I (लिपिक वर्गीय) के सभी पदों गुण तथा वरीयता के आधार पर 210-530 पदोन्नत तथा 210-425 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिकों तथा ग्रेड II (लि०) से व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं । ग्रेड I (कार्यकारी) अधिकारियों के 75 प्रतिशत पद गुण तथा वरीयता के आधार पर उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा वाले ग्रेड II (कार्यकारी) अधिकारियों द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

(ख) ग्रेड I (लिपिक वर्गीय) के रिक्त पद पात्र सहायकों तथा हेड क्लर्कों (ग्रेड II) (लिपिक वर्गीय) तथा आशुलिपिकों द्वारा उनके अपने अपने ग्रेड के अनुपात में भरे जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति

4028. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर कुछ पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी के पदों पर कितनी पदोन्नतियां की गई ;

(ग) प्रथम श्रेणी में पदोन्नत हुए इन सब अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की नियुक्ति की तारीख क्या है ;

(घ) दिल्ली प्रशासन में उन्हें किस तारीख से द्वितीय श्रेणी के पद पर स्थायी बनाया गया था ;

(ङ) क्या इन पदोन्नतियों के लिए 210-425 के वेतनमान में काम कर रहे आशुलिपि, प्रशिक्षकों/आशुलिपिकों के मामले पर भी विचार किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 15 व्यक्तियों को ग्रेड I (लिपिक वर्गीय) में पदोन्नत किया गया है। ग्रेड I (कार्यकारी) में कोई पदोन्नतियां नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ).

अधिकारी का नाम	ग्रेड I (लिपिक वर्गीय) में पदोन्नति की तिथि	ग्रेड II में स्थायी घोषित किये जाने की तिथि
1	2	3
1. श्री एम० एल० तनेजा	11-9-70	31-7-61
2. श्री राम सरण	11-9-70	1-1-62
3. श्री ओ० पी० गुप्त	14-9-70	1-1-62
4. श्री रूड़ा सिंह	16-10-70	25-4-62
5. श्रीमती उर्मिला बरगोत्रा	10-9-70	13-7-62
6. श्रीमती सुरिन्दर समरवाल	10-9-70	13-7-62
7. श्री वृज बिहारी लाल	11-9-70	1-3-63
8. श्री डी० एन० अरोरा	रिकार्ड पदोन्नति	2-7-63
9. श्री गुरदयाल सिंह	10-9-70	12-9-63

1	2	3
10. श्री लाल चन्द शर्मा	11-9-70	8-8-65
11. श्री बी० एस० गौर	14-9-70	22-12-65
12. श्री वीर सिंह	11-9-70	12-1-66
13. श्री आर० जी० कोहली	28-9-70	12-1-66
14. श्री जी० एस० मिधा	30-9-70	1-3-66
15. श्री बी० आर० शर्मा	अभी कार्य भार नहीं संभाला	10-3-66

(ङ) जी नहीं। श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० सी० मुकर्जी को भर्त्सना
REPRIMAND OF SHRI S. C. MUKHERJEE

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शांत रहें। अब श्री एस० सी० मुकर्जी की भर्त्सना से सम्बन्धित मद को लिया जायेगा। श्री एस० सी० मुकर्जी को 2 दिसम्बर, 1970 को सभा द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार मैंने भर्त्सना के लिये आज सभा के कटघरे में उपस्थित होने के लिये बुलाया था।

मैं सभा को इस बात की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं समझता कि श्री एस० सी० मुकर्जी की भर्त्सना के समय सभा में शान्ति रहनी चाहिए जिससे सदन की प्रतिष्ठा और प्राधिकार बने रहें तथा भर्त्सना के महत्व और इसकी गुरुता प्रभावकारी हो सके।

वाच एण्ड वार्ड अधिकारी !

वाच एण्ड वार्ड अधिकारी : जी श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री एस० सी० मुकर्जी उपस्थित हैं ?

वाच एण्ड वार्ड अधिकारी : जी हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अन्दर लाया जाये।

(इसके पश्चात् श्री एस० सी० मुकर्जी को अन्दर लाया गया तथा वह सभा के कटघरे में खड़े हुये)

(Shri S. C. Mukherjee was then brought in and he stood at the Bar of the House).

अध्यक्ष महोदय : एस० सी० मुकर्जी 24 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के पश्चात् सदन में आपको तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने तथा लोक लेखा समिति के समक्ष गलत साक्ष्य देने के लिए सभा का अवमान करने का दोषी पाया है। सभा ने 2 दिसम्बर, 1970

को यह निर्णय किया कि आपको इस सभा के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाये तथा आपकी भर्त्सना की जाय। तदनुसार मैं सभा की ओर से इस सभा के अवमान किए जाने के लिए आपकी भर्त्सना करता हूं।

अब मैं आपको वापस जाने का आदेश देता हूं।

(इसके पश्चात् श्री एस० सी० मुकर्जी वापस चले गये)

(Shri S. C. Mukherjee then withdraw)

अध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो जायेगा।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को कि उक्त अधिकारी की भर्त्सना की गई है, उसकी सेवा सम्बन्धी पंजी में लिखा जायेगा या नहीं।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : महोदय ! हम इसे उसमें लिख देंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों की कथित हड़ताल

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पश्चिम बंगाल में पटसन श्रमिकों की कथित हड़ताल"

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मुझे यह बताते हुये खेद है कि पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के श्रमिक 7 दिसम्बर, 1970 से हड़ताल पर चले गए हैं। जैसा कि इस सदन को मालूम है, इस उद्योग में 2,25,000 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले हमारे साधनों में से एक प्रमुख साधन है। यह हड़ताल विभिन्न केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध मजदूर संघों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई है। हड़ताल के नोटिस में कई मांगें शामिल हैं, परन्तु प्रधान मामले बोनस की अदायगी, ग्रेच्युटी योजना शुरू करने और बदली श्रमिकों को काम न दिये जाने की अवधि के दौरान भरण भत्ते की अदायगी के सम्बन्ध में है।

2. राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सलाहकार द्वारा सम्बन्धित पक्षों को एक साथ लाने और कोई परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के प्रयास किए गए, ताकि कोई काम बंदी न रहे। दुर्भाग्य से ये प्रयास सफल नहीं हुए। सम्बन्धित पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों के उत्तर में मैंने उनसे दिल्ली आने की प्रार्थना की, ताकि कोई समझौता हो सके और हड़ताल टाली जा सके। इस सम्बन्ध में 4 और 5 दिसम्बर, 1970 को दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श में भारतीय जूट मिल

एसोसियेशन और कर्मकारों की यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वतन्त्र और स्पष्ट विचार-विनिमय हुआ। कुछ हद तक मतभेद कम किए गए। परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौता नहीं हो सका।

3. विदेशी व्यापार मंत्री ने भी कल दोनों पक्षों से विचार-विमर्श किया, किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका।

4. मैं सद्‌भाव से विश्वास करता हूं कि प्रमुख उद्योग की हड़ताल में जो कठिनाइयां और संकट निहित हैं, उनका सम्बन्धित पक्षों को पूर्णतः ज्ञान है। मुझे आशा है कि वे इस अवस्था पर भी समझौता करने की कोशिश करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय हड़ताल के लिये मालिकों की मुनाफाखोरी की नीयत को दोषी न ठहराकर मजदूरों के ऊपर ही सारा दोषारोपण कर रहे हैं। मुझे इस बात का अवश्य पता होना चाहिए कि यह हड़ताल केवल पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग के मजदूरों ने ही नहीं की वरन् बिहार, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश आदि बहुत से राज्यों के ऐसे मजदूरों ने मिलकर हड़ताल की है। अगस्त, 1969 में उन्होंने मालिकों को एक समझौते के लिए विवश किया। किन्तु मालिकों ने समझौते की शर्तों को उचित रूप से क्रियान्वित करने में आनाकानी की जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 27 अक्तूबर, 1970 को मंजूरी पुनरीक्षण सम्बन्धी एक समिति नियुक्त करनी पड़ी। संयुक्त मोर्चा सरकार का लाभ उठाकर तथा राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अधिकारियों के साथ इण्डियन जूट मिल एसोसिएशन की मिलीभगत होने से मालिकों ने मजदूरों पर कार्य का भार बढ़ा दिया तथा उनकी 8 प्रतिशत बोनस देने की मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था।

मंत्री महोदय ने बदली श्रमिकों के बारे में कुछ कहा है किन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि इन श्रमिकों को कई वर्षों के बाद काम से हटाते समय कुछ नहीं दिया जाता।

ऐसी स्थिति में जब कि हड़ताल से प्रतिदिन एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है तथा जूट उद्योग में 1969-70 में असाधारण लाभ कमाया है। और सरकार ने इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये 48 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया हैं तो क्या सरकार मिल मालिकों पर श्रमिकों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करने के लिये दबाव डालेगी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विशेषकर बदली श्रमिकों के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो बिहार अथवा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से आते हैं तथा जिन्हें समय समय पर काम से निकाल दिया जाता है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जब श्रम मंत्री तथा विदेश व्यापार मंत्री कोई समझौता कराने में असफल रहे हैं तो अब क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है। प्रधान मंत्री अभी कुछ मिनटों तक यहां उपस्थित थी किन्तु अब वे चली गई हैं यद्यपि यह समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तथा इसका सम्पूर्ण देश पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अब क्या कार्यवाही करेगी।

इस बात को देखते हुए कि देश में इस प्रकार की घटनायें प्रायः होती रहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी। यदि मंत्री

महोदय यह कहें कि यह बात उनके अधिकार में नहीं है तो मैं इसे नहीं मानता क्योंकि वह इसी सरकार के मंत्री हैं। प्रधान मंत्री को इस समय यहां उपस्थित रहना चाहिए था क्योंकि यह समस्या पूरे देश की अर्थ व्यवस्था से सम्बद्ध है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री भागवत झा आजाद : पहले प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि समझौता न हो सकने के लिए हमने केवल श्रमिकों को ही दोषी नहीं ठहराया। वास्तव में जब श्रमिक तथा मिल मालिकों में राज्य स्तर पर आपस में कोई समझौता नहीं हो पाया तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया तथा मैंने और मेरे सहयोगी ने उनमें समझौता कराने का प्रयत्न किया। हमें खेद इस बात का है कि हड़ताल को टाला नहीं जा सकता और उसके लिए मालिक तथा श्रमिक दोनों ही उत्तरदायी हैं क्योंकि हड़ताल से देश के पटसन उद्योग को हानि पहुंचती है और इस उद्योग से हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अतः मैं केवल श्रमिकों को ही इसके लिए दोषी नहीं मानता। लगभग 8 या 9 अगस्त को हड़ताल आरम्भ हुई थी और 4 अगस्त 1969 को समझौता हुआ था। हमें आशा थी मंजूरी आदि के बारे में कोई समझौता हो जायेगा किन्तु इस सम्बन्ध में लगभग 16 महीने की देरी हुई।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि नियोक्ताओं ने संयुक्त मोर्चा सरकार का लाभ उठाया तो मेरा निवेदन है कि इस करार पर हस्ताक्षर होने के बाद भी वह सरकार कुछ महीनों तक सत्तारूढ़ रही थीं। अतः इस करार को मंजूरी सम्बन्धी मशीनरी के पास भेजा जा सकता था किन्तु नहीं भेजा गया।

बदली श्रमिकों के बारे में अगस्त, 1969 के गत समझौते में यह निर्णय किया गया था कि मंजूरी सम्बन्धी व्यवस्था इनके बारे में भी विचार करेगी किन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उसके बाद यह प्रश्न उठाया कि फिर भी कुछ श्रमिक बदली में बने रहेंगे। अतः मैंने प्रयत्न किया कि मंजूरी सम्बन्धी व्यवस्था इनके बारे में पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत व्यापक है तथा इस संदर्भ में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाये। वैसे भी राष्ट्रीयकरण से सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पटसन के काश्तकारों ने तथा पटसन उद्योग के श्रमिकों ने पूंजीपतियों के लिए भारी सम्पत्ति अर्जित की है श्री सी० एल० बाजोरिया ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि कोटिया युद्ध के पश्चात् पटसन व्यापार में जितनी तेजी अब आई है इतनी पहले कभी नहीं आई थी। किन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि पटसन उद्योग के श्रमिकों की दशा बड़ी दयनीय है इस समय जूट उद्योग में श्रमिक की कुल आय 170 रुपया प्रतिमास से अधिक नहीं है। इस सोलह महीने की अवधि में भी जिस मंजूरी समिति की स्थापना का वचन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया तथा लम्बे अरसे से चली आ रही समस्या का समाधान नहीं किया गया। अतः सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना ही चाहिए।

चार प्रतिशत बोनस अनिवार्य है। गत वर्ष 2 प्रतिशत के हिसाब से 30 रुपये दिए गए थे और यदि इस वर्ष 2 प्रतिशत का हिसाब लगाया जाए तो 50 रुपये होंगे किन्तु मालिक उतना भी नहीं देना चाहते।

मजदूरों की 8 मांगें हैं अर्थात् उपदान, प्रति वर्ष निम्नतम 8 प्रतिशत बोनस, बन्द मिलों का चालू किया जाना, ई० एस० आई० योजना के अन्तर्गत कठिनाइयों को दूर करना, बदली श्रमिकों को उस अवधि के लिए जिसमें उन्हें काम नहीं मिलता जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त भत्ता, मकान भत्ता, छुट्टियों की संख्या में वृद्धि हड़ताल की अवधि के लिये मंजूरी का भुगतान तथा एस० टी० छुट्टी।

बदली मजदूरों के लिए हमने प्रतिदिन एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीवन निर्वाह सम्बन्धी भत्ते की मांग की थी। किन्तु मिल मालिक इतनी कम राशि देने को भी तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि सरकार भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री आर० पी० गोयंका तथा इसी के एक कार्यकारी श्री वहीद के हाथों में खेल रही है। हमें उनके इन सम्बन्धों के बारे में भी पता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मिल मालिक इन न्याय संगत मांगों को मानने से इंकार करते हैं तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : यह कहना उचित नहीं है कि 8 और 9 अगस्त, 1969 के समझौते से समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। श्रमिकों को इससे बोनस के साथ 30 रुपये की तदर्थ वृद्धि दी गई है तथा उन्हें इसके अतिरिक्त भी 30 रुपये और दिये गये हैं। इसी समझौते में यह भी कहा गया था कि इस उद्योग के श्रमिकों की मंजूरी के प्रश्न को प्रस्तावित मंजूरी समिति के समक्ष रखा जायगा तथा उसका गठन तथा उसके निदेश पद उसी प्रकार होंगे जैसा कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। अतः इस सम्बन्ध में हमारा कोई दोष नहीं है। जब दोनों पक्षों में इस प्रकार का समझौता हो गया तभी यह मामला उस समिति के समक्ष रख दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों पक्षों में 16 महीने तक इस प्रकार का समझौता नहीं हो पाया था अतः इतना समय लग गया।

यह सच है कि श्रमिकों की आठ मांगें हैं किन्तु हमारे साथ हुई बातचीतों में उन्होंने मुख्यस्थ से तीन ही मांगों पर बल दिया अर्थात् उपदान, जिसे सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया गया है, गत वर्ष के लिये चार प्रतिशत के हिसाब से बोनस, 50 रुपये की तदर्थ राशि तथा बदली श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह भत्ता। मैं माननीय सदस्य के इस आरोप का खण्डन करता हूं कि सरकार मिल मालिकों के हाथों में खेल रही है। हम उन लोगों को केवल नियोक्ता के रूप में ही मानते हैं तथा उनकी मांगों पर गुण दोष के हिसाब से ही विचार करते हैं। सरकार उनके हाथों में बिल्कुल नहीं खेलती। सरकार ने यदि मजदूरों के नेताओं को दुबारा बात चीत करने के लिए बुलाया था तो इसमें क्या दोष था। अतः माननीय सदस्य का यह आरोप निराधार है यदि सरकार उन्हें बार बार बुलाना आवश्यक समझेगी तो अवश्य बुलायेंगी। हम नियमानुसार कार्य कर रहे हैं तथा हमारा प्रयत्न है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाय। तथा समस्या का समाधान हो जाये।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृषनगर) : मैं माननीय मंत्री महोदय से दो या तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहती हूं। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए श्रमिकों की अधिक उपदान की मांग न्याय संगत हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मांग को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु श्रमिकों की मांग है कि इसकी अदायगी पहली अगस्त, 1969 से होनी चाहिए और सम्भवतः मालिक इसके लिये तैयार नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि मतभेद को कहां तक दूर किया गया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि उत्पादिता में कमी हुई है और यदि हां, तो कितनी कमी हुई है। इस उद्योग के उत्पाद से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है तथा उत्पादन में कमी के कारण हमें विदेशी मुद्रा का काफी घाटा रहा है।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या मिल मालिक कर्मचारियों को बोनस, उपदान आदि देने में समर्थ होंगे। उनके लिए बिजली दर में कमी करने और फालतू कल पुर्जों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी जिससे वे कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकें।

चौथा प्रश्न यह है कि बंगाल सरकार इनमें से कुछ कारखानों को सरकारी स्तर पर चलाने का विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार को पहले इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उन कारखानों को किस प्रकार चलाया जाये जिससे उनमें हानि न हों तथा श्रमिकों की मांगे भी पूरी हो जायें। यदि इस सम्बन्ध में उचित तकनोकी सुधार नहीं किया गया तो इस उद्योग से हाथ धोना पड़ेगा तथा विदेशी मुद्रा की भी हानि होगी। अत: क्या सरकार उनमें उचित सुधार करेगी?

श्री भागवत झा आजाद : उपदान को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु श्रमिकों ने मुख्यरूप से इस बात पर बल दिया था कि उपदान कुल मंजूरी के हिसाब से मिलना चाहिये तथा इस मांग के बारे में समझौता नहीं हो सका। उत्पादन में कमी तथा विदेशी मुद्रा की हानि की इस समय कोई संगति नहीं है। मुझे बताया गया है कि जूट की अच्छी फसल हुई है अत: इस सम्बन्ध में श्रमिकों और मिल मालिकों को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। बदली श्रमिकों के बारे में हमने जो कार्यवाही की है उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। हड़लाल के कारण कोई मिल भी बन्द नहीं हुई है तथा पश्चिम बंगाल सरकार का भी कोई ऐसा विचार नहीं है कि कुछ मिलों को अपने अधिकार में लिया जाये।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़ी शान्ति से सुन रहा था किन्तु मुझे आश्चर्य है कि उनकी बातों से मुझे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वे श्रमिकों के कल्याण की बात कर रहे थे अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के कल्याण की (**व्यवधान**)। जहां तक श्री मुकर्जी के सुझाव का सम्बन्ध है, मैं स्वयं भी राष्ट्रीय करण के पक्ष में हो जाता यदि ऐसा करने में श्रमिकों और नियोक्ताओं में सद्भावना बढ़ जाये या उनके पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे हो जायें। मैंने इण्डियन एयरलाइन्स या दुर्गापुर इस्पात कारखाना आदि कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में यही देखा है कि नियोक्ताओं का श्रमिकों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं है, वरन् उनका ध्यान निम्नस्तर की राजनीति की ओर है। वे आने वाले चुनावों की ओर अधिक उत्सुकता से देख रहे हैं।

हड़ताल के दौरान जूट उद्योग को तथा देश को प्रतिदिन हो रही करोड़ों रुपये की हानि को देखते हुये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि कार्मिक संघों की मांग में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। क्या यह सच नहीं है कि मालिकों ने श्रमिकों की मूल मांगों को समय-समय पर स्वीकार किया है तथा रियायत प्राप्त करने के पश्चात् श्रमिकों ने फिर नई मांगे करना आरम्भ कर दिया है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब बोनस अधिनियम की पहले से ही व्यवस्था है तथा निम्नतम और अधिकतम बोनस के बारे में भी व्यवस्था है तो इस सम्बन्ध में विवाद खड़ा होने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं था कि इस विवाद को यहां लाने की अपेक्षा उस अधिनियम में दूसरा संशोधन लाया जाता ?

क्या यह भी सच नहीं है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित समाधान मिल मालिकों को स्वीकार्य था किन्तु यह कार्मिक संघों को स्वीकार्य नहीं था जो इस बात का द्योतक था कि वे आगामी महीनों में पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योगों में हड़ताल करने के लिये उतारू हैं ।

मेरा अन्तिम प्रश्न है कि जब दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया तो क्या यह उचित समय नहीं है कि सरकार स्वयं उनके इस विवाद को समाप्त करे तथा अपने निर्णय को लागू करे और पता लगाये कि वास्तव में दोषी कौन हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने एक प्रकार से यह आरोप लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सभी प्रकार की बुराइयां होती हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी श्रमिकों और मालिकों के बीच सम्बन्ध सदा सद्भावपूर्ण नहीं बने रहते । देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी दोनों पक्षों में सद्भावना पूर्ण सम्बन्ध हैं । माननीय सदस्य का यह कहना भी सच नहीं है कि मांगों में परिवर्तन किया गया है । मांग समय और परिस्थिति के अनुरूप होती है और यदि मंहगाई भत्ते सम्बन्धी कठिनाई न होती तो श्रमिकों को अवश्य वर्तमान उपलब्धि से अधिक उपलब्धि होती । मालिकों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

माननीय सदस्य ने बोनस अधिनियम की भी चर्चा की है । मुझे पता है कि राज्य सभा में बोनस अधिनियम के बारे में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन है और मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि सरकार उसका समर्थन करे । इस विवाद का समाधान तो स्वयं दोनों ही पक्षों को करना है । मैं इस सम्बन्ध में कोई समाधान नहीं बता सकता । मेरा कर्तव्य तो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बात चीत कराने का था, न कि स्वयं समझौता कराना तथा इस बारे में नियोक्ताओं की ओर से काफी विरोध पाया गया ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या आप अब हस्तक्षेप करने को तैयार हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : हम तो प्रतिदिन ही हस्तक्षेप कर रहे हैं । कल भी किया था ।

श्री सु० कु० तापड़िया : समझौते के लिये आपका फारमूला क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या माननीय सदस्य इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि हम कोई फारमूला दें तो वह मालिकों को उसे स्वीकार करने के लिये राजी कर लेंगे ?

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : महोदय, हम माननीय मंत्री के आभारी हैं जिन्होंने समझौता कराने के लिए इतना परिश्रम किया है । साथ ही उनके वक्तव्य से यह भी ज्ञात हो गया है कि मालिकों की ओर से ही समझौते किये जाने में बाधा डाली जा रही है । जूट उद्योग में

स्थाई रूप से 60,000 बदली श्रमिक हैं। यूनियन ने उनके लिये प्रतिदिन प्रति श्रमिक एक रुपया के हिसाब से जीवन निर्वाह भत्ता मांगा है। क्या मिल मालिक यह भत्ता देना चाहते हैं अथवा नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मिलों के आधुनिकीकरण के नाम पर और फालतू कर्मचारियों के नाम पर लगभग एक लाख कर्मचारी निकाल दिये गये हैं। सरकार ने मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 48 करोड़ रुपयों का ऋण देने की घोषणा की है जिससे रोजगार की और भी कमी होगी। इसलिये मजदूर सेवा निवृत्ति पर उपदान की मांग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार को मिल मालिकों को तुरन्त इस बात के लिये दबाव डालना चाहिये कि वे कम से कम बोनस और इन मांगों को स्वीकार करलें। यदि मिल मालिक इन न्याय संगत मांगों को भी स्वीकार नहीं करते तो सरकार को इस संबंध में लाचार होकर नहीं बैठना चाहिये, वरन् उपयुक्त उपाय करना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने बदली श्रमिकों, उपदान और बोनस के बारे में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर चुका हूं। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करते रहेंगे तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस उद्योग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का भी प्रयत्न करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Reports of Cardamom and Rubber Boards and Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1970

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): Sir, I beg to lay on the Table of the House :

(1) A copy of the Annual Report on the working of the Cardamom Board for the year 1969-70. **[Placed in Library. See No. L.T. 4511/70]**

(2) A copy of the Annual Report on the activities of the Rubber Board for the year 1968-69. **[Placed in Library See No. L.T. 4512/70]**

(3) A copy of the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 3124 in Gazette of India dated the 19th September, 1970, issued under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947. [**Placed in Library. See No. L.T. 4513/70**]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में।
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि सदन का उपयोग हमारे विरुद्ध आरोप लगाने में किया जा रहा है। 26 नवम्बर को जब दोहरे मतदान के विषय में नियम समिति की रिपोर्ट सदन के समक्ष थी तो श्री रणधीर सिंह ने कहा था कि "उसमें पांच का जिक्र क्यों नहीं किया गया, एक का जिक्र किसलिये किया गया, इसलिये कि एक

रूलिंग पार्टी का है और बाकी उधर के हैं...श्री हुकुम चन्द कछवाय ने कहा था कि "पांचों उधर के हैं" श्री कमल नयन बजाज ने कहा था कि "अगर चार हमारे हैं तो हमारे ऊपर इन्क्वायरी कराइये ।"

20 नवम्बर के 'इंडियन एक्सप्रेस' में कहा गया था कि "सत्तारूढ़ कांग्रेस के श्री रणधीर सिंह ने कहा कि जिन पांच सदस्यों ने विधेयक पर दो बार मतदान किया था, उनमें चार विपक्षी कांग्रेस के हैं और एक सत्तारूढ़ कांग्रेस का है" समाचार पत्रों में समाचारों का प्रकाशन इस प्रकार किया जा रहा है । यह सब हमें बदनाम करने के लिये किया जा रहा है । उसी दिन के "इण्डियन एक्सप्रेस" के पृष्ठ 4 में लिखा गया था कि "विदेशी मुद्रा के गिरोह में देसाई का पुत्र शामिल है ।" यह दल के अध्यक्ष पर, दल पर और दल की नैतिकता पर खुला हमला है । श्री कान्ति देसाई का जिक्र सदन में क्यों किया जाता है ? मेरा निवेदन यह है कि यह सदन का अपमान है । इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि सम्बद्ध लोगों को उन पर लगाये गए आरोपों को निराधार सिद्ध करने के लिए अवसर मिले ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुझसे यह बात कही थी और उन्होंने अब यह बात सदन में उठाई है । जब माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह ने सदन में वक्तव्य दिया । नियम समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई थी । चर्चा के दौरान श्री कमल नयन बजाज ने उसके बदले में कुछ कहा था । अब देखने की बात यह है कि माननीय सदस्य के वक्तव्य का गलत प्रकाशन किया गया है या नहीं । कभी कभी समाचार पत्रों में किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है और किसी बात को कम महत्व देकर कहा जाता है । यह उनकी अपनी नीति के अनुसार है । इसमें हम कुछ नहीं कर सकते । फिर इस खास मामले को मैंने उक्त समाचार पत्र को भेज दिया और सचिव द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि उन्होंने खेद प्रकट किया है । मेरे विचार से मामला यहीं समाप्त होता है ।

श्री फ० गो० सेन : यह सदन की प्रतिष्ठा का मामला है । वे ऐसा क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते ।

श्री फ० गो० सेन : जानबूझ कर उन लोगों ने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है । सदन में जो कुछ होता है, उसके लिए वे या तो आप से परामर्श ले सकते हैं या कार्यवाही देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र ने खेद प्रकट किया है । उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें विशेषाधिकार का कोई सवाल नहीं है । यह बिलकुल स्पष्ट है ।

श्री फ० गो० सेन : केवल खेद प्रकट करना काफी नहीं है । उन्होंने कहा कि पी० टी० आई० ने उक्त समाचार को परिचालित किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अपनी राय में खेद प्रकट करना काफी है, जहां तक दूसरे मामले का संबंध है, मैं इसके बारे में कुछ करूंगा और श्री देसाई को इसकी सूचना दूंगा ।

नियम समिति
RULES COMMITTEE

पांचवां प्रतिवेदन

श्री गा० शं० मिश्र : (छिन्दवाड़ा) श्रीमान्, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप-नियम के अन्तर्गत नियम समिति का पांचवां प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम इस प्रतिवेदन में कुछ संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) हमारा भी विचार इसमें संशोधन प्रस्तुत करने का है।

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन पेश कर सकते हैं। यह नियमानुकूल है।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य" संचालन संबंधी के नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य सभा 7 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 9 नवम्बर, 1970 को पास किये गए कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक 1970 से किसी संशोधन के बिना सहमत हुई है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य" संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य-सभा 7 दिसम्बर 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 1970 को पास किये गए विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1970 से किसी संशोधन के बिना सहमत हुई है।"

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति गठित की जाये जो 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति' कहलाये, जिसमें 30 सदस्य हों—20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से—जो एकत्र संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित किये जायें और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचित हो जाने के उपरान्त मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा :

(2) कि समिति के कृत्य ये होंगे :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा दोनों सभाओं को यह प्रतिवेदन देना कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधीन विषयों के बारे में संघ सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये ;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(तीन) अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन (सरकारी उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्ध-शासी निकायों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना ;

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(पांच) संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर सामान्य विचार करना तथा दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(छः) ऐसे विषयों की जांच करना जो समिति को ठीक लगे या सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसको विशिष्ट रूप से सौंपे जायें ।

(3) कि समिति के सदस्य समिति में निर्वाचित होने के तारीख से वर्तमान लोक सभा की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(4) कि समिति की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

(6) कि यह राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सदस्यों में से इस समिति के लिए निर्वाचित दस सदस्यों के नाम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस सभा को बताये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आशा है कि सरकार जिस प्रकार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जैसी वित्तीय समितियों की सिफारिशों पर विचार करती है, वैसे ही इस समिति की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। हम बहुत पहले से ही यह शिकायत करते आए हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्टों पर और इन पर हमारे भाषणों पर सरकार ने उचित ढंग से विचार नहीं किया है। सरकारी उपक्रमों में उच्च वेतन वाले एवं कम वेतन वाले कई पद हैं। उन पदों पर नियुक्ति करने के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। दुर्भाग्यवश, सरकार सदन की इच्छा की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाई है।

अब मैं आशा करता हूं कि यह समिति संबद्ध मामलों पर विस्तार से विचार कर सकेगी और सरकार उसकी सिफारिशों पर उचित ध्यान देगी। आशा है कि सरकार अन्य वित्तीय समितियों को जो अधिकार देती है, वे इस समिति को भी देगी। इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सदन की ओर से मैं श्री रंगा का समर्थन करता हूं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : इस समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। समिति ने लगभग 11 रिपोर्टें पेश कर दी हैं। माननीय सदस्य श्री रंगा इससे अनभिज्ञ हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों में अधिक दिलचस्पी लें। वे समिति की रिपोर्टें पढ़ें और उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रयत्न करें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना समर्थन वापिस लेता हूं क्योंकि मुझे कभी यह नहीं मालूम था कि मैं एक अनभिज्ञ व्यक्ति का समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति गठित की जाए जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति कहलाये, जिसमें 30 सदस्य हों—20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से—जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित किए जाएं और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा ;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचित हो जाने के उपरांत मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा :

(2) कि समिति के कृत्य ये होंगे :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा दोनों सभाओं को यह प्रतिवेदन देना कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधीन विषयों के बारे में संघ सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए ;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(तीन) अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, संघ सरकार के नियंत्रणाधीन (सरकारी उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्ध-शासी निकायों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना ;

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(पांच) संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर सामान्य विचार करना तथा दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(छः) ऐसे विषयों की जांच करना जो समिति को ठीक लगें या सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसको विशिष्ट रूप से सौंपे जाएं ।

(3) कि समिति के सदस्य समिति में निर्वाचित होने की तारीख से वर्तमान लोक सभा की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(4) कि समिति की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति दस होगी ;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सदस्यों में से इस समिति के लिए निर्वाचित दस सदस्यों के नाम जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस सभा को बताइए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAY) 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

अध्यक्ष महोदय : श्री जि० मो० बिस्वास मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे । अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सदन को दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित करते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[**श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुईं**
Shrimati Sushila Rohatgi in the Chair]

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मैं भारत सेवक समाज के संबंध में कह रहा था । मैंने श्री नन्दाजी से भी बात की और उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला उनके ध्यान में लाया जाएगा, तो वह अवश्य उस पर विचार करेंगे । माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं सदन का ध्यान स्वामी हरिनारायण नन्दाजी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो भारत सेवक समाज बिहार के अध्यक्ष हैं और उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा जो भी संविदा दी जाती है, उक्त स्वामीजी के आशीर्वाद से दी जाती है । रेलवे के विश्राम गृह का उपयोग, जैसा कि आप जानते हैं, केवल रेलवे अधिकारी ही कर सकते हैं । मगर जब भी यह स्वामी कटिहार का दौरा करते हैं, उन्हें विश्राम गृह में रेलवे अधिकारियों के अतिथि के तौर पर रहने दिया जाता है ।

कटिहार में 'हिन्दुस्तान केटरिंग को-ओपरेटीव सोसाइटी' नाम से एक संस्था है जिसके अध्यक्ष श्री सचदेव नारायण सिंह हैं । वह कटिहार के भारत सेवक समाज के संयोजक हैं । बिहार सरकार तथा रेलवे ने इस सहकारी संस्था को एक मुश्त राशि दी, मगर ऐसी कोई संस्था असल में नहीं है । बड़े पैमाने पर संविदा कार्य इस संस्था को दिये गए हैं । कोई भी लेखा-परीक्षक नहीं जानता कि उक्त सोसाइटी कहां स्थित हैं ।

एक अन्य कम्पनी जिसे भारत सेवक समाज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वह मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी है । इस कम्पनी को सभी संविदा कार्य सौंप दिए गए हैं और एस० आर० मारवाड़ी एन्ड कम्पनी, एम० लाल एंड कम्पनी, नाथ एंड कम्पनी, कटिहार वेन्डिग कोआपरेटिव सोसाइटी कटिहार लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी आदि जाली कम्पनियों के नाम से अधिकांश निर्माण कार्य चला रहा है । इससे सिद्ध होता है कि भारत सेवक समाज के आशीर्वाद से रेलवे में किस प्रकार गिरोह चल रहे हैं ।

आशा है कि माननीय मंत्री इस संबंध में जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को कड़ा दंड देंगे ।

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : हो सकता है इन बातों में जरा भी सच्चाई न हो ।

श्री जि० मो० बिस्वास : बर्खास्त किये गये अस्थायी कर्मचारियों के मामले में उस अवधि को, जब वे बर्खास्त रहे छूट-दिवस माना गया है, जबकि स्थायी कर्मचारियों को, जिन्हें निलंबित किया गया था, निर्वाह भत्ता के रूप में अपने वेतन का आधा हिस्सा दिया गया है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर विचार करें और अस्थायी कर्मचारियों को भी वेतन का भुगतान कराने की व्यवस्था करें ।

उत्तर प्रदेश के रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि उन सब को काम पर पुनः लगाया जाएगा । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें काम पर पुनः लगाया जाए । मार्टिन लाइट रेलवे को सरकार जब अपने हाथ में लेगी तो 5000 से 6000 तक कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना न पड़े, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । सहारनपुर लाइट रेलवे के संबंध में, जो बात एक माननीय सदस्य ने कही माननीय मंत्री महोदय उस पर ध्यान दें पुरुलिया-कोटशीला नैरो-गेज रेलवे के संबंध में रेलवे अधिकारियों तथा श्री नंदाजी ने कहा था कि इसको बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य हो रहे हैं । परंतु, अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ । मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें ।

1963 में लिलुआ वर्कशाप में तालाबंदी हुई । उच्च न्यायालय ने हाल में अपने निर्णय में कहा कि तालाबंदी अवैध है और कर्मचारियों को वेतन दिया जाना चाहिए । मुझे पता चला है कि रेलवे विभाग इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रहा है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार का प्रतिशोधपूर्ण कार्य न किया जाए ।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्री द्वारा रेलवे विभाग के कर्तव्यों के संबंध में जो ग्यारह सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसे पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया । कार्यक्रम की मद संख्या 7 में कहा गया है कि रेलवे के कुछ चुने हुए भागों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक सहकारी संस्था बनाने की मांग की जाएगी । इस व्यवस्था के परिणामों को देखकर उसका विस्तार किया जाएगा । वर्तमान ठेकेदारों से भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिए कहा जाएगा । जो लोग इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । विभागीय भोजन व्यवस्था के संबंध में भी कुछ कार्य विचाराधीन है ।

माननीय रेलवे मंत्री ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कहा था कि "रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद, मुझे वर्ष 1970-71 का रेलवे बजट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । यह बड़े दुख की बात है कि रेलवे गत छः वर्षों से निरंतर रूप से घाटे में चल रहा है । गत चार वर्षों से प्रतिवर्ष 36 करोड़ रुपए की औसत हानि हो रही है ।" यह क्यों हुआ ?

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ? इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्यारह सूत्री कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर रेलवे मंत्रालय को विचार करना चाहिये ।

रेल गाड़ियां विलंब से क्यों पहुंचती हैं ? जंजीर खींचना काफी हद तक इस का कारण बताया जा सकता है । परंतु श्रमिक संघों तथा अन्य निकायों की गतिविधियों के कारण भी रेलवे के कार्यकरण में बाधा पड़ती है । मैं रेलवे कर्मचारियों से प्रार्थना करता हूं कि वे रेलवे को सहयोग दें । मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी कर्मचारी देश प्रेमी हैं और वे रेलवे की उचित सेवा करते हैं । यह शायद सच न होगा ।

यह बहुत आवश्यक है कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधायें दी जाएं । राजधानी एक्सप्रेस और डी-लक्स गाड़ियां फैशन के तौर पर चलाई जा रही हैं । मगर पता नहीं है कि वे मुनाफे पर चल रही हैं या नहीं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें ।

रेलवे द्वारा ईंधन की खपत में किफायत करने के सिलसिले में रेलवे सुरक्षा दल कोयला वगैरह की चोरी को रोकने के लिए 1 मई, 1970 से कड़ी कार्यवाही कर रहा है । 1 मई, 1970 से लेकर 8 अगस्त, 1970 तक 4,123 छापे मारे गए और 2,51,860 किलोग्राम कोयला पकड़ा गया । इस संबंध में 3,597 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । यह स्पष्ट है कि रेलवे मंत्रालय इस मामले की ओर बहुत ध्यान दे रहा है ।

इस वर्ष, आसनसोल में मालडिब्बों से पीतल बेयरिंग की चोरी करनेवाले एक गिरोह को पकड़ा गया । यह इस सिलसिले में इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटना थी । इसके परिणामस्वरूप लगभग 3 लाख रुपये मूल्य के पीतल बेयरिंग, ऊपर से खींचे जाने वाले तार और मोटर के टायर बरामद किये गए । गिरोहियों द्वारा चोरी के माल को ले जाने के लिए जिस मोटर ट्रक का उपयोग किया जाता था । उसको भी पकड़ा गया ।

श्री बिस्वास ने भारत सेवक समाज की आलोचना की । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक सामाजिक संगठन नहीं है । हमारा देश स्वतंत्र है । यहां सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है । इस सिद्धांत पर मेरा कोई विश्वास नहीं है कि किसी मंत्रालय में कुछ एकाधिकारी हितों को बढ़ावा मिले । जब से वर्तमान रेलवे मंत्री ने कार्यभार संभाला वे व्यय को कम करने के लिए और तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाए । अगर सरकार यह नहीं करती है, तो कम से कम उसमें चल रहे भ्रष्टाचारों की जांच कराई जाए । इस संगठन में काफी परिवर्तन किये जाने चाहिए । मुझे विश्वास है कि माननीय रेलवे मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : रेलवे में घाटे का बजट तथा अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करना साधारण बात हो गई है। नौकरशाही तथा व्यवसाय दो अलग-अलग बातें हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यदि कोई उपक्रम लाभ दिखाता है तो अन्य उपक्रम घाटा दिखाते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि समूचे रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि होती है। रेलवे सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने से इस बात में अपवाद नहीं है।

रेलवे एक एकाधिकारी उपक्रम है। इस समय उसको यात्री किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरे, वे निर्विरोध भारत की संचित निधि से धन प्राप्त कर सकते हैं। इन दो कारणों से रेलवे की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो गया है। यदि वस्तुतः हम रेलवे में सुधार चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि इसमें नियोजित 3200 करोड़ रुपयों को अन्तिम माना जाये तथा उनको कहा जाये कि वे इसी धन में से अपना कार्य चलायें तथा उनको और एक पैसा नहीं मिलेगा। इससे वे अपने दायित्व के प्रति सजग हो सकेंगे।

माल यातायात का 70 प्रतिशत डीजल से चलने वाली मालगाड़ियों में ले जाया जाता है परन्तु हम कोयले के बिल का भुगतान पहले के समान कर रहे हैं। कोयले के बिल का भुगतान कम से कम 50 प्रतिशत कम होना चाहिए परन्तु ऐसी बात नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त रेलवे को चलन-समय काफी अधिक दिया हुआ है। मैं जब भी नागपुर जाता हूं तो मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि दो या तीन स्थानों पर रेलगाड़ी 20 मिनट तक रुकती है क्योंकि उससे पहले रेलगाड़ी पहुंची हुई होती है। इस चलन-समय को बिना किसी खतरे से एक घंटा या डेढ़ घंटा कम किया जा सकता है, रेलवे के संयुक्त निदेशकों के साथ यात्रा करने के दौरान मैंनें उन पर दबाव भी डाला था कि इस चलन-समय को कम किया जाये ताकि कोयला तथा बिजली के व्यय में मितव्ययिता लाई जा सके। जब तक रेलवे अपना कार्य व्यवसायिक दृष्टि से नहीं करती है तब तक किसी भी स्थिति में लाभ मिलना असम्भव है। आपको समूची स्थिति की जांच करनी पड़ेगी तथा कोयला बिल और डीजल बिल में मितव्ययिता लानी होगी, यह एक ऐसा मार्ग है जिससे आप निश्चय ही आर्थिक लाभ कमा सकेंगे।

रेलवे मंत्रालय को देखने से पता चलता है कि इसमें ऊंचे पद अधिक संख्या में हैं। यहां भी मितव्ययिता की आवश्यकता है। कर्मचारियों को हटाने तथा श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों के पदों को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देकर यहां मितव्ययिता लायें।

मैं इस संबंध में एक उदाहरण दे सकता हूं। मध्य रेलवे कई वर्षों तक एक जोन रहा। मैं इस बात को नहीं समझ सका हूं कि मध्य रेलवे में से दूसरा जोन क्यों बनाया गया है जिसका नाम दक्षिण मध्य रेलवे रखा गया है। मैं कह नहीं सकता कि यह जोन किसी महा प्रबंधक तथा उसके प्रिय सहयोगियों के लिए बनाया गया है अन्यथा इसका बनाया जाना निरर्थक है। यदि आप व्यावासायिक रूप से चलना चाहते हैं तो इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा तथा यह निर्णय करना पड़ेगा कि किस प्रकार इसमें मितव्ययिता लाई जा सकती है। रेलवे मंत्रालय यह समझता है कि वह भारत की संचित निधि में से धन ले सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें नियोजित धन को अन्तिम माना जाये जिससे वे सावधान हो जायें।

रेलवे में क्षतिपूर्ति की राशि बहुत अधिक है। मैं नहीं जानता कि रेलवे को इस बात से भय है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध लापरवाही बरतने के कारण की गई कार्यवाही से हड़ताल हो सकती है। मैंने रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के मामले कम देखे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमें क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। हम 10 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देते हैं जो कि बहुत अधिक राशि है। आप इस समूचे मामलों की जड़ में क्यों नहीं जाते ताकि दोषी व उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये ? आपको इस बात से भय नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही से हड़ताल आदि हो सकती है। वार्धा होते हुए मद्रास से दिल्ली जो रेलगाड़ियां जाती हैं, वहां इंजन को एक दिशा से दूसरी दिशा के लिए बदलना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक योजना पर धन व्यय किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको छोड़ दिया गया है तथा कुछ का कहना है कि इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि जब आपकी इसमें रुचि नहीं है तो इसमें इतना धन व्यय क्यों किया जा रहा है।

ऐसा लगता है कि रेलवे के पास राजुराम-मनिकगढ़ रेलवे लाइन का निर्माण कार्य करने के लिए धन की कमी हो रही है। यह ऐसी लाइन है जो लाभप्रद है क्योंकि वहां कोई सड़क आदि नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इस पर शीघ्रता से कार्य आरम्भ किया जाये।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I contradict the points raised by Shri Koushik that Railways would have earned more if the Government had no monopoly over it. I would rather like to say that if there is monopoly in the Railway, it is in the interest of the people. We should see the Railways only in this perspective. I hold the view that Railways are a public utility service and it should be free from any commercial motive.

It is true that Railway suffers loss amounting to crores of rupees and there are complaints of corruption in this organisation. That is why our Hon. Minister has placed Eleven points programme to remove anomalies. But I am of the view that all these problems can not be tackled by the Government alone. My Hon. friends occasionally raise the issue of giving facilities to Railway employees. I am not against this. But we should also see that how far the Railway officials and employees help in the working of Railways. Today thefts in the Railway have become Common. If they want they can save the property of Railways. I strongly urge that more facilities should be given to low paid employees because they have to perform duties at odd hours. But I oppose the pay and allowances being given to high and senior officials. It is wrong to think that by controlling the Railway Ministry and Railway Board, we will be able to remove all the ills in the Railways. The Union leaders should also see that co-operation is being given to the Government to end the corruption in this organisation.

Now I will draw the attention of the Hon. Minister to some fundamental points relating to my State. Rajasthan is a big State. After independence, we had hoped that Rajasthan, having vast deposits of minerals, would be provided with Railway facilities. But except a short broad-gauge line the whole of Rajasthan is covered by metregauge lines. With the result, Rajasthan is still backward. Unless we provide the big cities like Jaipur, Udaipur, Bikaner, Jodhpur with broad-gauge lines, it will be difficult to exploit the minerals of Rajasthan. In this respect, my submission is that Udaipur-Kota Chittorgarh line should be linked by broad gauge line. The proposed plan regarding Chittor-Kota Railway line has been surveyed many times but the Railway Ministry postpone it on the pretext of being uneconomical. They should see

not from economic point of view but whether it will benefit the public or not. So Chittor-Kota broadgauge line should be extended to Udaipur. In this way it would be possible to exploit the deposits of phosphate there. The survey work should be expedited and the construction work taken in hand. I feel sorry to say that consideration of public welfare is not kept above all.

Similar arguments have been given many times in this House regarding Chetak Express. I want to remind you that Chetak Express must conform to its name. Its speed should be increased and running time may be curtailed so that it may reach Udaipur early. There are less third class compartments in it. It results in hardships to the public. The Government should see to this point.

Demands for extending facilities to Railway officials and employees are raised but Railway should see that the public get the same from them also. I am grateful to the Hon. Minister for having given priority to the third class passengers in his Eleven points programme.

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : हम अनुपूरक मांगों को पारित करने के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि रेलवे मंत्री महोदय जनता को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दें। कल मेरे मित्र श्री हिम्मतसिंहका ने बिहार में पटसन को न उठाने के परिणामस्वरूप हुए संचय का उल्लेख किया था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया में भी यही स्थिति है जिसके कारण वहां पटसन के मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

जबकि अगस्त, 1969 में पूर्णिया को 355 माल डिब्बे दिए गए थे वहां अगस्त, 1970 में केवल 174 माल डिब्बे दिये गये। इसी प्रकार रेलवे ने जहां अगस्त, 1969 में 1,58,945 रुपये अर्जित किये थे वहां अगस्त, 1970 में यह आय घटकर 79,772 रुपये रह गई, सितम्बर, 1969 में 524 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे और सितम्बर, 1970 में इनकी संख्या घट कर 322 रह गई जिससे रेलवे को आय में 83,240 रुपयों की हानि हुई। अक्तूबर, 1969 में केवल पूर्णिया को 499 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे जबकि इस वर्ष 10 अक्तूबर तक केवल 15 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे, मेरे पास अन्य आंकड़े नहीं हैं। इससे समूचा पटसन का व्यापार अवरुद्ध पड़ा है। पटसन के व्यापारियों द्वारा नियोजित पूंजी निष्क्रिय पड़ी है जिसके कारण मूल्य गिरते जा रहे हैं।

पूर्णिया एक पटसन उत्पादक केन्द्र है। पटसन से विदेशी मुद्रा की आय होती है। जब पटसन के व्यापारी माल डिब्बे उपलब्ध न होने की शिकायत करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि उनको धन की अदायगी नहीं हो पाती है। इस प्रकार पटसन उत्पादक अपने माल को वापिस गांवों में नहीं ले जा पाते हैं। इससे उनको हानि उठानी पड़ती है।

मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था परन्तु वे यही कहते हैं कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार रेलवे को तथा पटसन उत्पादकों को होने वाली हानि बतायें।

उत्तरी सीमांत रेलवे के बरौनी-कटिहार सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने की बात की जाती है, यह महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। यहां सैनिक कर्मचारियों का आना-जाना बना रहता है, इस पर कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

मैं रेलवे मंत्री को पुनः कहना चाहता हूं कि साहिबगंज शकरीगली काट सैक्शन पर तीसरी श्रेणी की शयन शायिका सहित डिब्बे की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह सैक्शन उत्तरी बंगाल और बिहार की आवश्यकता पूर्ण करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शकरी-गली घाट पर तीसरी श्रेणी के डिब्बे की, जिसमें शयन-शायिका हो, व्यवस्था की जाये।

श्री नन्दा के मंत्री बनने के उपरांत आपरेशन मुगलसराय चलाने का आदेश दिया था, हमें इस बारे में पता नहीं है कि उस आपरेशन का क्या हुआ है। इसी प्रकार खान-पान के सम्बन्ध में बहुत बातें कही गई हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां के होटल मालिक सैनिक कर्मचारियों को ठगते हैं। अतएव मेरा सुझाव है कि कटिहार की विभागीय कैंटीन सैनिक अधिकार में दे देनी चाहिए।

अन्त में मेरा यह कहना है कि रेलवे बोर्ड के एक निदेश के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को दक्षिण पूर्व रेलवे में खपाया जा रहा है। ऐसा करने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वे उनके मामलों पर विचार करे।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय को 36,15,40,000 रुपयों की मांग करने के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि वेतन आयोग ने पहले ही उनके ऊपर यह भार डाल दिया है। रेलवे पर इससे और भार बढ़ गया है।

कर्मचारियों को दी जाने वाली राहत, बोनस या मंहगाई भत्ता देने की प्रक्रिया के बारे में मेरा यह कहना है कि अधिक वेतन पाने वाले को अधिक राहत दी जाती है और कम वेतन पाने वाले को कम राहत दी जाती है। हम समाजवादी राष्ट्र के नागरिक होने का दावा करते हैं तथा इन अन्तरों को कम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आयोगों तथा समितियों के सदस्य निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि इन आयोगों तथा समितियों में वे व्यक्ति भी पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व पा सकें जो कि वास्तव में राहत पाने के अधिकारी हैं, यदि ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिल सकें तो मेरे विचार में आयोग अथवा समिति के विचार तथा दृष्टिकोण में बहुत सीमा तक परिवर्तन आ सकता है।

अब मैं रेलवे में मितव्ययिता लाने के बारे में चर्चा करूंगा। मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कोयले की खपत में 10 प्रतिशत तक मितव्ययिता की है। रेलवे बोर्ड यह अनुभव करता है कि इस दिशा में कुछ नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह उपलब्धि प्रशंसनीय है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का अभियान सभी डिवीजनों तथा जोनों के प्रत्येक क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नियमित रिपोर्टें भी मंगायी जानी चाहिए तथा उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या मितव्ययिता की गई है और चोरियों तथा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, यदि रेलवे बोर्ड प्रत्येक डिवीजन से ऐसी रिपोर्ट मांगेगा तो इससे कार्यक्षमता बढ़ाने तथा मितव्ययिता को लाने में सहायता मिलेगी।

रेलवे बोर्ड को यह समझ लेना चाहिए कि वे अपने भत्ते तथा अन्य सुख सुविधा पाने के तभी अधिकारी होंगे, जब वे रेलवे को एक कार्यक्षेत्र तथा संतुलित उपक्रम बना देते हैं, उन्हें यात्रियों को सभी आराम तथा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

मैं बी० एल० आर० रेलवे को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के बारे में भी कहना चाहता हूं। अलाभकारी ब्रांच लाइन समिति ने इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की थी पर इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है। मेरा रेलवे मंत्री को कहना है कि वे इसके लिए अलग धन की व्यवस्था करें।

खान-पान की व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय खान-पान सम्बन्धी व्यवस्था का भार किसी सामाजिक संगठन को देने की सोच रहे हैं, इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि यदि यह कार्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों और समाज के निर्बल वर्ग को दिया जाये तो वह ठीक रहेगा।

अन्त में मेरा यह कहना है कि लटूर और लटूर रोड स्टेशनों के बीच 20 मील छोटी लाइन नहीं है, अतएव इन दो स्टेशनों को रेलवे लाइन से मिलाया जाये।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : We are getting our replies from the Hon. Railway Minister since he took over his office. Shri Nanda is a very laborious person and he is engaged in the improvement of Railways.

Now I want to draw the attention of the Hon. Minister to a branch line. A basti named Manshi is located near a Railway station. Its market is situated across the Railway Line. There is no road and the Railway crossing is one mile away from it. The people of the village have to visit the Market and they have to face great difficulties. He said that his officer had told that Railway was prepared to bear half expenditure provided the Bihar Government gave sanction for the construction of an over bridge there. But the Bihar Government have no time to think over this. So my request is that at least a Railway crossing and a gateman may be provided there. It will remove the hardships of the villagers to a great extent.

An Express train may be provided from Manshi to Katihar. If this is not possible then such a train may be provided upto Purnia. If this is also not possible then it may be provided upto Budhema Station. Budhema Station is a important place. It has a middle school, girls school and there is a big centre of Jute. A waiting room may also be provided at Budhema Station. In the end, I would urge the Hon. Minister to take some drastic steps and put an end to first class, second class and third class system on the Railway.

Shri V. B. Tarodekar (Nanded) : Sir, I thank the Hon. Minister for Railways Shri Nanda, for presenting the eleven-point programme before the House to remove the difficulties experienced on the Railways. Now I want to place my difficulties before him.

I represent Marathwada area in Maharashtra. It is a well known fact that in 1956 this area was merged in Maharashtra and prior to 1956 it was a part of Hyderabad. At the time of this merger it was agreed to that the heavy amount deposited in favour of the Nizam Railways would be invested in the expension of Railway Lines in that area. But it is a matter of great concern that the same agreement has not been implemented so far. People of Marathwada have been demanding the conversion of Kachigura—Manamad Metre gauge Railway Line into Broad-gauge since 1956 but no consideration has been given to this demand by the Government. An assurance was given by the former Minister of Railways before the **Marathwada Vikash Mandal** that the same railway line would be converted into broad gauge one. It was also announced by the then Railway Minister Dr. Ram Subhag Singh from All India Radio that that railway line would be

converted into broad gauge line. But it is highly regrettable that no heed has been given to this matter.

Marathwada is a backward area in Maharashtra. It was announced by the Maharashtra Government that this area would be developed by way of setting up big industries. But due to the absence of broad gauge line in that area big industrialists are not prepared to set-up their industries in that part of the country. It was, therefore, demanded by **Marathwada Vikas Mandal** that a broad-gauge line should be laid as soon as possible in order to carry fruits produced in Marathwada to Bombay so that the producers can get good returns for their products. Thus our first and foremost demand is that Marathwada should be provided with a broad gauge railway line.

It is also demanded that Manmad—Purna Railway Line should be extended upto Mudkher. The passenger train running between Manmad and Kanchigura should also be converted into a fast train. This demand pending over a period of five years should now be met by the Government.

Another platform should urgently be constructed at the Nanded railway station through which four to five trains cross. Adilabad train, which starts from Purna, should be extended upto Chandrapur which is a big district and it would also be in the interest of Vidarbh. It is also desired that the train running between Kanchigura and Khandawa be made a fast train.

It was urged upon the then Railway Minister Shri S.K. Patil that Manmad—Kanchigura railway line should be brought under the Central Railway. No kind of facilities are provided to the passengers on this line. Manamad station, a big junction is without any shed.

Similar conditions are applicable to the Manmad—Purna railway line. These railway lines are being ignored only because of the fact that they are governed by the Central—South Railway. It is, therefore, requested that they should be brought under the Central Railway. Besides, railway schools in this area are not provided any facility because of the same fact. I request the Hon. Minister that he should kindly remove all these difficulties of the people of that area as soon as possible.

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक इस्पात कारखाने की स्थापना के सलेम के निकट स्थान चुनने के सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग और यातायात के बारे में व्यापक सर्वेक्षण करने तथा तिरुनेलवेली जंक्शन के निकट रेलवे लाइन पर उपरिपुल बनाने की मंजूरी दे दी है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं सलेम इस्पात कारखाने के लिये 1.99 लाख रुपये मंजूर करने के क्या कारण हैं जबकि होस्पेट कारखाने के लिए 3.50 लाख रुपये तथा विजाग के लिये 3 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

मैं रेलवे मंत्री महोदय को इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि उन्होंने रेलवे की दयनीय आर्थिक स्थिति के बारे में विपक्षी दल के नेताओं से परामर्श किया तथा किराये भाड़े में कुछ वृद्धि करने का आग्रह किया किन्तु उन्होंने मन्त्री महोदय के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से परामर्श लेना प्रशंसनीय अवश्य है किन्तु यह प्रथा स्थाई नहीं है। अमरीका

तथा कई अन्य देशों में रेलवे की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थाई रूप से व्यवस्था है। हमारे देश में भी एक स्थाई वित्त समिति थी जो सुदृढ़ वित्तीय नीति निर्धारित करती थी। हमें अब भी किसी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। अब स्थिति यह है कि जब भी रेलवे मन्त्री की इच्छा होती है वह किराये भाड़े में वृद्धि कर देते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमें स्थायी रूप से एक टैरिफ कमीशन की स्थापना करनी चाहिए जिसका रेलवे की वित्त व्यवस्था पर अधिकार रहे।

माननीय मंत्री ने कहा कि रेलवे में जो घाटा दिखाया गया है वह सही नहीं है क्योंकि 6 प्रतिशत का लाभ सरकार को देने के पश्चात वह रकम दिखाई गई है। माननीय मन्त्री कहते हैं कि लाभांश की प्रतिशतता कम होनी चाहिए और हम भी इस बात से सहमत हैं किन्तु वह केवल लाभांश की ही बात क्यों करते हैं, उन्हें रेलवे के व्यय खाते की भी सभी मदों के बारे में कहना चाहिए जैसे कि संचालन व्यय, चालू रेलवे लाइनों सम्बन्धी भुगतान, प्रकीर्ण व्यय टूट-फूट पर व्यय और पेंशन सम्बन्धी व्यय आदि। उदाहरणार्थ, 1951-52 में टूट-फूट सम्बन्धी कार्यों के लिए 33.8 करोड़ रुपयों का विनियोजन किया गया था। किन्तु 1970-71 के बजट में यह राशि बढ़कर 100 रुपया हो गई अर्थात् इसमें लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरा अपना सुझाव यह है कि वास्तविक व्यय की राशि ही राजस्व पर भारित होनी चाहिए। इसमें रेलवे की वित्त व्यवस्था को भी कोई हानि नहीं होगी। माननीय मन्त्री का विचार योजना को कुछ वर्षो के लिए आगे बढ़ाने का है, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ खर्च में कटौती करने का है। मेरा अनुरोध है कि यह कमी नहीं होनी चाहिए अर्थात् रेलवे के 1525 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह अगले वर्ष में किराये भाड़े में भी कोई वृद्धि नहीं करेंगे।

मद्रास के स्टेशन के निकट वायु बहुत दूषित है और मेरा सुझाव है कि झन्नानागर के स्थान पर एक अन्य स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कुछ रेलें उस स्टेशन को जा सकें।

मद्रास में ही स्टेशन के निकट बकिंगम नहर है, जिसका सड़ता हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अतः मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन को भूमिगत बना दिया जाये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I am morally bound to say a few words in praise of the Hon. Minister who, despite his old age, is applying himself assiduously to his task in his Department. Now I would like to point out that the Elven-points programme enunciated by the Hon. Minister has not achieved the desired success. **(Interruption)**..No doubt, there has been noticeable improvement so far as the clearing of trains, electric fittings, reservation, drinking water etc. are concerned. But these things have not been fully attended to and much more needs to be done in this regard. Any how, I congratulate him that in his seventies he is so vigilant and effective.

Secondly, I want to point out that Railways are the national property. Being the biggest undertaking in the public sector it should be the biggest source of income for the country. Railways must be remunerative and they should yield large profits for investing the same in other

national projects otherwise it would be of no use to have this biggest undertaking under the public Sector. If all the big undertakings like Railways and other projects, do not earn profit, people would certainly lose their faith in the slogans of socialism. Therefore, I request the Hon. Minister, Shri Nanda, to see that his Department is able to spare enough funds for the development of the country.

Heavy loss is caused to the Railways by the high incidence of pilferage. I understand that he has controlled this menace to some extent but such activities must be curbed totally. Wasteful consumption of coal should also be checked. It should also be examined whether diesel locomotives will be more economical than the steam locomotives.

It is gratifying to note that the incidence of railway accidents and consequently the number of casualties also have been reduced since the Hon. Minister took charge of this Ministry. He is a God fearing man and I feel his prayers have brought down the number of railway accidents.

Now, I would like to request the Hon. Minister that the unfulfilled demand of the people of his constituency itself regarding the completion of Rohtak—Panipat Railway Line should be met as soon as possible. It will be much better if this line is laid upto Rewari but if it not possible it must at least be laid between Rohtak and Panipat. The Railway line in question has been completed upto Gohana and I request that it should be extended upto Panipat. I assure the Hon. Minister that this line can never be uneconomic. Even if the Government are not prepared to undertake this work it should be assigned to some private parties of Gohana. Sheelakheri halt on Jind-Panipat railway line should also be taken over by the Government on which people have spent their money and constructed a waiting room at that halt.

It is also desired that some work of catering be given to some persons belonging to Bharat Sewak Samaj. If he takes some interest in this regard he would certainly find several good persons in Bharat Sewak Samaj for this work.

With these words I thank you Sir, for giving me an opportunity to speak.

Shri Beni Shanker (Banka) : Sir, I understand that the present debate is on a limited subject and I will remain confined to that.

Clause 2 provides for the construction of several new railway lines in the different areas of the country. I welcome this attitude of the Government because it should be the duty of the Government believing in socialism to develop all the areas of the country.

I would like to invite the attention of the Hon. Minister to the backward areas of Santhal Pargana and Bhagalpur district. Santhal is a Tribal area and Dumka is its Headquarter. But within a radius of 40-45 miles of this area there is not a single railway line. I urge upon the Hon. Minister that the Bhagalpur—Mandar Hills Branch Line, which runs through South Bhagalpur should be linked with some main line via Santhal Paragna. It would meet the requirements of the Santhals who are still semi-civilized and highly backward.

Certain uneconomic railway lines are proposed to be closed but in the interest of the people this step should not be taken. It has been learnt that the proprietors of Hawara-Amta narrow-gauge line are thinking of closing down this line. In this context I request the Hon. Minister that he should not add to the difficulties of the people of West Bengal. Either Government should take over this line or make certain arrangements to continue this railway line.

There is an old railway station near Rohini village and the level of platform of that station is considerably low. People of that area and also Shri Shiva Chandika Prasad, M. P., have made correspondence with the Railway Minister requesting him to take necessary steps in connection with raising the level of the platform. I also request the Hon. Minister that its level should be raised in order to save the women and children from facing the difficulties.

Upper India Express is the only long distance train on Sahib Ganj Loop Line in South Bihar. No doubt, it is express by its name but its speed can only be compared with that of a bullock-cart. Besides, it is never punctual and there is heavy traffic on this line. Bhagalpur, Mokama and Sahib Ganj in Bihar are big business centres. But due to the low speed of this train it is of no use for the people of that area. Therefore, I request the Hon. Minister that steps should be taken to ensure fast speed of this train. It is also required that this train reaches Bhagalpur at 8-9 O'clock in the night and Hawara at 7-8 O'clock.

Passangers coming from North Bihar to Delhi have to face many difficulties. There is no connecting train at Lucknow and passangers have to waste their whole day there. I request the Hon. Minister that a connecting train should be made available to these passangers. I also support the demand made by my friend just now in connection with providing double line on Barauni-Katihar section.

I welcome the provision of Rs. 3590.27 lakhs for the interim relief. At the same time I feel that this amount is inadequate. In view of the abnormal rise in the prices of necessaries of life salaries paid to the employees can not be said to be adequate. I also feel that mere increase in the salaries of the employees would not be a solvent to the problem of strikes and discontentment among the workers. In this context I suggest that necessities of life should be made available to the low-paid staff at fixed prices and for that purpose Government should open fair-price shops for them.

I know that our Hon. Minister, Shri Nanda is a man of probity and good conduct. He is also interested in raising moral of the people of our country. I am also aware of the fact he is making attempts to curb pilferage but I do not think he has been successful in this regard. It is a matter of great concern that the officers and the employees of Railways do not perform their duties honestly and in a proper manner. They are in hand and gloves with bad elements. Due to these factors, goods worth carores of rupees are pilfered every year causing losses ultimately to the Railway Department. I hope the Hon. Minister will instil a sense of duty in the employees of Railway and contribute to the welfare of the country.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sir, I rise to support the supplementary demands of the Railway Ministry. I am unable to agree to the statement of Hon. Member of Swatantra Party that Railway should be run from business points of view. With this view uneconomic railway lines can not be run by the Government in the backward areas of the country.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

A senior Member of B. K. D. has stated that if the amount of Rs. 106 crores was not spent on the employees the supplementary demands would have been avoided. But may I know from him whether these employees are not the citizens of India and whether the expenditure incurred on them will cause adverse effect on the economy of the country ?

From my point of view they have not been fully compensated. The amount of Rs. 15 to 45 per employee is not adequate and Rs. 45 should have been given to the low-paid employees.

Sir, the main grouse of Shri Viswas is against the allotment of catering service to Bharat Sewak Samaj. When corruption prevails in every corner of the country why should he be so much against a particular organisation. Besides, action can also be taken against it if it is found guilty of any kind of irregularity or such other activities. (**Interruption**). I think no personal remarks should be made on the floor of the House and these demands should not be criticised in the name of a particular person.

The result of the 11 point programme made by the Hon. Minister can not be predicted at this stage. But it is true that he has conducted surprise visits at several station and examined their platforms, latrines etc. He has given new directions to the officers. It can not be said that he will be able to eradicate corruption altogether from the Railway Department but to some extent he has been successful in bringing down the number of cases of pilferage and other unlawful activities. He has awakened the officers and gave them a new guidance. (**Interruptions**).

Sir, the area of Eastern Uttar Pradesh has been ignored. No improvement has been made in Railways there. No train has been made available from Delhi to Banaras via Faizabad and Lucknow. The Delux train does not stop at Buxar. Railway lines between Banaras and Chhapra, and Chhapra and Shahganj are the most ignored lines. We have repeatedly requested the Government in this regard but no heed has been paid to any of our requests. I would also like to invite the attention of the Hon. Minister to the difficulties and inconvenience faced by the common people of this area and the military personnel coming on leave from NEFA to their villages and request him to take keen interest in the improvement of the Railway system in this area. The population of this area has increased four times but the number of trains remains the same. The Hon. Minister may kindly see into it.

Instructions were issued by the Hon. Minister regarding the employees of Electric Department of Allahabad and the officers were asked to reinstate all those employees who participated in the **Satyagrah** or who were sent to Jails. But I am sorry to say that those instructions have not been implemented by the officers as yet. Similarly orders contained in a circular regarding the confirmation of Hindi Teachers issued by Railway Board are not being implemented by the officers. I request the Hon. Minister to ensure proper implementation of such orders.

My third point is that at least one of three trains, Tufan, Assam and Kalka Mail should be run through Banaras via Chhapra, Ballia and Azamgarh....(**Interruptions**)

In the end I would like to urge upon the officers of the Railway Department that they should change their out look so far as the casual labour, the weaker section of the Department is concerned. They have not been given any promotion even after completing five-years service, nor have they been confirmed. Most of them are Harijans and economically backward. They should be given incentives.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): Mistakes in keeping accounts pointed out by an Hon. D.M.K. member should be examined by a Parliamentary enquiry committee.

Interim relief given to the employees was their right. But it has been said that due to that Railway has been put to a big loss. But this is not the fact. Losses are attributable to the top heavy administration. It has got so many departments and every department zone etc. has got Zonal Officers, General Managers and other officers. Even the member of the Parliament do not get any reply to their suggestions. The reason for this is groupism.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : ****

Shri Mohammad Ismail : These officers misbehave with the public while employees are made the scape-goats.

It is said in the 70th Report of the Etimates Committee that all the employees who have rendered 5 to 10 years of service will be given one post or the other. But despite this observation about 700 people in Bengal have been retrenched.

There is the question of light railway. It is said that some stations of Light Railway will be wound up. By this the public of that area will be put to great difficulty.

The Minister should make a statement regarding the absorption of the employees who have served the railways for more than 240 days. Will they be given alternative jobs or not ?

In my constituency a large number of refugees live but there is no station there. I have requested many times for the same. But nothing has been done. No attention was paid to my request and I did not get any reply either.

Shri Baswant (Bhiwandi) : Government should atonce take up the work of Diva Basin line. A Big amount has already been spent on the preliminary survey.

Efforts should be made to improve the third class travelling in the Bombay suburban trains.

Whenever it is asked to increase the number of trains only two or three short distance rains are added. These are only intermediate lines.

Some solid steps should be taken to improve the situation in the railway. Mere speeches cannot achieve anything.

A foot over-bridge should be constructed at Virar (Western Railway) which is the terminus of local trains. This will facilitate the 20 thousand population of that city and it will also fulfil the long outstanding demand of the public.

During peak hours more booking windows should be opened at the stations of the suburban trains. It will also help in bringing down the incidence of ticketless travelling.

Railway has made Dadar the terminus for certain trains, and they do not go upto Bombay Central. As such the passengers have to face great difficulties in catching certain trains which do not touch Dadar. Passengers have to go to Bombay Central for the connecting trains.

Only two express trains stop at Virar. This causes a great difficulty to the public. They first have to go to Borinali and they again come back to Virar.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : I oppose the supplementary demands for Grants regarding Railways because nothing has been said about the casual labourers. They are deliberately kept temporary even after working for 8 to 10 years.

Secondly because railway is running in loss when the road transport is earning huge profits. They should organise competitive examinations for the appointment of first class officers and zonal managers, and only those people should be appointed who are in a position to give beneficial schemes

The attitude of the Railway Ministry is not national. Even up to this date they have done nothing to convert the narrow gauge line from Lucknow to Assam into broad gauge line. It should be done immediately from strategic and development point of view.

Nothing has been done to restart the S. S. Railway. Government should restart it.

The recommendations of Perumal Committee are not being implemented in the right earnest. Previously there was provision Scheduled Castes and Tribes but now we see that partiality is

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
*Expunged as order by Chair.

observed in connection with these communities. There is no justification in following the recommendations of Perumal Committee. You are not accepting the recommendations because the officers do not want it and they are having their own way. Suggestions from the employees of all catagories should be invited. This will also stop theft and corruptions on the railways. These days the talented employees or persons do not get chance under the present set up. No scheme can be helpful in improving the situation under the present circumstances.

श्री वेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : वास्तविक तथ्य यह है कि रेलवे का विकास देश में समान रूप से नहीं हुआ है । इस लिये रेलवे ही नहीं पूर्ण यातायात व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये फिर चाहे वह सड़क यातायात तथा जल यातायात क्यों न हो ।

उदाहरणस्वरूप मेरे राज्य आसाम में रेलवे के विकास की नितान्त उपेक्षा की गई है । नहर यातायात जो विभाजन से पहले यहां विद्यमान है, वह भी लुप्त हो गया है तथा उसके पुनरुत्थान की बात पिछले 20 साल से खटाई में पड़ी है । आसाम में रेलवे और सड़क यातायात के सम्बन्ध को कभी भी सही ढंग से नहीं रखा गया और इस कारण दोनों में प्रतियोगिता चलती रहती है । जिससे रेलवे को हानि होती है । अतः मेरा यह सुझाव है कि आसाम की रेल व्यवस्था को शेष देश से भिन्न रूप में लिया जाना चाहिये ।

ब्रिटिश काल में केवल चाय बागानों को ही रेलवे लाइनों से जोड़ा गया था । इस कारण गोहाटी और डिब्रूगढ़ को छोड़कर अन्य कोई नगर रेलवे से जुड़ा नहीं था । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस प्रकार रेलवे लाइन बनाए जिसके आसाम के नगर रेलवे लाइनों से जुड़ जाएं ।

नागा उपद्रव के कारण गाड़ियों का रात में चलना बन्द कर दिया गया था । इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये । जोरहाट और गोहाटी के बीच की 200 मील की दूरी में 17 घन्टे लगते हैं, वहां तेज गाड़ियां चलाई जानी चाहिये । आसाम के कुछ जंक्शनों से शटल गाड़ियां चलाई जानी चाहिये, इससे यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी ।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : The trains these days are not running to schedule.

The officers in the Railway Board have been sticking to their place for the last 15 years while under the code of conduct of the Railway they cannot stay at a place for more than 3 years. They should be immediately transferred. This shows that the fault is with the Railway Board itself. This should be abolished otherwise the present corruption in the railways cannot be stopped.

This Government gives the slogan of socialism, but while giving interim relief they have given only 15 rupees to the people who keep the wheels of the railway moving and Rupees 45 to the person who sits in air-conditioned room of Railway Board. This is totally against the concept of socialism.

The catering arrangement on the railways is not satisfactory, passengers do not get good food, they are served rotten things. In this connection there was a case of Katihar. But nothing was done in this since 1966. A C. B. I. enquiry should be conducted into it.

The employees of the closed S. S. Railway have not got their gratuity so far. They were promised that, but now the promise is not being fulfilled,

Due to the conspiracy of the Railway Board officers and Jute mill owners, the growers were not able to get empty wagons for sending their jute and as such they have to sell their produce at low price to the mill owners. In this way the Jute growers of Bihar had to suffer a loss of 7 crores. Who is responsible for that, this should be enquired into.

In the end I want to say one thing more. You promised to change the Ruksatala narrow gauge line into broad gauge. That promise should be fulfilled now.

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : सभापति महोदय, इतने थोड़े से समय में ही रेलों में सुधार करने के लिये जो तीन महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, उनके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने जिस 11 सूत्रीय कार्यक्रम को आरम्भ किया था, वह क्रियान्वित हो रहा है ।

यात्रियों की कठिनाइयों पर विचार किया गया है । कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न संघों और संगठनों का सहयोग भी इस कार्य के लिए प्राप्त किया गया है । इसी के फलस्वरूप अब रेलों की सप्लाई, उनकी प्रकाश व्यवस्था तथा उनकी सेवाओं में काफी सुधार देखने को मिल रहा है ।

दूसरी ओर बैठे, मेरे कुछ माननीय मित्रों ने गाड़ियों के देर से चलने का उल्लेख किया है । उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि गाड़ियों के चलने के समय का एक बहुत बड़ा भाग केवल गाड़ियों की चेन खींचने से ही नष्ट हो जाता है । इसीलिये अब चेन खींचने के दण्ड को पांच गुना बढ़ा दिया गया है । जब तक इस प्रकार की घटनाओं में कमी नहीं होती, गाड़ियों का समय पर चलना सम्भव नहीं होगा । इससे बचने के लिये हम सभी का सहयोग अपेक्षित है । हमें आलोचना केवल आलोचना के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिये । हमें रचनात्मक आलोचना और कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए । मंत्री महोदय, सभी संसद सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक हैं थोड़े से समय में उन्होंने बहुत रचनात्मक कार्य कर दिखाया है और यदि हम उन्हें और अधिक सहयोग देते रहे तो वह बहुत कुछ करने में सफल होंगे । उन्हें इसके लिये अवसर देना चाहिए ।

इससे कर्मचारियों को भी लाभ हुआ है, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज रेलवे में भी दलगत नीति आ घुसी है । वहां बहुत से संघ स्थापित हो गये हैं जिसके फलस्वरूप मजदूर अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे रहे हैं । इसका उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर है ।

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : केवल कांग्रेस दल ही इसके लिए उत्तरदायी हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह सभा का गौरव बनाए रखें । इसी प्रकार के अनावश्यक व्यवधान के कारण ही तो रेलवे की कार्यकुशलता में अवनति होती है । किसी भी बात को समझने के लिये उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है । यदि आप रेलों की व्यवस्था की ओर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि उनमें कितना सुधार हुआ है । अकेले एक मंत्री महोदय कुछ नहीं कर सकते । इस महान कार्य

के लिये हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : श्रीमान जी, आधुनिक युग में, यातायात सम्बन्धी बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं । आज के युग में अणु रेलों की बात हो रही है। अतः आधुनिक रेलवे कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्व रेलों की गति, सुविधा और सुरक्षा का है। इसीलिये मैं अपने सरकारी बैंचों की ओर बैठे मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब रेलों के बारे में कोई चर्चा की जाती है तो उन्हें इन तीनों पहलुओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

अब तक तीव्र गति वाली कितनी नई गाड़ियां चलाई गई हैं ? जब दिल्ली-कलकत्ता "राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई थी, उस समय कहा गया था कि कई और "राजधानी एक्सप्रेसें" चलाई जाएंगी। परन्तु उनका क्या हुआ ? क्या मद्रास-दिल्ली "राजधानी एक्सप्रेस" चलाई गई ?

मैं श्री नन्दा जी को यह बताना चाहता हूं कि आज राज्य परिवहन तथा रेलवे में होड़ लगी हुई है। कई स्थान ऐसे हैं जहां रेल से जाने पर 14 घन्टे का समय लगता है और राज्य परिवहन द्वारा आठ घन्टे का, अतः अगर रेलों की गति में तीव्रता लाने के लिये कुछ नहीं किया जायेगा, तो राज्य परिवहन रेलों पर हावी हो जाएंगे । आज जो रेलों की भीड़ में कमी नहीं हो रही, तो इसका कारण यह नहीं है कि रेलवे की कार्यकुशलता अधिक है अपितु इसका कारण यह है कि औद्योगिक विकास और जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

दूसरी बात मैं रेलवे की सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हूं। उस ओर के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि नन्दा जी ने अपने अल्पकाल में ही रेलवे में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह केवल एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रियों के लिए हो, पीने वाले पानी की व्यवस्था करने में सफल हुए हैं ? क्या वह अपनी आत्मा पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि भारत की एक भी गाड़ी समय पर चल रही है ? यदि कोई भी गाड़ी समय पर नहीं चल रही तो फिर वह किस कार्य-कुशलता की बात कर रहे हैं ? आपने मजदूरों का उल्लेख किया है। आप उनकी तुलना विश्व के अन्य देशों के मजदूरों से कीजिए। आज विश्व के हर कोने का मजदूर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और कोई भी सरकार उसकी प्रगति को रोक नहीं सकती ।

मद्रास से दक्षिण की ओर कोई रेल व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी नन्दा जी को कुछ ध्यान देना चाहिए। मंगलौर से दिल्ली तक के चलने वाले कोच की दशा बहुत शोचनीय है, न उसमें बिजली है और न ही पंखे। पुराने से पुराने डिब्बे इस मार्ग पर लगाये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारियों के लिये इसी मार्ग पर विशेष सैलूनों की व्यवस्था की जाती है । आखिर ऐसा क्यों ? क्या इसी समाजवाद की आप हर समय रट लगाते रहते हैं ।

अब मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने 29 नवम्बर, 1970 को रेलवे मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसका मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया था। 6 दिसम्बर को मैंने पुन: पत्र लिखा, जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने मुझे केवल यही लिखा कि बडागरा स्टेशन पर पश्चिमी कोस्ट एक्सप्रेस को रोकने के सम्बन्ध में मुझे आप का पत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु नन्दा जी ने अपने पत्र में इतना सौजन्य भी व्यक्त नहीं किया कि कम से कम यह लिख दें कि मेरे पत्र पर विचार किया जा रहा है। किसी संसद सदस्य को इस प्रकार का उत्तर देना कहां तक उचित है ? मैं दक्षिण रेलवे से सम्बन्धित अपनी छोटी-छोटी मांगों को दोहराना चाहता हूं। प्रथम यह कि "वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस" को बडागरा रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओलवक्कोड़ डिवीजन के झेलमचेरी रेलवे स्टेशन पर छत वाला प्लेटफार्म बनाया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण ओलवक्कोड़ डिवीजन में केवल यही ऐसा स्टेशन है, जिस पर कोई प्लेटफार्म नहीं है। बडागरा रेलवे स्टेशन को सामान घर वर्षों पूर्व बनाया गया था। इसकी हालत अब बहुत खस्ता है और इसे पुनः बनाने की आवश्यकता है।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट) : मैं श्री नन्दा को उनके 11 सूत्रीय कार्यक्रम के लिये बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सहयोग देना, सभी संसद सदस्यों का कर्त्तव्य है। हर वर्ष रेलवे के बजट में लगभग 60 करोड़ का घाटा होता है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था को निश्चय ही काफी धक्का पहुंचता है अत: यह आवश्यक है कि आगामी वर्षों में रेलवे बजट का यह अभाव पूरा किया जाए। इसके लिये यह आवश्यक है कि रेलवे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़े। रेलवे कर्मचारियों को जो समयोपरि भत्ता दिया जाता है, वह कम किया जाना चाहिए क्योंकि हम न तो यात्रियों के किराये में वृद्धि कर सकते हैं और न ही यात्रा भाड़े में। अत: अधिक कार्यकुशलता से ही हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं।

रेलवे की ब्रांच लाइनें बहुत उपेक्षित हैं और उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता अपेक्षित है। इसमें सन्देह नहीं कि रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में भी कुछ कमी हुई है, परन्तु इसे पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये। इसके लिये सामाजिक संगठनों के सहयोग की भी आवश्यकता है।

माल-यातायात में काफी देर लगती है। इस देरी का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ता है। अत: रेलवे अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह माल के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में बदलने के समय जो चोरी होती है, वह बन्द होनी चाहिए। परेषक तथा परेषितियों द्वारा झूठे दावे किये जाते हैं। यह भी बन्द होना चाहिए।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि गुंटूर तथा मचरेला के मध्य जो छोटी रेलवे लाइन है, उसके परिवर्तन की आवश्यकता है। मद्रास तथा हैदराबाद में यात्रियों तथा माल के यातायात की दूरी को कम करने के लिये यह आवश्यक है कि नादीकूदरू और बेनीनगर को रेल द्वारा जोड़ दिया जाए। इससे अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा और रेलवे को भी काफी लाभ

होगा। अब नागार्जुनसागर परियोजना पूर्ण होने वाली है । इसलिये खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादनों में वृद्धि होगी। अतः इन उत्पादनों के तीव्र यातायात के लिये हैदराबाद के लिये बड़ी लाइन बनाना काफी लाभदायक सिद्ध होगा । अतः यह कार्य जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : रेलवे हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और हमें इस पर गौरव है या यों कहिये कि हमें 1966 या 1967 तक इस पर गौरव था क्योंकि हमारे राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता था। इसके बाद रेलवे का बजट सदा ही घाटे का रहा है और इस वर्ष के बजट में भी लगभग 70 करोड़ रुपये के घाटे की संभावना है।

1967 का बजट पेश करते समय भूतपूर्व रेल मंत्री श्री पूनाचा ने कहा था कि प्रशासन में मितव्ययिता कड़ाई से लाई जायेगी। कुछ समय के लिए इस नीति का अनुसरण भी किया गया। आज से दस वर्ष पूर्व जहां कर्मचारियों की संख्या 9 लाख थी, वह संख्या आज $13\frac{1}{2}$ लाख हो गई है। परन्तु कार्य कुशलता आगे से कम हो गई है। कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में दो या तीन बार हड़ताल अवश्य करते हैं। इन सभी बातों का परिणाम यह होता है कि रेलवे की अर्थ-व्यवस्था को काफी धक्का लगता है। रेलवे की इस क्षति की पूर्ति के लिए किराये बढ़ाने पड़ते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

रेलवे के बढ़ते हुये व्यय को कम करने के लिए बहुत से अन्य उपाय किये जा सकते हैं। जैसे रेल के डिब्बों का पूर्ण उपयोग करना, कोयले तथा डीजल की चोरी को रोककर, उनका मितव्ययिता से प्रयोग करना, बिना टिकट के यात्रा रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था करना, आदि आदि। सम्भवतः इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही श्री नंदा ने अपना 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। मुझे मालूम नहीं कि वह इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कहां तक सफल हुए हैं, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के बावजूद भी वह रेलवे के व्यय में कोई किफायत करने में सफल नहीं हुये।

भारतीय रेल प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष भिन्न भिन्न गेज की लाइनों का होना है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन में यानान्तरण करने के लिए बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इस पर खर्च भी अधिक होता है। अतः सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि सम्पूर्ण देश में एक ही गेज लाइन हो । इससे व्यय में कमी तथा सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार इस दिशा में जो भी नीति बनाये, उसका पूर्ण शक्ति से अनुसरण किया जाना चाहिये।

कुछ समय पूर्व कुछ अलाभकर रेलवे लाइनों, विशेषकर लूप तथा थोड़ी दूरी वाली लाइनों को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका काफी विरोध हुआ था क्योंकि इस समस्या का समाधान रेलवे लाइनों को उठाने में नहीं अपितु लाभ की दृष्टि से उनका उचित विस्तार तथा सुधार करने में है। उदाहरण के लिए यदि हौसपेत-यशवंतपुर लाइन को चितलदुर्ग लाइन से जोड़ दिया जाये, तो यह मार्ग बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इस रेलवे लाइन की मंजूरी जल्दी ही दे दी जायेगी। बंगलौर तथा केंगोरी के मध्य बहुत से इस प्रकार के रेलवे क्रासिंग हैं, जहां न तो कोई फाटक ही है और न ही कोई चौकीदार ड्यूटी पर रहता है। सम्भवत: इस प्रकार के क्रासिंग रेल के अन्य क्षेत्रों में भी होंगे। इस प्रकार के क्रासिंग ग्रामीण लोगों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। अत: इस प्रकार के क्रासिंग की सुरक्षा की ओर भी सरकार को अपेक्षित ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति महोदय : लगभग 10 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। अगर आज उन्हें इसका अवसर न दिया गया तो वह विनियोजन विधेयक की चर्चा में भाग लेना चाहिगें। मैं पांच बजे मंत्री को बुलाना चाहता हूं और आज साढ़े पांच बजे तक यह चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। इस चर्चा ने पहले ही एक घंटे का अधिक समय ले लिया है। मेरा एक विकल्प यह है कि आधे घंटे की चर्चा को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये और हम 6 बजे तक रेलवे की मांगों पर ही चर्चा करते रहें।

कुछ सदस्य : ठीक है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम सहमत हैं।

संसद-कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री पी० पार्थसारथी) : आधे घंटे की चर्चा का विषय भी तो रेलवे से सम्बन्धित है।

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन-मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं आपको समझौते के लिए एक सुझाव देता हूं। यदि आधे घन्टे की चर्चा 16 तारीख से पहले नहीं हो सकती तो वह उसके बाद तो हो सकती है। मुझे मालूम नहीं कि उस दिन के लिए कोई चर्चा निर्धारित की गई है या नहीं। खैर, उसे सुविधा के अनुसार निश्चित कर लेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : 18 तारीख को कर लीजिये परन्तु ऐसा न हो कि उसे छोड़ ही दिया जाये।

सभापति महोदय : नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके लिए हम निश्चय ही कोई अन्य तिथि निर्धारित कर देंगे। श्री जार्ज···

[**श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम्) : मंत्री महोदय ने जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उससे उनकी मांगों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। परन्तु यह 11 सूत्रीय कार्यक्रम भी 10 सूत्रीय कार्यक्रम की तरह ही असफल न हो, इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूं। मैं अपने मित्र श्री श्रीधरन की यह बात दोहराना चाहता हूं कि रेलवे प्राधिकारी यह अनुभव करते हैं मद्रास के आगे कुछ और है ही नहीं, उसके आगे लोग ही नहीं बसते। परन्तु केरल में आज भी ऐसे प्लेटफार्म देखने को मिलते हैं जिन्हें बने हुये 100 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है,

परन्तु आज भी वह बहुत अच्छी हालत में हैं। कोरारी भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। शोरनपुर और कोलोन रेलवे मार्ग पर आज भी सबसे पुराने रेल के डिब्बे देखने को मिल सकते हैं।

यदि आप चाहते हैं कि आपका 11 सूत्रीय कार्यक्रम सफल हो तो आपको बहुत संतुलित ढंग से चलना होगा। आपको केरल की ओर भी कुछ ध्यान देना होगा। श्री नंदा जी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए केरल जाते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह कृपया शोरनपुर से कोचीन के सेक्शन पर गाड़ी में सफर करके स्वंय वहां की दशा देखें।

इन अनुपूरक मांगों में भी बहुत सी बातों को भुला दिया गया हैं। एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल मार्ग को चौड़ी रेलवे लाइन में बदलने की समस्या का कोई उल्लेख उनमें नहीं किया गया। इसी तरह केरल से सम्बद्ध अन्य कई महत्वपूर्ण रेलवे आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वर्गीय श्री गोविन्द मेनन जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अंगमाली स्टेशन पर गाड़ियां अवश्य रुकनी चाहियें। कुछ देर गाड़ियां वहां रुकती भी रहीं परन्तु उनकी मृत्यु के बाद अब गाड़ियां फिर वहां नहीं रुक रहीं, यह क्या है? क्या हमने अपने कार्यक्रम में क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखा है? उस क्षेत्र के मजदूरों को, वहां के रेलवे कर्मचारियों को, मकानों की कोई सुविधा नहीं दी गई है। जब उनका आधा वेतन मकान का किराया देने में चला जाता हो तो भला उनसे हम पूर्ण कार्य की आशा किस प्रकार कर सकते हैं? अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद वर्षों से जिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनकी वेतन वृद्धि के बारे में भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे रेल मंत्री तथा रेल अधिकारी सदा यह कहते हैं कि हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गाड़ी द्वारा जा सकते हैं। परन्तु यह बहुत शर्म और दुःख की बात है कि अभी तक कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। कन्याकुमारी को रेल द्वारा जोड़ने का प्रश्न राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और रेलवे अधिकारियों को इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti): Shri Nanda has given an 11—point programme but the Railway Board does not care for it. He has acted as Prime Minister twice and as Railway Minister he is not in a position to carry out his programme. I have been pressing hard for the doubling of Guhati-Lucknow Railway line but even a survey of the line has not so far been undertaken. During the British regime we had a first class waiting room which has now been converted into a retiring room for the officers. The hotel at Lucknow is very dirty.

Basti does not have a double platform and people have to wait for hours. I have demanded an over bridge over there. But you do not have any control over your officers. We earnestly demand winding up of the Railway Board.

We claim to be progressive. When others have reached moon can we not improve our railway service. The condition of third class compartment is worse than that of the cattle-shed. If you cannot attend to these things you better retire and go to your homes and others take over Railway Administration. I know that this is my last speech of this session in this Parliament. Shortly after general elections are taking place. This Government would be thrown out and a responsible Government would take over the Administration.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या संसद् भंग होने वाली है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं नया सदस्य हूं और संसद् भंग होने का भय दिखाया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The previous speaker has said that Railway Board is responsible for all ills in the Railways and it should be scrapped. If the Railway Board is not functioning properly the Minister is incompetent. No officer should be made a scape goat. If any officer does not obey you, take action against him. Even if Railway Board is scrapped some secretary or joint secretary would take over.

Railway is the largest public section undertaking and is running in loss in spite of increase in Railway fares last year. The people would thus lose faith in public sectors.

The people of Guhati have demanded 15 thousand wagons for the export of jute and are waiting for the last many months. You would earn 2½ to 3 crores of rupees as freight charges and the income from export would be apart. When you have so many wagons surplus with you why are you not providing the wagons in sufficient numbers.

Large scale corruption is going on in the auction of scrap. I asked a question regarding survey of underground railway. If you do not do it urgently you might not be able to do it as there would be many new colonies. Nothing has been done to construct a over bridge near Safdarjang and traffic jumbles there.

Although Shri Nanda visited Railway colony at my request but nothing has been done to provide the these poor people with basic amenities.

Shri S. M. Joshi (Poona) : The Railway porters organisation had placed their grievances before you. In the Central Railway they are paid Rupees five per day but on the Western Railway they are paid Rs. 3 per day. You may not pay them pension but must give some retirement benefits.

Coach attendants have to travel long distances but they have no arrangements to halt at nights.

You have, of course, given a coach for poona but an old one has been provided and reaches in noom. If you attach it with Punjab Mail it can reach early.

The frontier Mail does not stop at Dadar which is a junction station.

Shri Ramavtar Shastri : (Patna) The departmental all India labour unions organized categorywise, are not recognised. These people have formed Indian Railway men federation and are planning a country wide agitation to get their unions recognised and also to press for their other demands. They had to resent to these steps as Railway Minister has ordered the officers **not** to accept their Memoranda. There are fifteen unions attached to the confederation covering 8 lakh railway men. They should have one union but so long as that is not done you please attend to all of them.

The union leaders should be allowed to meet the Pay Commission.

The agitation for the confirmation of electrification employees of Allahabad Division is going on for the last many years. Even a strike took place which was later celled off. The officers have said that the work is not permanent. They should be absorbed but your officers would not do that. Why dont you take action against them.

Over a hundred members of Bihar legislature have demanded the taking over of the Light Railways by the Government. This should be acceded to.

Shri Ram Dhar (Lalganj) : The Railway Minister's eleven point programme is too much in the air. It has been proposed to reduce the consumption of coal. Low grade coal is being supplied to the Railways and charge the Railway for the high grade coal. That should be stopped.

The Bharat Sewak Samaj has been discussed a lot. I was in Mughal Sarai when Shri Nanda was there. Sawami Hari Narain Nand is the Super Minister there. The Hon. Minister told that he would solve problems of the people in consultation with the M. Ps. and other representatives. The railways have spent a lot on feasting the Sadhus. That should not be done.

All M. Ps. of eastern Districts of U. P. have stated that Railway Department is ignoring their districts. No train is provided beyond Lucknow covering Ajodhya and Sahaganj. Ajodhia is being ignored. It is necessary that a train service to Varanasi via Lucknow Sahganj is extended. The trains in that area generally run late. Unless the Railway Minister himself attends to these problems, there may not be any improvement.

Shri Shinkre (Panjim) : I find that the assurances given by the Railway Ministry are being fulfilled as evidenced by the work on West Coast Railway line. It seems that survey that was to be completed in 18 months would be completed now within 9 months. It is related to the development of parts in the Arbian Sea. The development of Mergagoa port under a 28 crore rupee-scheme would help to a great extent in the development of these backward States.

At present there is only one way traffic. With the development of West Coast Railway line two way traffic would be possible there. I wish that the works may also be undertaken with same pace as its survey has been done.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनागिरि) : उक्त कार्य की कार्यन्विति में उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना उसकी योजना में लगा था ।

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Shrinagar): Before the advent of Independence Jammu was connected with the rest of the country by Railway but now it has no such link. Railways have taken 24 years to travel the distance of 12 miles from Pathankot to Govindsagar. It would take one century for the Railways to cover the remaining distance of 50 miles for reaching Kashmir. Efforts should be made to connect Jammu by Railway urgently. That would save time and money of the tourists. I congratulate Shri Nandaji for starting the work of Railway line right upto Jammu. I suggest that the speed should be maintained. The farmers whose land was taken by the Railways, should be given compensation.

श्री जो० ना० हजारिक (दिब्रूगढ़) : डिवीजनल योजनाओं के लागू होने से 500 के लगभग कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है उन्हें परिवारों सहित डिब्रूगढ़ से दूर स्थानों पर बदल दिया गया है ।

तनसुखिया को पूर्ण रूपेण डिवीजनल मुख्यालय बनाने के लिये रेलवे कर्मचारियों ने प्रतिवेदन दिया था । मैंने भी मंत्री महोदय को इस बारे में लिखा था । मेरा निवेदन है कि इस योजना को तब तक के लिये स्थगित रखे जब तक कि आसाम की राजधानी का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता । उस समय तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश स्थगित रखे जाये ।

दूसरे मुझे पता चला है कि व्यापारियों को तीन सौ वैगन दिये गये थे जिसमें से 200 एक ही फर्म के आवंटित किये गये । इस बारे में एकाधिकार समाप्त होना चाहिए ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मेरी मांगें हैं कि वैस्टरन एक्सप्रेस बम्बई जाते समय में गोधरा रुका करे, अहमदाबाद और गोधरा के मध्य तीव्र गति की गाड़ियां चलाई जायें । तीसरे लूनावाडा से मेडिसा बरास्ता मालपुर की लाइन को उदयपुर से जोड़ा जाये । चौथे वाणिज्यिक लिपिको की बीस वर्ष से बिगड़ती हुई स्थिति सुधारी जाये ।

श्री तु० मू० सेट (कच्छ) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माल-डिब्बों की कमी है । नमक उत्पादकों के अभ्यावेदन के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैंने मंत्री महोदय को गांधीधाम से लखपत बरास्ता भुज की वैकल्पिक लाइन के सर्वेक्षण के बारे में लिखा था । मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें । मैंने रेलवे प्रशासन को दिल्ली से कुन्डाला तक सीधी रेल चलाने के लिये लिखा था । मंत्री महोदय कृपया उस पर विचार करें ।

Shri Ram Charan (Khurja) : Firstly, may I know whether the railway accident that occurred at Khurja is attributable to wrong planning and secondly, the number of those belonging to scheduled castes vis-a-vis non-Scheduled Castes among the upgraded officers ?

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : केरल के संसद सदस्यों ने त्रिविंद्रम से सहोरनूर तक की रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिये लिखा था ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओलवाखोट डिवीजन से क्रिसाइट प्लांट को स्थानान्तरण करना था । अब वहां सप्ताह में तीन दिन कार्य हो रहा है और कर्मचारियों को केवल तीन दिन का वेतन मिल रहा है ।

रेलवे खान-पान विभाग के कर्मचारियों को घोर सर्दी में भी गरम वर्दी नहीं दी जाती । यदि श्री नन्दा गर्म कपड़े के बिना दिल्ली से नागपुर तक यात्रा करें तब उन्हें उन कर्मचारियों की कठिनाई मालूम होगी ।

सहोरनर से मैसूर बरास्ता लिलाम्बर सबसे छोटा मार्ग है । उस पर तथा कैनोनोर से मैसूर तक नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

मंगलोर और कननोनोर से मछली के निर्यात के लिये अधिक माल डिब्बे दिए जाने चाहिए । दिल्ली से मंगलोर में तृतीय श्रेणी के स्लीपरों की व्यवस्था की जाये ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर राज्य के रेलवे ठेकेदार अधिकारियों से मिलकर बहुत पैसा कमा रहे हैं ।

मैसूर के लोगों की, मैसूर-हरिहर, चित्रदुग-बिल्लेरी तथा मंगलोर-हसन लाइनों की मांग मानी जानी चाहिए ।

क्या अधिकारी को विशेष सैलूनों द्वारा यात्रा की सुविधाएं समाप्त होनी चाहिये । रेलवे बोर्ड को भंग कर दिया जाये ।

Shri Gunand Thakur (Saharsa): The supal Partapganj line was inaugurated but has not been completed. All the trains from Delhi be extended upto supal,

Kasi fast passenger train has only four bogies. More bogies should be attached to that train.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : इस वाद विवाद में रेलवे की कई कमियां तथा समस्याएं प्रकाश में लायी गई हैं। मेरा मत यह नहीं कि कमियां नहीं है।

सभापति महोदय : वह कल अपना भाषण जारी रखें।

भारतीय रुई निगम के बारे में चर्चा—जारी
DISCUSSION RE. COTTON CORPORATION—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में भारतीय रुई निगम की स्थापना के बारे में वैदेशिक व्यापार मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पर आगे चर्चा होगी।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम यह देखना आवश्यक है कि भारतीय रुई निगम की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। हमारे देश में बहुत से समर्थ रुई के उत्पादक है और कपास की खेती के लिये ये आधुनिकतम उपायों को अपना रहे हैं। यदि इन्हें सरकार से आवश्यक सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जाय तो ये लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन कर सकते हैं।

दूसरे हमारे देश में रुई के दक्ष व्यापारी तथा आयात कर्ता उपलब्ध हैं, इनमें आपस में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। लगभग एक शताब्दि से रुई बाजार में यह प्रतिस्पर्धा चली आ रही है अतः बहुत कम लाभ पर ये व्यापारी अपना माल बेच देते हैं।

तीसरे, देश में बहुत सी कपड़ा मिलें हैं और उनमें भी आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। आज भारतवर्ष की कपड़ा मिलें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में अपनी प्रतिष्ठा बनाये हुये हैं। मेरे विचार से सरकार रुई व्यापारियों तथा आयातकर्ताओं को ही ऋण नहीं देने चाहिये बल्कि कपड़ा मिलों को भी यह सुविधा दी जानी चाहिये क्योंकि इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिये दक्षता तथा प्रतिस्पर्धा के साथ सराहनीय कार्य किया है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रुई निगम की स्थापना का एक मात्र कारण रुई व्यापार पर सरकार का एकाधिकार स्थापित करना है इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। राज्य एकाधिकार से लाभ की बात सोचकर ऐसा किया गया है जबकि तथ्य यह है कि राज्य एकाधिकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, इसमें अनेकों कमियां हैं अतः यह हानिप्रद ही सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी एकाधिकारों के "एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रणाली अधिनियम" के अन्तर्गत नियंत्रण में रखा जा सकता है परन्तु राज्य के एकाधिकार पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

जुलाई माह में आयात व्यापार के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो विवरण दिया उसमें कहा गया है कि सरकार इस व्यापार पर तुरन्त ही राज्य एकाधिकार स्थापित करना चाहती है । इसमें यह भी कहा गया कि दो वर्ष के अन्तर्गत सरकार इस प्रकार के देशीय व्यापार पर भी एकाधिकार करना चाहती है तभी भारतीय रुई निगम को अपने कार्य में सफलता मिल सकती है ।

दो उद्देश्यों को लेकर देशीय व्यापार पर एकाधिकार करने का विचार किया गया है । पहला उद्देश्य है सामान्य प्रकार की भारतीय रुई तथा लम्बे रेशे वाली रुई के सम्बन्ध में किसानों के लाभार्थ मूल्य समर्थन नीति को कार्य रूप देना ।

इस निगम का उच्चस्तरीय ढांचा भी उल्लेखनीय है । निगम का एक अध्यक्ष होगा जिसे रुई व्यापार के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है । इसमें एक प्रबन्धकारी निदेशक तथा एक या दो अन्य निदेशक और होंगे जिन्हें इस व्यापार की थोड़ी बहुत जानकारी होगी ।

आर्थिक रूप से निगम का उद्देश्य लाभ कमाना है । 90 करोड़ रुपये के मूल्य के वैदेशिक व्यापार के लिये निगम के पास चालू पूंजी 50 लाख रुपए है । जितनी कुल पूंजी लगाई गई है कुल बिक्री उससे 180 गुनी अधिक होनी है । जब देशीय रुई व्यापार पर भी सरकारी एकाधिकार हो जायगा तब पता नहीं, बिक्री की अनुपात में प्रदत्त पूंजी कितनी कम प्रमाणित होगी । इतना मुझे अवश्य स्पष्ट है कि निगम की लाभदर, उसे ऋण आदि देने के सम्बन्ध में कोई नियंत्रण नहीं रखा जायगा । बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर ही दिया गया है वहां से निगम को उदारता पूर्वक ऋण प्राप्त होते रहेंगे ।

जब से निगम की स्थापना हुई तब से अब तक के चार महीनों में रुई निगम ने क्या कुछ किया है ? जैसा कि विचार किया गया था कि निगम फसल के बारे में निकटतम जानकारी रखेगा, तो क्या निगम को फसल की स्थिति का पता है ? बाजार में कितनी रुई आने की सम्भावना है । क्या रुई की पैदावार आवश्यकता से अधिक होगी अथवा कम ? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निगम यदि इस विषय की ओर सतर्क हुआ होता तो उसे यह पता चल जाता कि रुई के उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई है । इस स्थिति को देखकर यह विचार उठ सकता है कि यदि निगम का गठन दक्षता पूर्वक किया गया होता तभी उसमें पूर्वानुमान की क्षमता पाई जा सकती थी । रुई मिलों के संघ ने संकट आने से पहले ही इस विषय पर सोचना आरम्भ कर दिया था कि रुई के कम उत्पादन के कारण उत्पन्न संकट के विषय में क्या किया जाय ? उत्पादन में कमी की जाय या कि स्टाकों में कमी की जाय अथवा आयात बढ़ाने पर बल दिया जाय ? इन बातों पर विचार किये बिना ही रुई निगम ने आयात लगभग समाप्त ही कर दिया और आने वाली फसल की स्थिति के सम्बन्ध में निगम पूर्णतया अनभिज्ञ बना रहा ।

रुई निगम की स्थापना के तुरन्त पश्चात् ही ये परिणाम हुये हैं और अन्ततः क्या परिणाम होंगे मैं केवल इतना बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

क्योंकि यह एक एकाधिकार वादी उद्यम है अत. किसानों का शोषण निपुणता से करेगा। किसानों को उनके उत्पादन का निम्नतम मूल्य प्राप्त हो सकेगा। व्यापारियों तथा आयातकर्ताओं का भी शोषण होगा। विशेषज्ञ तथा दक्ष व्यक्तियों के एक निकाय का शोषण होगा। जब तक इस निगम को रुई व्यापार के बारे में जानकारी नहीं हो जाती तभी तक यह व्यापारियों के साथ सहयोग से कार्य करेगा उसके पश्चात् रुई व्यापारियों, आयातकर्ताओं के उन सभी कार्यों को समाप्त कर दिया जायगा जिनसे देश के कपड़ा उद्योग तथा किसानों की लगभग एक शताब्दि तक सेवा की है। मिलों द्वारा तैयार कपड़े को अधिकतम मूल्य पर बेचकर जनता का शोषण किया जायगा।

यदि वास्तव में यह सब कुछ इसे सरकारी क्षेत्र का अत्यन्त लाभकारी उद्यम प्रभावित करता है तब भी ठीक है। परन्तु दूसरे सरकारी उद्यमों को देखने से यही पता चलता है कि निर्यात हो अथवा आयात या निर्माण, सभी में, अन्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि लाभ की राशि बहुत थोड़ी होती है और उसका अधिकांश भार ऊपरी मदों पर खर्च हो जाता है। इस प्रकार निगम की खरीद दर तथा बिक्रीदर में बहुत बड़ा अन्तर रहता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था के अन्दर रुई निगम की स्थापना अनावश्यक है तथा अनिष्टकारी है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मैं रुई निगम के गुण तथा दोषों में नहीं जाना चाहता, परन्तु निगम की स्थापना के पश्चात् के चार महीनों में जो कुछ हुआ है उसको देखते हुये सरकार तथा निगम पर जो आरोप लगाये गये हैं, वे सब ठीक हैं।

सरकार इन कुछ बातों का स्पष्ट उत्तर दे कि पिछले महीनों में वह इस संदर्भ में क्या करती रही हैं। क्या सरकार ने आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का विचार इस कारण बनाया था कि रुई उपलब्ध हो सकेगी तथा उसका समुचित वितरण किया जा सकेगा। खेद का विषय है कि उद्योग द्वारा चेतावनी देने पर भी कि क्या कपड़ा मिलें विशेष रूप से हथकरघा मिलें चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडार है, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

हथकरघा बुनकरों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास तार आते हैं जिनमें यह लिखा होता है कि सूत की कीमतें बढ़ जाने से वे बेरोजगार हो गये हैं। मिल मालिक बुनकरों से कहते हैं कि रुई उपलब्ध न होने के कारण वे उचित दर पर धागों की सप्लाई नहीं कर सकते।

अभी एक मामला मेरी जानकारी में आया है। बाजार में एक सप्ताह के अन्दर धागों की कीमतें 40 रुपये से 48 रुपये प्रति बन्डल हो गई है। इस मूल्य पर यदि ये बुनकर धागे खरीदें तो अपने कपड़े को वे किसी भी बाजार में नहीं बेच सकते क्योंकि मिलों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा हथकरघा से बने कपड़े की अपेक्षा सस्ता होगा। जिन मिलों के पास रुई का भंडार था वे मिलें दूसरों की अपेक्षा धागे सस्ते मूल्यों पर बेच रही हैं। बुनकरों के मस्तिष्क में यह धारणा बनती जा रही है कि अमुक मिलें उचित दर पर धागे देती हैं और अमुक बहुत अधिक लाभ कमाती हैं। इस मामले के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य दोनों को ही अभ्यावेदन भेजे गये हैं।

इस समय रुई की एक गांठ का मूल्य 720 रुपये है जब कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा यह मूल्य 370 रुपये निश्चित किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है परन्तु 720 रुपये की सीमा तक नहीं। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि निगम की स्थापना के पश्चात सब कुछ ठीक हो जायगा, परन्तु अब बाजारों में ये हेर-फेर किस प्रकार हो रहा है? अब आयोग क्या कर रहा है? एक ओर किसान को लाभ नहीं होता और दूसरी ओर मिल मालिक संकट में फंसे हैं। पता नहीं लाभ कौन कमा रहा है और इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

रुई की कमी है और सरकार इसका अनुमान लगाने तथा मांग को पूरा करने में असफल रही है। मुझे संदेह है कि सरकार उचित समय में रुई का प्रबन्ध करके मिलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। पहले 8.25 लाख रुई की गांठें आयात करने का विचार था परन्तु अब यह बताया गया है कि $13\frac{1}{2}$ लाख गांठें आयात की जाती है। परन्तु हमें पता है कि पहले अनुमान अर्थात 8.25 लाख गांठों के कुछ अंश का आयात करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सरकार ने ये आश्वासन दिये हैं कि वे शीघ्र ही आयात करके रुई का प्रबन्ध करेंगे। मुझे संदेह है कि निगम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को स्थिति का पता है। वस्तुओं की खरीद का एक समय होता है। पता नहीं, रुई निगम इस तथ्य से अवगत है कि नहीं और क्या उन्होंने रुई के लिये उन देशों को क्रयादेश दे दिये हैं जहां से रुई उपलब्ध होती है। क्या सरकार को विश्वास है कि निकट भविष्य में वह इतना आयात करने में सफल होगी जिससे वर्तमान संकट समाप्त हो जाय?

मेरा अनुरोध यह है कि मंत्री महोदय इस प्रकार का कार्यक्रम बनायें जिससे हथकरघा उद्योग संकट में न पड़े। दो वर्ष पहले भी सरकार ने 5 तथा 10 करोड़ रुपये की लागत के बीच का भंडार करने का आश्वासन दिया था परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है। वर्तमान समय में फिर से धागों के मूल्य बढ़ जाने से हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं, इस संकट को शीघ्र निपटाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। तमिलनाडु तथा अन्य दूसरे स्थानों पर बुनकरों को उचित मूल्य पर धागों की सप्लाई की जानी चाहिये। जब तक आप मिलों को रुई सप्लाई करने का आश्वासन देते हैं तब तक बुनकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्हें शीघ्र ही उचित मूल्य पर धागे उपलब्ध कराये जायें।

श्री के० रमानी (कोयम्बतूर) : केवल रुई निगम की स्थापना कर देने से ही वर्तमान संकट समाप्त नहीं होगा। भारत में सटोरिये तथा चोरबाजारी करने वाले बड़े निपुण व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि अमुख स्थिति पर किस प्रकार नियंत्रण करना है।

हमारे देश में रुई का उत्पादन बहुत कम है। रुई सम्बन्धी सलाहकार समिति के अनुसार 57 लाख गांठ रुई का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि देश की 600 कपड़ा मिलों के लिये 60 से 65 लाख गांठों की आवश्यकता है। अतः हमें 6 या 7 लाख गांठों का आयात करना है। सरकार ने 13.25 लाख गांठें आयात करने का निश्चय किया है। पता नहीं मिल मालिक इतना अधिक शोर क्यों मचा रहे हैं?

रुई निगम की स्थापना को रुई व्यापारियों ने एक चुनौती के रूप में लिया और इसी कारण देशव्यापी हड़ताल हुयीं। इन व्यापारियों का विचार था कि रुई निगम को समाप्त कर दिया जाय और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये सरकारी प्रयत्नों को बेकार कर दिया जाय। इसी कारण से ये लोग इतना अधिक शोर मचा रहे हैं।

क्या सरकार कृषि मूल्य आयोग कि सिफारिशों के अनुसार देश में उत्पादित रुई तथा आयातित रुई को स्वयं खरीदने की योजना बना रही है। मुझे भय है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। रुई के आयात के विषय में सरकार का विचार है कि सम्पूर्ण आयात रुई निगम द्वारा ही किया जायगा। परन्तु वास्तव में सरकार वर्तमान रुई व्यापारियों तथा उनके संघटकों को निगम का सदस्य बनाने का विचार कर रही हैं। ये व्यापारी निगम की ओट में वही सब कुछ करेंगे जो कुछ अब तक करते आ रहे थे। इन्हीं व्यापारियों तथा सटोरियों का आयात पर, सप्लाई पर नियंत्रण होगा। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

यद्यपि यह कहा गया है कि निगम की स्थापना से यह समस्या सुलझ जायगी। परन्तु परिणाम क्या होगा? देश के रुई उत्पादक, किसान तथा मजदूर जो इन 600 मिलों में कार्य करते हैं और हथकरघा बुनकर सभी को संकट का सामना करना पड़ेगा।

जब धागों को बाहुतय था तब भी बहुत सी मिलें बन्द हो गयीं थी और अब रुई की कमी के कारण मिल मालिक 15 दिन के लिये उत्पादन बन्द रखना चाहते हैं और अब फिर से मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार का वातावरण बनाकर मिल मालिक जनता पर अधिक मूल्य थोपना चाहते हैं। यह मिल मालिकों की एक चाल है। सरकार ने किसानों, मजदूरों तथा हथकरघा बुनकरों के सहायतार्थ कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार को रुई का आयात तथा आन्तरिक व्यापार सभी कुछ अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। सटोरिये इस उद्योग से बहुत लाभ कमाकर सम्पत्ति जुटा रहे थे सरकार की ऐसी स्थिति को कोई भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। सम्पूर्ण खरीद तथा बेच निगम के नियंत्रण में रहनी चाहिये और निगम ही मिलों को उनकी क्षमता के अनुसार कोटा दे।

उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें। अधिक उत्पादन से न कोई मिल बन्द होगी और न ही रुई की कमी रहेगी। कपड़ा मिलें सुचारु रूप से चल रही हैं। मिल मालिकों का यह शोर मचाना निरर्थक है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): The Government should take over internal trade as well as the external trade of Cotton. The stocks available with the Stockists should also he seized.

The Cotton output of the Country is not satisfactory. The production of 57 lakhs bales is not enough. Government should give more incentives for cotton production. Necessary facilities should be given to the farmers and to enable them to improve their production.

Cotton production should be organised on co-operative basis. The cotton is a Commercial crop. The Government should make efforts to bring about self sufficiency in cotton. There is no crisis in this field, if all it exists, it is man made. The mill owners are responsible for these sad developments. The Government should formulate an integrated policy regarding cotton and try to control the trade and industry and if possible try to nationalize it. In the end, I congratulate the Government on setting up of cotton corporation.

अध्यक्ष महोदय : श्री डांगे बोल चुके हैं । इस लिये श्री बनर्जी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : देश भर में मिलों के मालिक एक षड़यत्र सा रच रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मिल मालिकों को बिना सूचना के सारा स्टाक मोहरबंद किया जावे ।

भारतीय कपास निगम की स्थापना का मैं दिल से स्वागत करता हूं । इसे मिलों में व्याप्त धांधली दूर होगी । कपास की कमी का लाभ उठाते हुए कानपुर के मिल मालिक अपनी मिलों को बंद कर रहे हैं । अभी हाल में जे के की मिलें बंद हुई हैं ।

अर्थन वेस्ट मिल तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल का प्रबंध सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये ।

कानपुर की स्थिति गम्भीर है । सरकार को चाहिये कि शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली में राज्य सरकार मिल मालिकों तथा श्रमिकों की बैठक बुलाये ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके अन्यथा सारे कानपुर में आम हड़ताल होगी जो सारे देश में भी फैल सकती है । लक्ष्मी रतन काटन सरीखी कुछ मिलों को शीघ्र ही सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये ।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं सब से पहले आज उठाई गयी मुख्य बातों के बारे में चर्चा करूंगा । आप जानते ही हैं कि यह चर्चा इस सदन में पिछले चार महीनों से चल रही है ।

आज कुछ माननीय सदस्यों ने कपास निगम के स्थान पर देश में कपास सम्बन्धी स्थिति पर अपने भाषण दिये । कपास संकट से पहिले ही कपास निगम की स्थापना हुई है । मिलों पर राज्य एकाधिकार के मैं भी पक्ष में हूं । लेकिन निगम का उद्देश्य राज्य एकाधिकार प्राप्त करना नहीं बल्कि उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है । आने वाले समय में आप देखेंगे कि निगम उत्पादकों के हितों की कैसे रक्षा करता है ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : क्या यह मिल-मालिकों के एकाधिकार को समाप्त करेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने पहले दिन उत्पादकों के हितों की रक्षा की बात की थी । आज भी मैं कहता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकों की रक्षा करना होगा ।

श्री बनर्जी ने श्रमिकों के हितों की बात की है । हम श्रमिकों तथा मिल मालिकों के हितों की रक्षा करेंगे ।

कुछ सदस्यों ने सूत की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाये। आप जानते ही हैं कि सूत कताई मिलों से ही उपलब्ध होता है जो अधिकतर दक्षिण में हैं। कपास के मूल्यवृद्धि से सूत के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : आप स्थानीय कपास को कताई मिलों को देने के लिये क्या कदम उठायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : हाथ कर्घा वर्ग के हितों का ध्यान रखा जावेगा। जब मैंने वक्तव्य दिया था तो यह बात मेरे ध्यान में थी··· **(व्यवधान)**

स्टाक जब्त करने की बात भी श्री बनर्जी ने की थी। कल मैंने यह कहा कि सरकार को यह जानना चाहिये कि कपास कहां है और कितनी मात्रा में है। जिन मिलों के पास चार महीनों का स्टाक है, उन्हें कह दिया गया है कि वे $2\frac{1}{2}$ महीने से अधिक का स्टाक अपने पास न रखें और जिनके पास दो महीने का है, उन्हें कह दिया है कि वे एक या $1\frac{1}{2}$ महीने का स्टाक रखें। बाढ़ के कारण कपास की फसल अच्छी नहीं हुई जिसके फलस्वरूप हमें कपास की पांच लाख बेलों की कमी रहेगी और यह कमी आयात से ही पूरी हो सकेगी।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : कपास का विदेशों से आयात करने के लिये करार करने में विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री ल० ना० मिश्र : कपास निगम कुछ देर से बना और व्यापारी ज्यादा कमीशन लेने के लिये कोशिश कर रहे थे जो जनहित में नहीं था। इसके लिये निगम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

मनोनीत आयातकर्ताओं को विदेशों द्वारा दिये गये एक प्रतिशत में से आधा प्रतिशत कमीशन मिलता था। निगम $\frac{1}{4}$ प्रतिशत कमीशन लेगा और शेष $\frac{1}{4}$ कारखानों को जायेगा।

श्री कमलनयन बजाज : निगम को कमीशन क्यों लेनी चाहिये ?...**(व्यवधान)**

श्री ल० ना० मिश्र : यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

श्री बनर्जी ने कानपुर के कारखानों की चर्चा की है। वे इस मामले में मुझ से भी बात करते रहे हैं। कानपुर के कारखानों के लिये एक जांच समिति बनाई गयी है। हमें आशा है कि हम कानपुर के कारखानों को अपने हाथ में ले लेंगे लेकिन शर्त यह है कि 49 प्रतिशत पूंजी राज्य सरकार और 51 प्रतिशत पूंजी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को लगानी पड़ेगी। राज्य सरकार के सहमत होने पर हम इन कारखानों को अपने हाथ में ले लेंगे। इस सदन के गत अधिवेशन के दौरान मैंने एक वक्तव्य में भारतीय कपास निगम की स्थापना तथा इसे सौंपे गये कार्यों की चर्चा की थी। निगम का पंजीकरण 31 जुलाई, 1970 को बम्बई में हुआ था। श्री रसिकलाल पाटिल इसके अध्यक्ष हैं। निगम ने अपने आप को सौंपे गये कार्यों के लिये संगठित कर दिया है। रुई का सारा आयात निगम के द्वारा होता है। निगम ने विभिन्न व्यापारियों को आयात के लिये अधिकार पत्र भी जारी किये।

घरेलू कपास के सम्बन्ध में निगम के कर्तव्य सीमित हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आने वाले कारखानों की मांगों को पूरा करने के लिये कपास निगम ने कपास खरीदने का काम शुरू कर दिया है। कुछ सदस्यों ने निगम की स्थापना के प्रति शंका प्रकट की है। निगम की स्थापना का काम जल्दबाजी नहीं बल्कि सोच-विचार कर किया गया।

उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए निगम वस्त्र उद्योग के हित में भी विदेशी तथा देशी कपास उचित दामों पर उपलब्ध करके लाभदायक सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

निपुणता ग्रहण करने पर मुझे आशा है कि निगम से न केवल उत्पादकों बल्कि कपास उद्योग को भी सम्भावित लाभ मिलने शुरू हो जायेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार 10 दिसम्बर, 1970/19 अग्रहायण 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 10, 1970/Agrahayana 19, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lko.—27-2-71—340